खण्ड-404, अंक-7
बुधवार, 5 चैत्र, शक संवत् 1914
(25 मार्च, 1992 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 404 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय				पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	..	..	क–ग
प्रश्नोत्तर (जारी)	..	..	..	1-14
कतिपय सदस्यों को सदन त्याग करने का निर्देश	..		..	14-17
कतिपय सदस्यों का सदन की सेवा से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	..		..	17
प्रश्नोत्तर	..	..	..	17-88
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	..	..	88-89
जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ क्षेत्र के गांवों में पेयजल की कमी से उत्पन्न स्थित के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	..	89
जनपद वाराणसी में भदोही स्थित रंग–तरंग सिनेमाघर की छत गिर जाने से मृतक एवं घायलों को मुआवजा देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..		..	89-90
संयुक्त चिकित्सालय टिहरी में एक्स-रे मशीन तत्काल चालू कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	..	90
जनपद उत्तर काशी में विनाशकारी भूकम्प में अधिकांश घायलों को सहायता धनराशि न दिये जाने की जांच कराकर वास्तविक व्यक्तियों को सहायता दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	..	90
जनपद फैजाबाद में गन्ना किसानों को पर्ची उपलब्ध न होने तथा बढ़े हुए रेट पर भुगतान न करने से उत्पन्न स्थित के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..		..	90-91
जनपद फैजाबाद के जलालपुर क्षेत्रान्तर्गत बुद्धीताल उफरौली मार्ग बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	..	91
सदस्यों के निलम्बन को वापस लिये जाने की मांग	..		..	91-102
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं	..		..	103
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	..		..	103-104
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	..		..	104-106
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)			..	106-121
राज्य भूमि एवं संरक्षण बोर्ड हेतु चार सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिए मा० अध्यक्ष को प्राधिकृत किया जाना	..	..	..	121
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..		..	122

विषय			पृष्ठ संख्या
आटो ट्रेक्टर लि० प्रतापगढ़ की अवैधानिक बिक्री तथा कर्मचारियों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थित के संबंध मे चर्चा का स्थगन ..	..	..	122
उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में बिकने वाली शराब से अधिक राजस्थान से लायी जाने वाली शराब की तस्करी से करोड़ों रुपये की होने वाली क्षति को रोकने के संबध मे नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा ..	..	..	122-129
सचिवों ..	..	..	130-149

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अकबर, श्री	मुरादाबाद	कैलाशनाथ सिंह, यादव, श्री	वाराणसी
अखिलेश, श्री	महराजगंज	खालिद गौरी, श्री	हरदोई
अजय प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	गिरधारी, श्री	गाजीपुर
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	गोमती प्रसाद, श्री	लखनऊ
अब्दुल ए० सलाम, श्री	आजमगढ़	घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा
अरविन्द कुमार, डा०	ललितपुर	घुरहू, श्री	[illegible]
अरविन्द प्रताप सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	चरन सिंह, श्री	[illegible]
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा	छत्रपाल वर्मा, श्री	[illegible]
अरुण प्रताप सिंह, श्री	सुल्तानपुर	जागेश्वर प्रसाद, श्री	[illegible]
अरजुन, श्री	सुल्तानपुर	जी० एस० विनोद, डा०	[illegible]
अशोक कुमार, श्री	लखनऊ	ज्ञानवती सिंह, श्रीमती	[illegible]
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	तीरथ राज, श्री	[illegible]
इजहार आलम खां, श्री	फर्रुखाबाद	दल सिंगार, श्री	आजमगढ़
इम्तियाज अहमद, श्री	मऊ	दिनेश चन्द्र सोनकर, श्री	इलाहाबाद
इस्लाम साबिर, श्री	बरेली	दीनानाथ सिंह यादव, श्री	वाराणसी
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	दुलारे लाल, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	देवेन्द्र पाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
ओम प्रकाश, श्री	फतेहपुर	धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
कुंवरपाल मास्टर, श्री	सहारनपुर	धर्मपाल यादव, श्री	बुलन्दशहर
कप्तान सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
किशोरी लाल, श्री	जौनपुर	नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री	बुलन्दशहर
कुंवर रेवती रमण सिंह	इलाहाबाद	नरेश अग्रवाल, श्री	हरदोई
कृष्ण कुमार, श्री	फतेहपुर	नवाब सिंह, श्री	[illegible]
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	नारायण दत्त तिवारी, श्री	[illegible]

पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
बरखूराम वर्मा, श्री	आजमगढ़
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबूराम एम० काम०, श्री	जालौन
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बृजभान यादव, डा०	इलाहाबाद
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
भगवती सिंह, विशारद, श्री	उन्नाव
भागीरथी, श्री	इलाहाबाद
भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं
भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
मथुरा प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
मदन भैया, श्री	मेरठ
महेन्द्र जैन, श्री	मेरठ
महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	इलाहाबाद
महेन्द्र सिंह भाटी, श्री	गाजियाबाद
मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद मुकीम, श्री	सिद्धार्थनगर
मोहम्मद वसीम हाजी, श्री	रायबरेली
मोहम्मद हसन खां, श्री	सहारनपुर
योगेन्द्र चन्द्र, श्री	वाराणसी
रमाकांत यादव, श्री	आजमगढ़
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री	बिजनौर
राम औतार शाक्य, श्री	मैनपुरी
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रसाद सिंह, श्री	बांदा
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम ललित चौधरी, श्री	बस्ती
राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री	मैनपुरी
लालचन्द्र, श्री	गोरखपुर
लीला राम शर्मा, श्री	पिथौरागढ़
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा	लखनऊ
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव नाथ सिंह कुशवाहा, श्री	कानपुर देहात
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवकान्त, श्री	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज

श्याम नारायण, श्री	महराजगंज	स्वामी नाथ यादव, श्री	देवरिया
श्रीराम, श्री	जालौन	हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र नाथ, श्री	बाराबंकी	हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर	हृदय नारायण दीक्षित, श्री	उन्नाव

विधान सभा

सत्यमेव जयते

बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 1992

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री केशरीनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

[नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने पर शोर।]

श्री श्याद अली–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह सरकार संविधान की अवहेलना करके मन्दिरों को तोड़ने का काम कर रही है।

आयातित ऊर्जा के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी

**1–श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा श्री कटार सिंह (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत की बढ़ी हुई दरों से सरकार किसानों तथा घरेलू उपभोक्ताओं को अलग रखने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसा न करने से प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था तथा छात्रों एवं छात्राओं की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टंडन)–

प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में घोषित नवीन विद्युत दरों में निजी नलकूप/पम्पसेटों के लिये पूर्व में लागू विद्युत दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी के अन्तर्गत जनता सर्विस कनेक्शन तथा कुटीर ज्योति कनेक्शन की विद्युत दरों में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। अन्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिये विद्युत दरों में केवल अल्पतम वृद्धि की गयी है। जिससे अलग करना विद्युत परिषद् की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सम्भव नहीं है।

उक्त वृद्धि कोयला, तेल, रेलभाड़ा, भंडार सामग्री व आयातित ऊर्जा के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण अपरिहार्य हो गयी थी।

वर्तमान सरकार द्वारा किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिये लागू विद्युत दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। अतः सिंचाई व्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता। अन्य घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में की गई अल्पतम वृद्धि से कुप्रभाव नहीं पड़ेगा।

**2–श्री नरेश अग्रवाल–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियामवली, 1958 के नियम 29 (4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री नरेश अग्रवाल–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद शाहजहांपुर में दि किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर में करोड़ों रुपये का घाटा एवं गन्ना कृषकों के बकाये मूल्य का यथाशीघ्र भुगतान कराया जाना

*2–श्री बच्चा पाठक (अनुपस्थित)–

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद शाहजहांपुर में दि किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर बीस करोड़ रुपये का घाटे में चल रही है और गन्ना कृषकों को गन्ना सप्लाई टिकट व गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे गन्ना कृषक मजबूरी में अपना गन्ना बीस रुपया कुन्तल बेच रहे हैं ? यदि हां, तो गन्ना कृषकों के हित में शासन ने तत्काल क्या कार्यवाही की ?

गन्ना विकास मंत्री (श्री हनुमन्त सिंह)–

जी हां (19.26 करोड़ का घाटा हुआ है)

कृषकों को गन्ना सप्लाई टिकट निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिया जा रहा है और उन्हें राज्य सरकार द्वारा परामर्शित गन्ना मूल्य का भुगतान भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है । दिनांक 29-2-92 तक की स्थिति के अनुसार 544.56 लाख रुपया गन्ना मूल्य देय था, जिसमें से 256.94 लाख का भुगतान किया जा चुका है । शेष 287.62 लाख रुपया गन्ना मुल्य का भुगतान यथाशीघ्र किया जायेगा ।

*3–श्री विश्राम दास, श्री भोला सिंह तथा श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

[बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 1992 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद लखीम्पुर की बेलरायां चीनी मिल द्वारा प्राप्त रिलीज आदेश के विपरीत कम चीनी रिलीज करने का औचित्य

*1–श्री निर्वेन्द्र कुमार (अनुपस्थित)–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद-लखीमपुर की बेलरायां चीनी मिल द्वारा 21 हजार का रिलीज आर्डर चीनी का होते हुए भी मात्र तीन ट्रक चीनी बिक्री हेतु दिनांक 25-7-91 तक रिलीज की गयी ? यदि हां, तो इससे होने वाली हानि के लिये कौन-कौन उत्तरदायी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जुलाई, 1991 के लिये सहकारी चीनी मिल बेलरायां को खुले बाजार में कुल 21,380 बोरे चीनी बेचने हेतु भारत सरकार द्वारा आवंटित की गयी थी । 25-7-91 तक कुल 3,900 बोरे चीनी का सौदा किया गया था । इस तिथि तक केवल चीनी 660 बोरे चीनी ही व्यापारियों द्वारा चीनी मिल से उठाई गयी थी । 26-7-91 से 30-7-91 तक 9521 बोरे चीनी का सौदा किया गया और इस अवधि में 7,971

बोरे चीनी का उठान हुआ । इस प्रकार जुलाई माह के अन्त तक 13,421 बोरे चीनी का सौदा किया गया, जिसमें से 8631 बोरे चीनी का उठान हुआ ।

चीनी लैप्स होने का मुख्य कारण यह था कि लखीमपुर-बेलरायां मार्ग पर शारदानगर से बखेरवा चौराहा तक लगभग 15 किमी० सड़क पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी थी, इस कारण व्यापारी बेलरायां चीनी से बरसात में चीनी उठान से कतराते रहे । इसके अतिरिक्त बरसात के माहों में वैसे भी सामान्यतया चीनी विक्रय और उठान में मन्दी रहती है । इस कारण कोई भी व्यक्ति विशेष चीनी के लैप्स के लिए उत्तरदायी नहीं है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, हमारी बात सुन लें ।

[नत्थी (ग) तारांकित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर शोर]

मान्यवर, प्रश्न काल को निलम्बित करके हमारी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जांय ।

श्री लालजी वर्मा–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं,वह नहीं लिखा जायेगा ।

(अनेक सदस्य एक साथ बोलते रहे-शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री श्याद अली–

[x x x]

(शोर के मध्य मा० मंत्री जी ने ता० प्र० सं०-2 का उत्तर पढ़ा)

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य विद्युत परिषदों में त्वरित औद्योगिकीकरण सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार को भेजे गये पत्र का विवरण

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषदों में [redacted] अनियमितताओं तथा अपर्याप्त वित्तीय स्रोतों के कारण विद्युत उत्पादन में अपेक्षित प्रगति ने हो पाने से विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्रों की भागीदारी देकर त्वरित औद्योगिकीकरण सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार का कोई पत्र

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

इस वर्ष प्राप्त हुआ है । यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है तथा प्रदेश सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रविकान्त गर्ग)–

जी हां,

(ख) पत्र की रूप रेखा निम्नवत है:–

(1) विद्युत क्षेत्र में निजी उद्यमियों के भागेदारी को प्रोत्साहित किया जाए ।

(2) प्रस्ताव पर त्वरित कार्यवाही की जाए ।

(3) विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु ईंधन के संसाधनों का विकास ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा पहले ही विद्युत क्षेत्रों में निर्जी उद्यमियों को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया था । कुछ स्थानों पर विद्युतगृह स्थापित करने के निजी क्षेत्रों को आमंत्रित किया गया था । इसी क्रम में शाहजहांपुर, जगदीशपुर, स्थलों पर गैस पर आधारित विद्युतगृह की स्थापना हेतु निजी उद्यमियों का चयन कर लिया गया है । विद्युत परिषद् द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देकर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए लिखा जा चुका है । राज्य सरकार द्वारा इन परियोजनाओं हेतु अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र देने हेतु कार्यवाही की जा रही है । भविष्य में इस प्रक्रिया को और सरल बनाने की कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिन दो जगहों का उल्लेख किया गया है उनके अतिरिक्त किन प्रमुख उद्योगपतियों ने आवेदन किया है और जिन्होंने आवेदन किया है उसमें किसी अनिवासी भारतीय या विदेशी उद्योगपति ने आवेदन किया है ?

(शोर के मध्य)

श्री रविकांत गर्ग–

मान्यवर, शासन द्वारा जो आवेदन पत्र मांगे गये थे उसके लिये स्थानों हेतु आवेदन पत्र मांगे गये थे, जिसमें से 2 स्थानों के लिये चयन किया गया और प्रदेश सरकार द्वारा उनकी स्वीकृति दी गयी । (शोर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल के बाद मैं आपकी सूचनाओं पर सुन लूंगा । आप लोग कृपया बैठिये ।

श्री लाल जी वर्मा–

आज अपोजीशन के अधिकांश सदस्य यहां पर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

आपको जो भी कहना है वह प्रश्नकाल के बाद कहिये ।

(घोर व्यवधान)

जो भी कहना हो, प्रश्नकाल के बाद कहें । आप लोग व्यवधान उत्पन्न करके दूसरे माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं । इस व्यवधान से दूसरे माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से यह पूछा था कि जिन दो जगहों पर अनुमति दी गयी है, वहां पर किन उद्योगपतियों को अनुमति दी गयी है और क्या उत्तर प्रदेश में निजी भागीदारी के लिये जिन लोगों ने आवेदन किया है, अनुमति मांगी है, क्या उनमें कोई अनिवासी भारतीय भी है, क्या कोई विदेशी प्रतिष्ठान भी उसमें शामिल है ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री रविकांत गर्ग (घोर व्यवधान के मध्य)–

मान्यवर, जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में हिन्डालको को और शाहजहांपुर में ओसवाल एग्रो ग्रुप को अनुमति दी गयी है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि जिन लोगों ने आवेदन किया है, क्या उनमें कोई अनिवासी भारतीय भी है और क्या कोई विदेशी प्रतिष्ठान ने भी उद्योग खोलने की अनुमति मांगी है ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, इस संबंध में देश के कुछ उद्योगपतियों ने आवेदन किया था । इस पर विचार करने के लिये एक चयन समिति का गठन किया गया और उसके द्वारा इन दो प्रतिष्ठानों को ही उपयुक्त पाया गया, इसलिये इनकी अनुमति दी गयी ।

श्री अध्यक्ष–(घोर व्यवधान के मध्य)

सारी व्यवस्थाएं प्रश्नकाल के बाद सुनूंगा । ये जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, कुछ नहीं लिखा जायगा । मैं श्री जोशी को आमंत्रित कर रहा हूं । आप सब की सूचनाएं प्रश्नकाल के बाद ली जाएंगी ।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, प्रदेश में अनेक विद्युतगृह बन्द पड़े हैं । वहीं टिहरी गढ़वाल में तिलवाड़ा पावर हाउस भी बन्द पड़ा है । क्या ऐसे पावर हाउस को भी संचालित करने के लिये निजी कम्पनी को देना चाहते हैं । इस प्रकार का कोई प्रस्ताव है ?

(तारांकित प्रश्न संख्या–3 पुकारे जाने पर)

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहा है कि टिहरी गढ़वाल ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है । मैंने नत्थी–ग का तारांकित प्रश्न संख्या–3 पुकारा है ।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, दो नम्बर प्रश्न चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

दो नम्बर मैंने समाप्त कर दिया है । मैंने तीसरा ले लिया है ।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, मेरा उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम स्वरूप वर्मा जी कोई अनुपूरक प्रश्न आप करेंगे । माननीय वर्मा जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अनुपूरक प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुलायम सिंह जी, प्रश्नकाल में नहीं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुआ । मुझे संरक्षण दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौधरी जी, वह समाप्त हो गया । आज जिस प्रकार के वातावरण में यह प्रश्नकाल हो रहा है, आप स्वयं स्थिति देख रहे हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरा उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने उत्तर दे दिया, आपको सुनने में कठिनाई हो रही है ।

गांवों में बिजली पहुंचाने की सरकार की नीति

*3–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की नीति प्रदेश के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने के बारे में किस प्रकार की है ? सरकार प्रदेश के प्रत्येक गांव में बिजली कब तक पहुंचा देगी ?

श्री रविकान्त गर्ग–

सरकार की नीति सभी ग्रामों में विद्युत पहुंचाने की है परन्तु वित्तीय संसाधनों की कमी एवं अनिश्चितता के कारण समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकी है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री मुलायम सिंह यादव के खड़े होने पर)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, प्रश्नकाल में भूतपूर्व माननीय मुख्य मंत्री जी कैसे खड़े हो गये ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने मुझसे अनुमति मांगी थी ।

विरोध पक्ष के श्री भरत सिंह, श्री श्याद अली, श्री गोमती यादव, श्री फरीद महफूज किदवई, श्री राम मूर्ति सिंह, श्री मिर्जा सुल्तान रजा आदि कई माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गये और नारे लगाने लगे –(घोर व्यवधान)

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

माननीय भरत सिंह, माननीय श्याद अली आदि जो भी माननीय सदस्य वेल में हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपने-अपने स्थान पर चले जायं ।

(सदन के वेल में आये हुए सदस्य अपने-अपने स्थान पर नहीं गये और नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान होता रहा)

श्री अध्यक्ष–

मैं निवेदन कर रहा हूं कि सदन के वेल में आये हुये माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर चले जायें ।

(किसी भी सदस्य के अपने स्थान पर न जाने पर)

मैं सदन को पौने 12 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 11 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री लाल जी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं मुझे अनुमति दे दें ।

(अनेक सदस्यों द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है । पहले प्रश्नकाल पूरा हो जाने दें ।

नोटः– [xxxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कल जो सदस्य निलम्बित किये गये थे उनका निलम्बन रद्द कर दिया जाय । यह कैसे हुआ मान्यवर, कल राजस्वमंत्री ने बड़े ही उत्तेजना में ऐसी बात कही ।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है कि किसी का निलम्बन वापस लिया जाय या न लिया जाय, मैं अनुमति नहीं देता, इसको प्रश्नकाल के बाद सुनूंगा मेरा निवेदन है कि पहले प्रश्नकाल को चलने दें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष–

आप तो स्वयं ज्ञाता हैं, प्रश्नकाल में कहीं व्यवस्था का प्रश्न उठता है । प्रश्नकाल हो जाने दीजिए, आप तो वरिष्ठ नेता हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आप तो स्वयं हाईकोर्ट के वकील रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपसे मैं अपेक्षा करता हूं कि विभिन्न माननीय सदस्यों का मार्गदर्शन करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, अब बात दूसरी है, अभी सदन बीच में स्थगित हुआ है, यह इतनी महत्वपूर्ण समस्या है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, क्या आपने अनुमति दे दी है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें । माननीय संसदीय कार्यमंत्री कृपया माननीय सदस्यों को शांत करायें ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मैं माननीय मुलायम सिंह जी से निवेदन कर रहा हूं ।

वित्त, संस्थागत वित्त संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में अपरिहार्य आवश्यकता के समय कोई बात उठाने के लिये अनुमति देने हेतु आप सक्षम हैं । शोरगुल के बीच जो बिन्दु मेरे कान में पड़े हैं, सदन में आ चुके हैं, उनका उत्तर भी विस्तार से दे दिया गया है । अगर कल जो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे, आज उसे उठायेंगे, उसके थोड़ी देर बाद कोई और माननीय सदस्य आ जायेंगे, जो इस समय

उपस्थित नहीं हैं, तो सदन की कार्यवाही के लिये एजेण्डा पर जो कुछ है, उसका चलना सम्भव नहीं होगा । जो भी बिन्दु आज उठाये जा रहे हैं, उन पर कल 4 घण्टे चर्चा हुई है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अभी किसी बिन्दु को उठाने की बात नहीं कही है न अनुमति दी है । मैं तो माननीय मुलायम सिंह जी से कहा रहा था कि उनके जैसे वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे । प्रश्नकाल के बाद जो भी कहना चाहेंगे, सुन लूंगा और नियमानुसार निर्णय दे दूंगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैंने यह सवाल नहीं उठाया कि मैं अनुपस्थित था ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल के बाद आपको समय मिलेगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जैसे वरिष्ठ सदस्य भी सदन को गुमराह करेंगे, तो सदन कैसे चलेगा । यह किसने कहा कि मैं कल नहीं था । मैं तो अध्यक्ष महोदय से अनुमति मांग रहा था । अगर अपरिहार्य स्थित है तो आपको अनुमति देने का अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे अनुमति देने का और अनुमति न देने का दोनों अधिकार है । अनुमति दे भी सकता हूं और मना भी कर सकता हूं । जब मैंने कह दिया कि प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद जो भी बात आयेगी, विचार कर लूगा, तो मेरा अनुमान है और अपेक्षा भी है, मुश्किल से 25 मिनट का समय बचा है । यदि आप प्रश्नकाल को नहीं चलने देंगे तो इससे दूसरे माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन होता है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अगर आप यह कहेंगे कि हम आपको अनुमति नहीं देते हैं, तो हम आपके आदेश को मान लेंगे, लेकिन हम यह समझते हैं कि यदि आप हमारी व्यवस्था को सुन लेंगे तो समाधान निकल आयगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप जानते हैं कि प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता, अगर नहीं जानते हों तो कोई बात नहीं हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन यह ऐसा प्रश्न है जो कभी भी आ सकता है । एक विशेष परिस्थिति है, देश में ऐसी स्थिति कभी आयी ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण कर लें । एक मिनट के लिये बैठ जायं मैं अपनी बात कह लूं ।

दिनांक 23 मार्च को नियम 311 के अन्तर्गत कुछ प्रकरण आये थे, उनमें अयोध्या का भी था, अनेक सूचनायें प्राप्त हुईं थीं । स्वयं सम्मानित विपक्ष के नेताओं नें उस प्रकरण को उठाने के लिये बल नहीं दिया, उन्होंने कहा कि सबसे पहले विधायकों की सुरक्षा का प्रश्न लिया जाय । आपने प्राथमिकता

तो स्वयं त्याग दी । कल इस पर विचार हुआ साढ़े तीन घण्टे तक । आज मैंने कहा कि जो भी सूचनायें आयी हैं, प्रश्नकाल के बाद उनका निस्तारण कर दूंगा ।

एक सूचना लाल जी वर्मा जी की है जो इसी प्रकरण से संबंधित है, एक आपकी है राजस्व मंत्री जी के बयान से संबंधित है, इन सबका नियमों से निस्तारण कर दूंगा । 12 बजकर 20 मिनट के बाद कर दूंगा । उसमें भी आप जानते हैं कि पहले 301 की सूचनायें, फिर 300 की सूचनायें और फिर 311 की सूचनायें ली जाती हैं । अब मुश्किल से प्रश्नकाल के लिये 25 मिनट का समय बचेगा, अब इस तरह से व्यवधान से दूसरे माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन होता है ।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कुछ कहना चाहता हूं आप मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मेरे इतनी देर कहने का अर्थ यही था कि प्रश्नकाल में मैं किसी दूसरे प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा । माननीय वर्मा जी जो कुछ कहेंगे लिखा नहीं जायेगा ।

श्री लालजी वर्मा–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें, प्रश्नकाल होने दें । मैंने नत्थी 'ग' का तीसरा प्रश्न लिया था ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, जब 64-64 सदस्य निलम्बित होंगे तो फिर काम कैसे चलेगा । आप सुन लें, निलम्बन वापस होने का प्रस्ताव पहले करा लें ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप लोग बैठें ।

श्री भरत सिंह–

मान्यवर, पहले 311 को सुन लीजिये ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, आप कानून के ज्ञाता हैं नियमों के ज्ञाता हैं, 64 सदस्य सदन से निलम्बित हैं आप पहले उनके निलम्बन की वापसी का प्रस्ताव करायें ।

श्री अध्यक्ष–

आपके प्रस्ताव को इसी स्तर पर निरस्त कर दिया है, मैं सुनूंगा ही नहीं ।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

सदन की लगातार अवमानना और किसी भी प्रकार की अवमानना और अध्यक्ष पीठ के निर्देशों की अवहेलना करने वाले किसी भी माननीय सदस्य किसी बात को मैं नहीं सुनूंगा । आप खड़े होकर कहते रहें, मैं बार-बार सदन स्थगित करता रहूं, अब यह परम्परा नहीं चलने दूंगा कि मेरे मना करने के बाद सदस्य बोलते रहें । आप बोलते रहें कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

श्री लाल जी वर्मा–

[x x x]

श्री भरत सिंह–

मान्यवर, 311 की सूचना पर पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी को सुन लीजिये ।

श्री लाल जी वर्मा–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

मैं कुछ नहीं सून रहा हूं ।

सदन के प्रश्नकाल का जितना समय नष्ट हुआ, आप जब परम्परायें तोड़ रहे हैं तो 12 बजकर 20 मिनट के बाद भी शून्य प्रहर प्रारम्भ नहीं होगा, 12 बजकर 20 मिनट के बाद भी, जिस समय सदन स्थगित हुआ था, उतना समय काट करके आगे प्रश्नकाल ले लूंगा । आप परम्परायें तोड़िये मुझे कोई परेशानी नहीं है ।

12 बजकर 20 मिनट के बाद भी प्रश्नकाल शुरू रखूंगा । सारे नियमों को निलम्बित करके प्रश्नकाल चलेगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आपने जो यह नया निर्णय लिया है, यह सदन तो परम्पराओं से चलता है, आपको विशेष अधिकार है, लेकिन परम्परायें हैं और उन परम्पराओं से सदन चलता है उसकी एक नियमावली है अब आप यह नई परम्परा डाल रहे हैं कि 12 बजकर 20 मिनट के बाद भी प्रश्नकाल चलायेंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जायें, सुनने दीजिये ।

(व्यवधान के मध्य)

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह परम्परा आप डालेंगे, मैं समझता हूं कि आप जैसे विद्वान और उच्च आसन पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा यह परम्परा डालना उचित नहीं है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गलत परम्परायें न डाली जाएं।

श्री अध्यक्ष–

मैं समझ गया पर यह कहां की परम्परा है कि प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया जाय। मेरे मना करने के बावजूद भी आप लोग न मानें, उसमें व्यवधान उत्पन्न करें इस तरह से प्रश्नकाल समाप्त हो जाये। इससे माननीय सदस्य के अधिकारों का हनन होता है। जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न किया है उसके उत्तर को वह न सुन पायें कोई अनुपूरक प्रश्न न कर पायें उसमें व्यवधान डाला जाये तो यह कहां की परम्परा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

[1] [x x x]

श्री अध्यक्ष–

हमारी चेयर में बैठे हुए थे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा। इसे नहीं लिखा जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, हम लोगों को पता चला है कि [x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहें। मुझे तो इन सब बातों को देखते हुए यही धारणा की पुष्टि होती है कि आप लोग सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

सन् 1937 से लेकर आज तक के इतिहास में कभी इस प्रकार की घटना नहीं हुई है।

(व्यवधान)

---

1 नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहें । प्रश्न संख्या–3 का उत्तर माननीय उर्जा मंत्री जी ने दिया है । अब माननीय राम स्वरूप वर्मा जी अपना अनुपूरक प्रश्न करें ।

(व्यवधान)

श्री भरत सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी [x x x]

श्री अभिमन्यु सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी जब मैं कल शांतिपूर्वक बैठा था तो बिना किसी प्रस्ताव के तथा बिना किसी के इंगित किए मुझे मार्शल द्वारा बाहर कर दिया गया और फिर वापस स्थापित कर दिया गया ।

(हंसी)

श्री भरत सिंह–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री भरत सिंह–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

श्री भरत सिंह–

[x x x]

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई भी सदस्य बिना मेरी अनुमति के कुछ भी कहेंगे, तो वह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा ।

मैं 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये सदन को स्थगित करता हूं । नत्थी (ग) तारांकित प्रश्न संख्या–3 से 12 बजकर 20 मिनट पर पुनः कार्यवाही प्रारम्भ होगी ।

(इसके बाद 12 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्वाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी गयी । 12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

नत्थी (ग) प्रश्न संख्या–3 पर माननीय सदस्य श्री रामस्वरूप वर्मा जी के प्रश्न का उत्तर आ गया है ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, आप यह एक नई परम्परा डाल रहे हैं ।...

श्री अध्यक्ष–

कोई नई परम्परा नहीं है । 12.20 पर प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि मुझे दो अनुपूरक प्रश्न पूछने का और समय दे दीजिये और कोई कहता है मुझे पांच मिनट का समय दे दीजिए । जब 12.20 बजे के बाद एक मिनट का समय बढ़ सकता है तो एक घंटे का समय भी बढ़ सकता है । आज प्रश्न काल के 50 मिनट के समय की हानि हुई है ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, आपको पूरा अधिकार है । आप यह नई परम्परा डाल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं स्वयं चाहता हूं कि सदन शान्तिपूर्वक चले ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस पर पुनर्विचार करें और ऐसी परम्परा न डालें ।

श्री अध्यक्ष–

जिस बात को मैंने प्रत्यक्ष रूप से अस्वीकार कर दिया, उस बात को मैं अप्रत्यक्ष रूप से होने की अनुमति कैसे दे सकता हूं ?

(विरोधपक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने के कारण सदन में शोरगुल व व्यवधान होने लगा,
और शोरगुल के मध्य विरोध पक्ष के कई सदस्य नारे लगाने लगे ।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण जो नारे लगा रहे हैं, वह नहीं लिखे जायेंगे । आप लोग मुझे बाध्य कर रहे हैं ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, आपके निर्देशों के बावजूद भी विपक्ष के लोगों ने इस बात का निर्णय कर लिया है कि वह सदन नहीं चलने देगें ।

(विरोधपक्ष के कई सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

आप लोगों का व्यवहार भी अविवेकपूर्ण है । आप लोग जो नारे लगा रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा ।

कतिपय सदस्यों को सदन त्याग करने के निर्देश

श्री अध्यक्ष––

जो माननीय सदस्य नारे लगा रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वह नियम–299 (1) के अंतर्गत सदन का त्याग कर दें । श्री लाल जी वर्मा आप माननीय सदस्यों को नारे लगाने के लिये उकसा रहे हैं, इसलिये क्या मैं कहूं कि आप भी नियम-299 (1) के अंतर्गत सदन का त्याग कर दें ।

(सर्वश्री श्याद अली, बलराम यादव, राज नारायन बिन्दु, बाबू खां, राम मूर्ति सिंह, श्यामलाल रावत, ज्वाला प्रसाद, जगराम सिंह यादव, महराज सिंह यादव, सुल्तान रजा मिर्जा, राधेश्याम वर्मा, इन्द्रपाल सिंह, भरत सिंह आदि माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान होता रहा)

(घोर व्यवधान)

श्री बलराम यादव–

अध्यक्ष महोदय, ऐसी परम्परा कायम न करें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस तरह से सदन नहीं चलेगा (व्यवधान) मैं धमकी में आने वाला नहीं हूं। (व्यवधान) आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप सदन का त्याग कर दें (व्यवधान) आप कृपया सदन का त्याग कर दें।

श्री बलराम यादव–

आपका आदेश शिरोधार्य है लेकिन गलत परम्परा मत कायम कीजिये। (व्यवधान) ऐसा कभी नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ऐसा कभी नहीं हुआ मैं भी स्वीकार कर रहा हूं लेकिन आप लोगों के आचरण से .... (व्यवधान) आप लोग सदन का त्याग कर दें। मैं 299 (1) का प्रयोग कर रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप सदन का त्याग कर दें।

श्री बलराम यादव–

इस प्रकार यह सरकार नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष–

आपको सरकार गिरानी हो तो गिरायें मुझसे उसका कोई संबंध नहीं (व्यवधान) मैं मार्शल को निर्देश देता हूं कि जो लोग सदन के प्रांगण में आ गये हैं उनको 12.45 तक सदन से बाहर कर दें। 12.45 तक सदन स्थगित करता हूं।

(इसके बाद 12 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 45 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी गई। 12 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजे तक के लिये और बढ़ा दिया है। 1 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं।...

श्री अध्यक्ष–

मैंने नियम 299 (1) के अंतर्गत 14 माननीय सदस्यों को आज के उपवेशन के अवशिष्ट समय तक के लिये अनुपस्थित रहने के निर्देश दिये थे।

एक सदस्य–

मान्यवर, सुनायी नहीं दे रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने 14 माननीय सदस्यों के विरुद्ध नियम 299 के उप नियम (1) के अंतर्गत कार्यवाही की थी जिसका परिणाम यह है कि वह सदन के अवशिष्ट समय के लिये आज के उपवेशन से अनुपस्थित रहेंगे । मैं उनके नाम पढ़े देता हूं, यदि उनमें से कोई माननीय सदस्य यहां हों तो वह बाहर चले जायें –

श्री श्याद अली, श्री बलराम यादव, श्री राज नारायण विंद श्री बाबू खां, श्री राममूर्ति सिंह, श्री श्याम लाल रावत, श्री ज्वाला प्रसाद, श्री जगराम सिंह यादव, श्री महराज सिंह यादव, श्री सुल्तान रजा मिर्जा, श्री राधेश्याम वर्मा, श्री इन्द्रपाल सिंह, श्री भरत सिंह, श्री छोटे लाल यादव,

यदि इनमें से कोई माननीय सदस्य यहां बैठे हों तो कृपया सदन का त्याग कर दें ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री श्याद अली–

मान्यवर, एक व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आपका नाम इसमें शामिल है, आप सदन त्याग कर दीजिये ।

श्री श्याद अली–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप सदन त्याग कर दीजिये वरना मुझे उप नियम (2) के अंतर्गत कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

(श्री श्याद अली व अन्य माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गये ।)

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जायगा । आप लोग कृपया सदन का त्याग कीजिये ।

[x x x]

यह माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, नहीं लिखा जायगा ।

[x x x]

माननीय सदस्य जो वेल में हैं, मेरा निवेदन है कि वह कृपया सदन का त्याग कर दें ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

अभी नहीं सुनी जायगी ।

कतिपय सदस्यों का सदन की सेवा से निलम्बन का प्रस्ताव

(नारे निरंतर लगाये जाते रहने पर ।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं माननीय सदस्य जो वेल में बैठे हुये हैं, नियम 299 के उप नियम (2) के अंतर्गत मैं उन्हें इंगित कर रहा हूं ।

वित्त संस्थागत वित्त संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जो माननीय सदस्य वेल में हैं और जिनको माननीय अध्यक्ष ने इंगित किया है उनको सदन की सेवा से निलंबित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं, जो माननीय सदस्य वेल में बैठे हुये हैं....मैं एक अवसर और देना चाहता हूं, वह अभी बाहर चले जायं ।

(वेल में बैठे हुये मा० सदस्यों के सदन से बाहर न जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो माननीय सदस्य वेल में बैठे हुये हैं उनको नियम 299 के उप नियम (3) के अंतर्गत सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जो वेल में हैं, कृपया बाहर चले जायं । यदि वे स्वेच्छा से नहीं जाते तो मैं मार्शल को निर्देश दे रहा हूं कि उन्हें सदन के बाहर कर दें । मैं सदन को एक बजकर तीस मिनट तक स्थगित करता हूं ।

(मार्शल, विधान सभा द्वारा श्री श्याद अली, श्री बलराम यादव, श्री महराज सिंह यादव, श्री फरीद महफूज किदवई, श्री दलवीर सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह , श्री जगदीश सिंह , श्री जगराम सिंह, श्री मुनव्वर हसन तथा श्री भरत सिंह को बलपूर्वक सदन के बाहर कर दिया गया ।)

(इसके बाद 1 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी गई । 1 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

(श्री मुलायम सिंह यादव तथा श्री लाल जी वर्मा बोलने के लिये खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष–

मुझे एक निवेदन करने दीजिए, शायद आप संतुष्ट हो जायेंगे । देखिये मैंने इस पीठ से बैठकर कहा था कि प्रश्न काल बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें किसी एक पक्ष का सवाल नहीं होता है । सभी माननीय सदस्य का अधिकार है कि वे प्रश्न पूछें, अनुपूरक प्रश्न पूछें । कभी-कभी विपक्ष के लोग मूल प्रश्नकर्ता होते हैं, सत्ता पक्ष के लोग अनुपूरक प्रश्न करते हैं । मेरा प्रयास रहा है कि यथा सम्भव प्रश्न काल चले । इधर कई दिनों से देखा जा रहा है कि प्रश्न काल में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण

माननीय सदस्य अपने इस अधिकार से वंचित रह जाते हैं । मेरा यह मानना है कि प्रश्न काल का महत्व इतना अधिक है कि सरकार की जिम्मेदारी उससे प्रकट होती है, उसकी ऐन्सरएबिलिटी, उनका उत्तर-दायित्व निर्धारित हो जाता है । प्रश्नों का यह तो विपक्ष के हाथ में बड़ा भारी हथियार है और उसके लिये प्रयास रहना चाहिए कि निलम्बन न हो और सदन नियम के अनुसार चलता रहे । मुझे दुःख होता है कभी-कभी किसी बात के लिये मांग होगी नियम शिथिल कर दिये जायं और प्रश्न काल के लिये लोग आग्रह करें कि 12.20 तक ही समाप्त कर दिया जाय । इसलिये मैंने कहा था कि आज 50 मिनट का समय व्यर्थ में नष्ट हुआ है, माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन हुआ है । चूंकि आज की कार्य-सूची में प्रश्न कम थे, इसलिये सोंचा था कि प्रश्नकाल जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिया जाय । आज प्रश्नकाल शायद 11.30 या 12 बजे तक ही समाप्त हो जाता, नहीं हुआ, किसी कारण से । मैंने माननीय वर्मा जी का प्रश्न पुकारा था, जिस समय सदन को स्थगित किया था, प्रश्न का उत्तर भी माननीय ऊर्जा मंत्री ने दिया था । माननीय वर्मा जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, माननीय मुलायम सिंह जी भी बहुत वरिष्ठ हैं । मैंने कहा था कि उन्हें प्रश्न काल के बाद सुन लूंगा । इसके बाद भी मैंने एक घोषणा की थी कि सदन स्थगित होने के बाद जब भी सदन प्रारम्भ होगा, तो प्रश्न काल पुनः लूंगा । जो प्रश्न काल की हानि हुई है, उसको पूरा करूंगा । कुछ माननीय सदस्यों ने मुझसे आग्रह किया था कि मैं पुनर्विचार कर लूं । मैं यह समझता हूं कि एक बार पीठ से कोई निर्देश हो जाय और अगर किसी के अहित में नहीं है, तो उसका पालन भी होना चाहिए । माननीय वर्मा जी द्वारा एक दो जो आवश्यक अनुपूरक प्रश्न हों, उसको करने के बाद तत्काल मैं नियम 301, नियम 300, नियम 311 की सूचनाओं को ले लूंगा । इसलिये मैं माननीय वर्मा जी का ख्याल रखते हुए माननीय वर्मा जी को अनुपूरक प्रश्न करने की अनुमति देता हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, साधारण सदस्यों से अपनी तुलना न करें । यह मर्यादा का सवाल है । इधर से क्या हुआ है । आपने नियमों को शिथिल किया और पीठ से निर्देश दिया, रूलिंग दी कि प्रश्न काल चलता रहेगा । जो भी निर्णय आप देंगे, वह इस उत्तर प्रदेश विधान सभा का ऐतिहासिक निर्णय होगा और आगे आने वाले समय में आपके इन निर्णयों का अनुकरण किया जायेगा । माननीय सदस्य नहीं चाहते हैं कि वे निलम्बित हों, लेकिन मजबूरी में उन्होंने ऐसा किया है । हमारे सदस्य यह नहीं चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा डाली जाये, लेकिन सरकार की ओर से मजबूर किया जाता है । इस समय देश का सवाल है, प्रदेश का सवाल है । देश का सवाल आज सबसे ऊपर है । मेरा निवेदन है कि साम्प्रदायिकता के उन्माद में देश और प्रदेश को न डाला जाये । 12.20 बजे तक सवाल चलायें । आप मा० साधारण सदस्यों को अपने से न जोड़े और मेरा निवेदन है कि अब आप किसी को ने बुलायें । अब प्रश्नों का सवाल नहीं उठता है । इसलिये हमारी प्रार्थना है कि अब किसी को प्रश्न करने के लिये बुलाने का कष्ट न करें । आप ऐसी परम्परा डालें, जिसका अनुकरण किया जा सके ।

वित्त, वित्त संस्थागत नियोजन एवं संसदीय मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय मुलायम सिंह जी ने एक सुझाव दिया है, उन्होंने कहा है कि प्रश्नोत्तर का काल 1.20 बजे तक है और उसको आगे न बढ़ाया जाये । आपने जो अपना निर्णय दिया था, उस पर पुर्नविचार करने की कृपा की है । मेरा निवेदन है कि जो प्रश्न माननीय मंत्री ने उत्तरित कर दिया है, उस पर अनुपूरक प्रश्न कर लेने दें और फिर एजेन्डा के अनुसार कार्यवाही चलने दें । उनका सुझाव है कि अब प्रश्न न हों, अगर कोई सदस्य अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहता है, तो इसमें कोई बाध्यता नहीं है । प्रश्नों का उत्तर देना तो शासन की जिम्मेदारी है और अगर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं, तो न पूछें ।

श्री अध्यक्ष–

अगर प्रश्न नहीं पूछेंगे तो नियम 301 की सूचनाओं को ले लूंगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

आपने कहा कि प्रश्नों के माध्यम से विपक्ष शासन पर अपनी पकड़ रखता है, यह उसका अधिकार है । मैं भी प्रश्न काल के निलम्बन के पक्ष में नहीं रहता हूं । प्रश्नों से शासन और प्रशासन पर अंकुश रहता है, लेकिन आज एक ऐसी स्थिति बन गयी कि प्रश्न काल हो या उससे भी अधिक महत्व के विषय पर चर्चा हो । प्रश्न काल के अधिकार को देखना है कि हमें देश और प्रदेश को देखना है । ऐसी स्थिति में निवेदन किया कि प्रश्न काल को निलम्बित करके नियम 311 की सूचना पर चर्चा करायी जाये । यह इतना आसान और सरल मुद्दा नहीं है । आप भी मानते हैं कि साम्प्रदायिक सद्भाव हो । तो यह प्रश्न, प्रश्नकाल से अधिक महत्व का है । इसी को देखते हुये यह सब हुआ और उत्तेजना हुई उस पर भी आप ध्यान दें । आप उस आसन पर विराजमान हैं, आप के सत्ता पक्ष और विपक्ष बराबर है, इसीलिये मैंने यह निवेदन किया है । जैसा मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है, इस मुद्दे पर बहस करा दें, तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य होगी, मेरा निवेदन सुन लें । मेरा निवेदन यह है कि जैसा आपने आज निर्णय लिया, प्रश्नों का प्रहर हो, इससे हम सहमत हैं लेकिन आज प्रदेश में एक बहुत ही भीषण समस्या उत्पन्न हो गयी है । पूरे देश के इस आग से जलने की सम्भावना है ।

श्री अध्यक्ष–

जैसा माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने उसी बिन्दु तक अपने को सीमित रखा है, प्रश्नकाल के बारे में ही कहें और उसी तक सीमित रहें ।

श्री लालजी वर्मा–

आज बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें तमाम विपक्ष के मेम्बर मौजूद नहीं हैं इसलिये मेरा निवेदन है तमाम ऐसी समस्यायें हैं जिनका ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कर लें । मैंने पहले भी प्रार्थना की थी और पुनः प्रार्थना करूंगा इससे आपके सम्मान को कहीं ठेस नहीं लगेगी, सम्मान बढ़ेगा । दूसरे इस सदन की जो परम्परा है सदन में आज बहस हो जिससे देश और प्रदेश के हित की बात हो सकेगी । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि माननीय मुलायम सिंह यादव ने जो बात कही है और श्री दिवाकर विक्रम सिंह जी ने जो बात कही है उसके बाद मेरा भी यह निवेदन है कि आप प्रश्न प्रहर को समाप्त कर दें, आज समय हो गया है, पौने दो बजने को है, इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रश्न प्रहर को समाप्त करके यह जो नोटिसें हैं या जो दूसरे प्रस्ताव हैं आपके सम्मुख, उस पर सुन लें । तमाम माननीय सदस्य यहां अनुपस्थित हैं वह माननीय सदस्य यहां उपस्थित होते तब प्रश्न प्रहर चलता तो कुछ और बात थी, वह भी कुछ पूछते, उसमें अनुपूरक होते और हम लोगों का ज्ञानवर्धन होता । इसलिये मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो 311 की नोटिसें हैं उन पर सुनने का कष्ट करें और प्रश्नों का प्रहर स्थगित कर दें, यही निवेदन है ।

(श्री रवीन्द्र प्रताप एवं कुछ अन्य सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं चर्चा नहीं करा रहा हूं, माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने आपकी ओर से विचार प्रकट कर दिया है ।

(श्री रवीन्द्र प्रताप के बोलते रहने से व्यवधान बना रहा)

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, काफी दिनों से यह देख रहा हूं कि जब प्रश्नकाल प्रारम्भ होता है तो माननीय सदस्य भी स्वीकार करते हैं कि प्रदेश बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं और जब सदन को अव्यवस्थित कर दिया जाता है तो हम सभी के अधिकारों का हनन होता है, इसको देखकर सभी सदस्य व्यथित होते हैं और आपको भी पीड़ा होती है । यह देखने में आ रहा है कि आपके द्वारा दिये गये व्यवस्था का कोई सम्मान हमारे जो माननीय विरोधी सदस्य हैं उनकी तरफ से नहीं होता है । आपकी आज्ञाओं का लगातार उल्लंघन हुआ है, आप देखें यह जो लगातार आपकी आज्ञाओं का उल्लघन हुआ है यह सदन के विशेषाधिकार का हनन है । तो मैं यह चाहता हूं कि अगर लगातार इस तरह से यह प्रक्रिया चलती रही तो इस सदन के अन्दर जो हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं तो जनता की समस्याओं को लेकर यहां उजागर करने आते हैं उसका समाधान यहां नहीं हो पाता है और यहां अव्यवस्था पैदा की जाती है तो यह सदन के विशेषाधिकार का हनन है । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, आपके विशेषाधिकार का हनन हम लोग कर रहे हैं माननीय सदस्य यह लिखकर लायें, हम लोग उत्तर देगें ।

श्री बंशीधर राज–

मान्यवर, 64 आदमियों का एक साथ निलम्बन कर दिया गया । आज भी यहां पर उस तरीके से एक प्रस्ताव आया और 14 आदमियों को निलम्बित कर दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अभी मैं उस पर नहीं सुन रहा हूं , आप कृपया बैठें ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अभी मैं निलम्बन पर बात नहीं सुन रहा हूं ।

श्री बंशीधर राज–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, आप बैठ जायं, यह कुछ लिखा नहीं जायगा ।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(श्री बंशीधर राज के लगातार बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

लगातार अगर मेरे निर्देशों की अवहेलना होती रही तो मुझे कठोर कदम उठाने होंगे । आप बैठ जायं ।

(श्री किशोरी श्याम, श्री किशन गोपाल तथा श्री बंशीधर राज के एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

ये लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं लिखा नहीं जायगा ।

श्री फतेह बहादुर सिंह–

[x x x]

(श्री फतेह बहादुर सिंह सदन से उठकर चले गये)

(श्री बंशीधर राज द्वारा बोलते रहने का प्रयत्न करने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा, आप बैठ जायं, यह कोई रिले रेस नहीं है कि एक माननीय सदस्य के बाद दूसरे माननीय सदस्य बिना अनुमति बोलना शुरू कर देते हैं ।

श्री बंशीधर राज–

इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं अपने दल सहित ।

(श्री बंशीधर राज ने अपने दल सहित सदन का त्याग किया)

श्री राम लखन–

आपकी पीठ से आदेश हुए कि श्री वर्मा जी का जो प्रश्न है, उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं । उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिये विपक्ष से भी चाहूंगा कि 1-2 प्रश्न पूछ लेंगे तो कोई खास बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने भी यही कहा था अब तक वह अनुपूरक प्रश्न समाप्त हो गया होता । यह कोई गलत और अनुचित परम्परा भी नहीं है ।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, वर्मा जी के प्रश्न को स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

श्री वर्मा जी ने इच्छा प्रकट की है एक अनुपूरक प्रश्न करने की ।

श्री किशोरी लाल–

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पुनर्विचार कर लें जिन विधायकों को निलम्बित किया गया है, उसे वापस करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

वह मेरा निर्णय नहीं है, वह सदन का निर्णय है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

299 के उप नियम 1 का निर्णय मेरा निर्णय है ।

श्री किशोरी लाल–

मान्यवर, महत्वपूर्ण मामले यहां पर उठ रहे हैं सभी विधायकों की उपस्थिति यहां आवश्यक है, उस कुर्सी पर आप जैसे विद्वान व्यक्ति वहां मौजूद हैं, आप निलम्बित विधायकों का निलम्बन वापस करायें ।

श्री अध्यक्ष–

एक प्रक्रिया मैंने निर्धारित कर दी, उसी के अनुसार चलें, आप बैठें । यही सब बातें आप एक अनुपूरक प्रश्न हो जाने के बाद कर सकते थे । मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि अध्यक्ष पीठ के निर्णय का अनुपालन करने की इच्छा नहीं है ।

श्री किशोरी लाल–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है लिखा नहीं जायेगा ।

श्री किशोरी लाल–

मान्यवर, यह परम्परायें रही हैं और कई बार इस तरह के प्रस्ताव आ चुके हैं ।

नोट– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने बड़ी श्रेष्ठ व्यवस्था इस सदन को सामान्य ढंग से चलाने हेतु दी । एक सवाल हमारे सामने है उस पर अनुपूरक प्रश्न हो जाता उसके बाद शून्य प्रहर की कार्यवाही हो जाय । माननीय वर्मा जी इस सदन के वरिष्ठतम और सम्मानित सदस्य हैं । मान्यवर, विपक्ष में बटवारा मालूम होता है ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष के अन्य साथी माननीय वर्मा जी जैसे वरिष्ठ साथी का न सम्मान करते हैं और न मान्यवर उनको किसी प्रकार का सम्मान देना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, अगर माननीय वर्मा जी अनुपूरक प्रश्न न पूछते तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती । माननीय सदस्य बजाय आपके माननीय वर्मा जी की खुशामद कर लेते कि वे सवाल न पूछें लेकिन उनका सम्मान करना चाहिए । उनको सवाल पूछने देना चाहिए ताकि शून्य प्रहर की कार्यवाही शुरू हो जाती । जो अन्य माननीय सदस्य उसे उठाना चाहते हैं उन्हें मौका मिल जाता ।

श्री लालजी वर्मा–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं मुझे लग रहा है कि मैंने जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है । यह लिखा नहीं जायगा ।

श्री लालजी वर्मा–

[x x x]

श्री अध्यक्ष

कृपया बैठ जायं ज़ो कुछ कह रहे हैं लिखा नहीं जायेगा । माननीय वर्मा जी अपनी बात कहने में सक्षम हैं ।

माननीय वर्मा जी ने अनुपूरक प्रश्न करने की इच्छा प्रकट की है ।

श्री लालजी वर्मा–

[x x x]

नोट:– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले ही निर्देश दे दिया है कि मेरी अनुमति के बगैर जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें मैं कुछ नहीं सुनूंगा । यदि आप जिद करते हैं तो मेरी भी यह जिद है पहले मेरे निर्देशों का पालन किया जाये ।

श्री लालजी वर्मा–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

मैं बिना अपने निर्देशों का अनुपालन किये हुए कार्यवाही आगे नहीं चलाऊंगा । आप लोग कृपया बैठ जायें । इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी ।

(विरोध पक्ष के अनेक माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात कहते रहे)

मैं इस तरह से नहीं चलने दूंगा । आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । यह सदन चाहे दिन भर स्थगित रहे मगर रात भर तक चलता रहेगा, लेकिन इस तरह से कार्यवाही नहीं चलेगी । मैंने सभी सदस्यों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा था माननीय रामस्वरूप वर्मा जी अनुपूरक प्रश्न पूछ लें मगर आप लोग अपनी-अपनी बात कह रहे हैं ।

(विरोध पक्ष के माननीय सदस्यगण तब भी अपनी-अपनी बात कहते रहे ।)

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा । आप लोग यदि मेरी व्यवस्था से असंतुष्ट हैं तो सदन का वहिष्कार कर सकते हैं और यदि आप लोग अपनी जिद करेंगे तो मैं पूरा प्रश्न काल चलाऊंगा । मैं सदन को उस तरह से नहीं चलने दूंगा जिस तरह से आप चाहते हैं । इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी । मैं सदन को 2.30 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इसके बाद 2 बजे श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 2 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, मेरे सवाल से इन लोगों का सवाल ज्यादा अहम है और मैं विपक्ष की एकता कायम रखने के लिये अपने अधिकार का परित्याग करता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

पहले ही हो गया होता, तो काहे इतना विलम्ब होता ।

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं पहले ही कह रहा था ।

श्री अध्यक्ष–

कुछ लोगों को आने वाली घटनाओं का आभास हो जाता है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, आपने अन्य लोगों को भी आश्वासन दिया था कि अवसर प्रदान करेंगे, प्रश्नों के बारे में ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे अब नियम 301 की सूचनाएं लेने दीजिए । इसके पहले घोषित कर दूं कि माननीय रामस्वरूप वर्मा जी स्वेच्छा से प्रश्न नहीं करना चाहते, इसलिये प्रश्नकाल समाप्त करने के बाद नियम 301 की सूचनाएं ली जायेंगी ।

जनपद मेरठ के रमाला एवं बागपत चीनी मिलों पर वर्तमान पेराई सत्र 1991-92 पर गन्ना किसानों के बकाया का शीघ्र भुगतान

*4–श्री कटार सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के बागपत सहकारी शुगर फैक्ट्री तथा रमाला सहकारी शुगर फैक्ट्री पर किसानों के गन्ना का कितना रुपया बकाया है ? क्या मंत्री जी किसानों के गन्ने के समस्त बकाये को दिलाये जाने के लिये कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास मंत्री (श्री हनुमन्त सिंह)–

दिनांक 29-2-1992 की स्थिति के अनुसार रमाला एवं बागपत चीनी मिलों पर वर्तमान पेराई सत्र 1991-92 का क्रमशः 358.56 लाख रुपया एवं 109 94 लाख रुपया बकाया है ।

जी हां । यथाशीघ्र भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

*5–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

[दिनांक 26-2-92 को अता० प्र० सं० 139 द्वारा उत्तरित]

*6–श्री राम आसरे वर्मा–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारणं निरस्त]

जनपद मिर्जापुर में स्थित अहरौरा बांध की जल क्षमता बढ़ाने की मांग

*7–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (मिर्जापुर)–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में स्थित अहरौरा बांध की जल क्षमता कम है और अत्यधिक बरसात होने के कारण उसे टूटने का भय बना रहता है और पूरे क्षेत्र में सिंचाई नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बांध की क्षमता बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टिप्पणी- नत्थी (ग) के प्रश्न संख्या–3 के उपरान्त प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

प्रदेश में इस वर्ष तहसील केन्द्रों पर खोले जाने वाले मुंसिफ न्यायालयों की संख्या एवं नामों का विवरण

*8–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में इस वर्ष कितने तहसील केन्द्रों पर मुंसिफ न्यायालय खोले जायेंगे ? उसमें से आगरा मण्डल की कौन-कौन सी तहसीलों में इस वर्ष मुंसिफ न्यायालय की स्थापना विचाराधीन है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शासन की विषम आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह कह पाना कठिन है कि कितने तहसील मुख्यालयों पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित किए जा सकेंगे ।

आगरा मण्डल में जनपद आगरा की तहसील फतेहाबाद में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना का मामला शासन के विचाराधीन है ।

जनपद आगरा की तहसील बाह, अलीगढ़ की तहसील इगलास, सिकन्दराराव, अतरौली एवं खैर, जनपद मथुरा की तहसील छाता व जनपद एटा की तहसील जलेसर में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर माननीय उच्च न्यायालय व जनपद न्यायाधीश से अभिमत/संस्तुति मांगी गयी है ।

*9–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*10–श्री विजय सिंह राणा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*11–श्री सुरेन्द्र सिंह–

[सदन की सेवा मे निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

वर्तमान गन्ना आयुक्त के पद भार ग्रहण के समय तक निजी चीनी मिलों पर बकाया पर्चेस टैक्स का विवरण

*12–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान गन्ना आयुक्त ने जब कार्यभार, ग्रहण किया था, तो निजी चीनी मिलों पर 4.5 करोड़ रुपया पर्चेस टैक्स बकाया था ? यदि हां, तो इस समय कितने करोड़ रुपया पर्चेस टैक्स के रूप में बकाया है ? इन लम्बित मामलों पर गन्ना आयुक्त द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

विद्युत वितरण मण्डल फैजाबाद में वर्ष 1990 एवं 1991 में प्रति माह लाइन लासेज का प्रतिशत तथा ऊर्जा विक्रम में असमानता का विवरण

*13–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अंतर्गत विद्युत वितरण मण्डल फैजाबाद में वर्ष 1990 एवं 1991 के प्रति माह लाइन लासेज कितने प्रतिशत है ? क्या लाइन हानियों के संकलन में पारेषण से प्राप्त ऊर्जा तथा ऊर्जा विक्रय में काफी असमानता है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? कुल कितने यूनिट की असमानता है ? बिना मीटर की श्रेणी में ऊर्जा विक्रय प्रति उपभोक्ता तथा पारेषण पर ऊर्जा खपत के औसत आंकड़े क्या है ? जिस किसी मण्डल/मु० क्षे० अभि० के अंतर्गत लाइन लासेज अधिक है ऐसे मण्डल/क्षेत्र के अधिकारियों के विरुद्ध परिषद् द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री लाल जी टण्डन)–

वर्ष 1990 तथा 91 में इस मण्डल में लाइन लास औसतन 14-15% रहा है ।

जी हां । किन्तु असमानता निर्धारित सीमा के अन्दर है ।

लाइन हानियां ।

वर्ष 1990 में 40.889 मि० यू०

वर्ष 1991 में नवम्बर तक 43.7 मि० यू० की असमानता है ।

निम्न श्रेणी के उपभोक्ताओं में औसत ऊर्जा प्रति हार्स पावर सैम्पुल मीटर के आधार पर निम्न प्रकार है:–

1– राजकीय नलकूप-83 यूनिट/हा० पा० लगभग ।

2– निजी पम्पसेट–103 यूनिट/हा० पा० लगभग ।

पारेषण पर औसतन मासिक ऊर्जा खपत (लाइन हानियां) लगभग 3.4 मिलियन यूनिट रही है ।

चूंकि इस मण्डल में लाइन हानियां परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के अन्दर ही है अतः किसी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

*14–श्री स्वामी नाथ यादव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद मिर्जापुर एवं सोनभद्र में अतिवृष्टि से रिहन्द जलाशय के प्रभावित होने से जान माल की क्षति

*15–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अगस्त, सितम्बर 1991 में मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में अति वृष्टि के कारण रिहन्द जलाशय अपर खजुरी, लोअर खजुरी, अहरौरा एवं जरगो जलाशय से कितने एकड़ फसलों की क्षति हुयी है तथा इस में कितनी मानव एवं पशुओं की जाने गयीं ? क्या मंत्री जी ने हवाई सर्वेक्षण भी किया था ? यदि हां, तो उसमें संबंधित अधिकारियों को क्या निर्देश दिया गया था ? क्या यह सत्य है कि जलाशयों से अतिरिक्त जल निकालने के कारण शक्तिनगर मार्ग का पुल नरायनपुर ब्लाक में जरगो नदी ग्राम बगही, ग्राम बधेड़ा के बने पुल एवं जमालपुर ब्लाक में ओड़ी,

बहुआर, चरगोड़ा के पुल ध्वस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या उन पुलों की मरम्मत करने के लिये सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग को 30 नवम्बर, 1991 तक धन उपलब्ध कराया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

माह अगस्त, सितम्बर 1991 में मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में अतिवृष्टि के कारण केवल अहरौरा जलाशय द्वारा अतिरिक्त जल निकासी से 1291.42 एकड़ फसल क्षतिग्रस्त हुयी थी । रिहन्द जलाशय, अपर खजुरी, लोअर खजुरी एवं जरगो जलाशय से फसल की क्षति नहीं हुयी ; जलाशयों से जल निकासी के कारण किसी मानव या पशुओं की जाने नहीं गयीं । दिनांक 4-9-91 को मिर्जापुर जनपद में अतिवृष्टि के कारण खजुरी नदी में पानी अधिक आने के कारण विढम फाल पर 2 व्यक्ति एवं उससे करीब 8 कि० मी० नीचे बरघाट खरन्जा पर 5 व्यक्तियों की पानी की तेज धारा में बहने से मृत्यु हुई ।

जी हां । दिनांक 9-9-91 को रिहन्द जलाशय, जनपद सोनभद्र का हवाई सर्वेक्षण किया गया था एवं निरीक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त कार्यों को यथाशीघ्र मरम्मत/निर्माण कराने एवं यातायात की वैकल्पिक व्यवस्था कराने के निर्देश भी दिये थे ।

जी हां, रिहन्द जलाशय से अतिरिक्त जल निकालने के कारण शक्तिनगर मार्ग पर हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा बांध के निर्माण कार्य हेतु स्वयं की लागत पर निर्मित अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो गया तथा नरायनपुर व जमालपुर ब्लाक के अंतर्गत गरई नदी पर रपटा, कैलहट जमालपुर माफी मार्ग, रपटा एवं जमालपुर ब्लाक लिंक मार्ग 3 नम्बर पुलिया क्षतिग्रस्त हुई ।

जी नहीं, इस संगठन द्वारा लोक निर्माण विभाग को कोई धन उपलब्ध नहीं कराया गया ।

इन पुलों/कार्यों का रख-रखाव का उत्तरदायित्व लोक निर्माण विभाग का है ।

*16–श्री ऊदल–

[आठवें सोमवार में तारा० प्र० सं० 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*17–श्री शिवेन्द्र सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

फैजाबाद की तहसील अकबरपुर की हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया जाना

*18–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील और नगरपालिका क्षेत्र अकबरपुर की हरिजन बस्तियों में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो विद्युतीकरण का कार्य पूरा होने में अभी कितना समय और लगेगा ?

श्री लालजी टंडन–

जी हां, अकबरपुर तहसील की हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लक्ष्य पूरे किये जा चुके हैं । किन्तु नगरपालिका क्षेत्र में अलग से कोई लक्ष्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*19–श्री भगवती सिंह विशारद–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

हैदर कैनाल लखनऊ के दोनों किनारों के टूट जाने से उत्पन्न खतरे को देखते हुए उसमें दोनों किनारों को पक्का किये जाने की मांग

*20–श्री हाजी मोहम्मद वसीम–

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि लखनऊ में कार्यालय प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग के निकट स्थित रामलीला मैदान के बीच से बहने वाले हैदर कैनाल के दोनों तरफ के पक्के किनारे टूट चुके हैं और मिट्टी के कटाव के कारण उक्त मैदान के सटे लखनऊ माण्टेसरी इण्टर कालेज तथा अन्य मकानों के ढह जाने से जनता की जान माल का खतरा निरन्तर बना हुआ है ? क्या सरकार हैदर कैनाल के उक्त भाग की पक्की मरम्मत अविलम्ब करवाकर उक्त कटाव से उत्पन्न खतरे को दूर करने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

1-2–श्री सुरेन्द्र सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर, अलीगढ़ की आवासीय कालोनी में अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे तथा अनधिकृत कब्जे के मामले न्यायालय में विचाराधीन

3–श्री बसन्त लाल गुप्ता–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) की आवासीय कालोनी स्थित कितने आवास/भवन अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में हैं ? क्या सरकार ऐसे आवासों/भवनों को अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे से मुक्त कराने हेतु यू० पी० पब्लिक प्रेमाइसेज (इविक्शन आफ, अनअथराइज्ड आक्यूपेन्टस) एक्ट-1972 के अंतर्गत "विहित प्राधिकारी" की नियुक्ति करके कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

213 आवास/भवन अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में है ।

प्रशासन की ओर से परगनाधिकारी, कोल, विहित प्राधिकारी नियुक्त हैं, जिनके न्यायालय में कुछ अनधिकृत कब्जों के मामलों में मुकदमें दायर किये गये हैं, जिन पर निर्णय प्रतीक्षित है । कुछ मामले परिषद् के पक्ष में निर्णीत भी हुए हैं । ऐसे मामलों में पुलिस/जिला प्रशासन के सहयोग से आवास रिक्तिकरण के प्रयास प्रगति पर हैं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा अभिनिर्णय के अनुपालन में निर्गत परिषदाज्ञा द्वारा विभिन्न पदों के वेतनमान पुनरीक्षित करने के आदेश

4–श्री बसन्त लाल गुप्ता–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा अभिनिर्णय विवाद संख्या–142/72 एवं 134/72 में दिये गये निर्णयानुसार

(अवर वर्ग सहायक) पद धारकों को कुशल (अ) श्रेणी का वेतनक्रम रु० 150-345 तथा टाइमकीपर पदधारकों को सर्वोच्च कुशल श्रेणी का वेतनक्रम रु० 190-376 दिनांक 1-4-1969 से प्रदान करने का आदेश किया गया था ? यदि हां, तो वह आदेश क्या है ? क्या यह सही है कि विद्युत परिषद् ने 1-4 -1969 से अवर वर्ग सहायक पद के कार्मिकों के वेतनमान को उच्चीकृत कर टाइमकीपर पद के कार्मिकों को देय वेतनमान से भी उच्च वेतनमान रुपया 250-500 देने का कोई आदेश किया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सदन के पटल पर आदेश की प्रति रखते हुए यह भी बतायेंगे कि अवर वर्ग सहायक पद के वेतनमान को ट्रिब्यूनल एवार्ड के विपरीत उच्चीकृत करने का क्या औचित्य रहा है ? क्या विद्युत परिषद् टाइम कीपर पद के कार्मिकों को 1-4-69 से वेतनमान रु० 250-500 प्रदान करने का आदेश भी करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां,

अभिनिर्णय के अनुपालन में निर्गत परिषदाज्ञा सं० 452 डब्लू बी०/बी, दिनांक 20-4-74 द्वारा 25 विभिन्न पदों के वेतनमान पुनरीक्षित करने के आदेश किये गये थे ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

ऊर्जा विभाग के मुख्यालय, परिषदीय अन्य लिपकीय कर्मचारियों को दिये जाने वाले भत्ते की समरूपता का विवरण

5–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेगे कि मुख्यालय कर्मचारियों सहित, परिषदीय अन्य लिपिकीय कर्मचारियों को एक ही समान भत्ता दिए जाते हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से भत्ते समान हैं और कौन-कौन से भत्ते समान नहीं दिए जाते हैं ? इन भत्तों के कारण कितना धन बढ़े भत्तों में खर्च किया जा चुका है तथा इसका औचित्य क्या है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

मात्र मंहगाई भत्ता मुख्यालय कर्मचारियों सहित परिषदीय अन्य कर्मचारियों को समान रूप से अनुमन्य है ।

परिषद् मुख्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारियों तथा अन्य लिपिकीय कर्मचारियों को अनुमन्य भत्तों की सूची अनुलग्नक पर अवलोकनीय है । परिषदीय मुख्यालय में लिपिक वर्गीय सेवकों को अनुमन्य मात्र सचिवालय विशेष भत्ता तथा वाहन भत्ता ही ऐसे भत्ते हैं जो अन्यत्र कार्यरत लिपिकीय वर्ग के सेवकों को अनुमन्य नहीं है ।

परिषद् मुख्यालय कर्मचारियों को क्रमशः दिनांक 1-3-87 एवं 1-12-88 से सचिवालय विशेष भत्ता एवं वाहन भत्ता दिये जाने के फलस्वरूप उक्त तिथियों से बढ़े हुए व्यय भार का वार्षिक विवरण निम्नवत् है:

वर्ष	सचिवालय भत्ता	वाहन भत्ता
1987-88	1,35,479.12	---------
1988-89	2,98,238.94	1,50,502.72
1989-90	4,15,530.08	10,17,205.63
1990-91	2,23,673.16	12,21,065.94
1991-92	5,56,290.06	8,17,679.51

(11/91 तक)

दिनांक 30-11-91 तक सचिवालय विशेष भत्ता पर रु० 16,29,219.28 तथा वाहन भत्ता पर रुपया 32,06,453.05 व्यय हुआ है । कार्य कुशलता में बढ़ोत्तरी हेतु ये दोनों ही भत्ते राज्य शासन की अनुरूपता में स्वीकृत है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 130-131 पर)

श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल अधिशासी अभियन्ता पर लगायी गयी विभिन्न अनियमितता की जांच रिपोर्ट एवं कार्यवाही की जानकारी

6-श्री रामकृष्ण–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता जो वर्तमान समय में सेकेन्ड्री वर्क्स डिवीजन; उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ में कार्यरत हैं ?. जब लेसू के अधीन कन्सट्रक्शन डिवीजन, लखनऊ में कार्यरत थे, उस समय की गयी विभिन्न अनियमितताओं एवं 91 लाख रुपये के गबन के आरोप में उनका नाम जांच के लिए सतर्कता विभाग को संदर्भित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर अब तक शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

श्री भूपेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी लखनऊ के पत्र दिनांक 22-1-90 एवं श्री के० आर० कृष्णानी का पत्र दिनांक 10-4-90 जिसमें श्री अग्रवाल के विरुद्ध विभिन्न अनियमितताओं एवं उनके अधीन नियुक्त एक अवर अभियन्ता द्वारा 40 लाख रुपये के सामान के गोलमाल के आरोपों पर जांच परिषद् की सतर्कता शाखा को पत्रांक–460-शिकायत एवं जांच–05सी/राविप–90 एवं दिनांक 24-5-1990 एवं 1282-शिकायत एवं जांच 05सी/राविप-90 दिनांक 5-7-1990 द्वारा सौंपी गयी थी ।

जी नहीं ।

उपर्युक्त परिवादों में से श्री के० आर० कृष्णानी की परिवाद पर ही अभी तक जांच पूर्ण हो पायी है जिसमें श्री अग्रवाल की अन्तर्ग्रस्तता नहीं पायी गयी है । दूसरे परिवाद दिनांक 22-1-90 पर जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के गैर कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को दिनांक 1-1-86 से नहीं अपितु 1-7-88 से पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार आवासीय भत्ता का दिया जाना

7–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गैर कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को दिनांक 1-1-86 से पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार आवासीय भत्ता मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश के मात्र तीन कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को ही पुनरीक्षित आवासीय भत्ता स्वीकृत करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)–

प्रदेश के गैर कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को दिनांक 1-1-86 से नहीं अपितु दिनांक 1-7-1988 से पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार आवासीय भत्ता दिया जा रहा है ।

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर एवं नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज फैजाबाद में उन शिक्षकों, जिन्हें विश्वविद्यालय की ओर से आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है, को पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार आवासीय भत्ता दिया जा रहा है । चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर का प्रकरण विचाराधीन होने के कारण वहां कार्यरत शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार आवासीय भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया है । चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के शिक्षकों को पुनरीक्षित आवासीय भत्ता दिये जाने के संबंध में शीघ्र ही यथोचित निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

8–श्री राम औतार शाक्य–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

9–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलंबित होने के कारण हटाया गया]

जिला वाराणसी के पिंडरा राजबहा से संबंधित किसानों के प्रतिकर का भुगतान तथा अनेई और अकोढ़ा माइनर की भूमि के बारे में भूमि अर्जन की कार्यवाही

10–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनेई राजबहा, पिंडरा राजबहा व अकोढ़ा माइनर ब्लाक बड़ागांव, त० व जिला वाराणसी जो बावतपुर राजबहा से निकाली गयी है इसका भूमि उपयोग परिषद् उत्तर प्रदेश ने अब तक नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी को नहीं भेजा है जिससे मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया और खुदाई भी अधूरी है तथा पानी का उपयोग नहीं हो पा रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर भूमि उपयोग परिषद् द्वारा नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कराने पर विचार करेगी ? क्या धारा 4 व 6 के पहले एस० एल० ओ० को नो आब्जेक्शन देना जरूरी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, परन्तु पिंडरा राजहा से संबंधित किसानों को प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है । राजबहा की खुदाई पूरी हो चुकी है तथा पानी का उपयोग हो रहा है ।

अनेई राजबहा और अकोढ़ा माइनर की भूमि के बारे में भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा रही है ।

जी हां ।

वसूली आदेश के विरुद्ध शीतगृह मालिकों द्वारा कोल्ड स्टोरेज अभिकरण में अपील दायर होने के कारण निर्णय के उपरान्त कार्यवाही

11–श्री लाल जी वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, जौनपुर ने मेसर्स किसान कोल्ड स्टोरेज, उसरहहा, शाहगंज, जौनपुर को वर्ष 1988 में श्री घनश्याम वर्मा आदि निवासीगण टाण्डा तहसील, जनपद फैजाबाद के 23 कृषकों के आलू भंडारण के वापसी हेतु दिनांक 6-9-90 को वसूली आदेश पारित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कोल्ड स्टोरेज मालिक द्वारा उक्त आदेश का परिपालन किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी उक्त आदेश का परिपालन कराना सुनिश्चित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नही उठता ।

वसूली आदेश के विरुद्ध शीतगृह मालिकों द्वारा उ० प्र० कोल्ड स्टोरेज अधिकरण में अपील दायर कर दी गई है जो विचाराधीन है । अधिकरण द्वारा अपील पर निर्णय के उपरान्त ही कोई कार्यवाही की जा सकेगी ।

12–श्री राम औतार शाक्य–

[तीसरे मंगलवार में अता० प्र० सं० 191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

13–श्री राम औतार शाक्य–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद सुल्तानपुर के कादीपुर विधान सभा क्षेत्र के गांवों की विद्युतीकरण की स्थिति

14–श्री राम चन्द्र चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर के सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या अनुरखा, धर्मापुर, बांगरमऊ, बाछापारा तथा टंडवा खुर्द आदि ग्रामों का फर्जी विद्युतीकरण किया गया दर्शाया गया है ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उल्लिखित ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

अनुरखा, बांगरपुर, बाछापारा तथा टण्डवाखुर्द ग्राम जनगणना पुस्तिका 1981 में अंकित नहीं है । जनगणना पुस्तिका 1981 में उक्त ग्रामों के नाम से मिलते-जुलते ग्राम यथा उन्दरखा (231), टण्डवा खुर्द (637), बाछापारा (661), बांगरकला (770) एवं बांगरखुर्द (767) अंकित हैं । इन ग्रामों के विद्युतीकरण की स्थिति निम्नवत् है:–

1–उन्दुरखा– ग्राम सी० ई० ए० परिभाषा से विद्युतीकृत है ।

2–धर्मापुर– ग्राम सी० ई० ए० परिभाषा से 31-3-81 को विद्युतीकृत दर्शाया गया है जो कि गलती के कारण है । अभिलेख में आवश्यक संशोधन कर लिये गये हैं ।

3–बांगरखुर्द– ग्राम एल० टी० मेन्स बिछाकर विद्युर्तीकृत है ।

4_बाछापारा– ग्राम एल० टी० मेन्स बिछाकर विद्युतीकृत हैं । एक लाइट कनेक्शन भी है । गांव के सघन विद्युतीकरण के लिये 28 पोल का प्राकलन स्वीकृत हुआ था तद्नुसार 28 पोल गांव में ले जाये गये हैं । परन्तु संसाधन की कमी के कारण विद्युतीकरण नहीं किया जा सका ।

5–टण्डवाखुर्द– ग्राम सी० ई० ए० परिभाषा से 31-3-86 को विद्युतीकृत दर्शाया गया है जो कि गलती के कारण है । अभिलेख में आवश्यक संसाधन कर लिये गये हैं ।

उल्लिखित ग्रामों का विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त होने पर किया जायेगा ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्राम गरोती का विद्युतीकरण

15–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा, विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्राम सभा गरोती में 10 वर्ष पहले तार व खम्भे खींचे गये थे ? यदि हां, तो क्या ग्राम को विद्युतीकरण योजना में रखा गया ? यदि हां, तो आज तक ग्राम में विद्युत सप्लाई न देने का कारण क्या है ? क्या सरकार कनेक्शन धारियों के जो पैसे जमा किये गये थे, उनकी धनराशि ब्याज सहित वापस करेगी ? यदि नहीं, तो उक्त ग्राम का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टंडन–

जी हां ।

ग्राम पहले से ही विद्युतीकृत है ।

प्रश्नगत ग्राम को दिनांक 8-3-83 को एल० टी० लाइन द्वारा विद्युतीकृत करके विद्युत आपूर्ति की गयी थी किन्तु किसी भी ग्रामवासी ने कनेक्शन हेतु आवेदन नहीं किया । अन्तराल में वर्ष 1988 में ग्राम में लगा ट्रांसफार्मर जल गया एवं 11 के० वी० लाइन के तार भी चोरी चले गये ।

इसके पश्चात् 10 ग्रामवासियों ने बत्ती एवं पंखे के कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र दिये एवं रुपये 25 प्रति व्यक्ति की दर से अग्रिम धनराशि जमा की किन्तु उपरोक्त आवेदकों ने कनेक्शन हेतु वांछित औपचारिकतायें पूरी नहीं की जिसके कारण उन्हें कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं । अग्रिम धनराशि वापस करने का नियमों में कोई प्राविधान नहीं है ।

चोरी गई लाइन को पुनः स्थापित करने हेतु रुपये 44,400/- (चौवालिस हजार चार सौ मात्र) का प्राक्कलन बनाया गया है और संसाधन उपलब्ध होने पर लाइन को चालू किया जा सकता है ।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की घुघली इकाई में विगत 5 वर्षों में खरीदे गये आक्सीजन के गैस सिलेण्डरों का विवरण

16–श्री रमाकान्त यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शुगर मिल, घुघली, जनपद गोरखपुर में विगत पांच वर्षो में कुल कितने आक्सीजन गैस सिलेण्डर खरीदे गये ? पेमेण्ट रजिस्टर के मुताबिक माहवार कितने-कितने सिलेण्डर, कितने-कितने सी० एम० के और किस-किस फर्म से खरीदे गये ? क्या मंत्री जी फर्मो के नाम पते की सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की घुघली इकाई में विगत 5 वर्षो (वर्ष 1987-88 से 1991-92 22-2-92 तक) में कुल 3191 आक्सीजन के गैस सिलेण्डर मेसर्स शक्ति गैस एजेन्सीज, रामकोला, देवरिया से क्रय किये गये हैं ।

वांछित विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 132 -133 पर)

गोरखपुर के खड्गपुर शाहपुर बन्धे के विषय में की गई शिकायत के संदर्भ में कृत कार्यवाही की जानकारी

17-श्री मारकण्डेय चन्द्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा गोरखपुर के खड़गपुर शाहपुर बन्धे के विषय में 5 जुलाई, 1991 को मुख्य मंत्री को दिये गये शिकायती पत्र जिसकी जांच दिनांक 29 जुलाई को मुख्य अभियन्ता विश्व बैंक (परिकल्प) द्वारा की गयी थी, के संदर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा पुनः दिनांक 13 अगस्त, 1991 को मंत्री जी को दिये गये पत्र पर समग्र रूप से क्या कार्यवाही की गई हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उपलब्ध सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित पत्र दिनांक 13 अगस्त, 1991 तो प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है परन्तु प्रश्न में उल्लिखित मा० प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 5 जुलाई, 1991 में उल्लिखित मामले की जांच आख्या मुख्य अभियन्ता विश्वबैंक (परिकल्प) के माध्यम से प्राप्त हुई तथा जांच आख्या के आधार पर एक अधिशासी अभियन्ता, एक सहायक अभियन्ता तथा एक अवर अभियन्ता को दोषी पाया गया तथा इन तीनों कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कराये जाने का निर्णय लिया जा चुका है । इनमें से सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता को निलम्बित भी कर दिया गया है ।

गोरखपुर जनपद के धुरियापार विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1988-89, 89-90 एवं 90-91 में चयनित गांवों में विद्युतीकरण

18–श्री मारकण्डेय चन्द्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिवर्ष गावों में विद्युतीकरण के लिये गांवों के चयन की क्या प्रक्रिया है ? गोरखपुर जनपद के विधान सभा क्षेत्र धुरियापार में वर्ष 1988-89. 89-90 एवं 90-91 में कौन-कौन गांव चयनित किये गये ? क्या चयनित गांवों में विद्युतीकरण सम्पन्न हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जिले में विद्युतीकरण हेतु ग्रामों का चयन करने के लिये एक जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्य ज़िले के सभी माननीय सांसद/सदस्य विधान सभा, सदस्य विधान परिषद् एवं शासन के अन्य विभागों के प्रतिनिधि होते हैं । उपरोक्त समिति जिले के लिये निश्चित किये गये लक्ष्यों के अनुरूप विद्युतीकरण हेतु ग्रामों का चयन करती है ।

गोरखपुर जनपद के विधान सभा क्षेत्र धुरियापार में वर्ष 1988-89, 89-90 व 90-91 में चयनित ग्रामों की सूची एवं उनके विद्युतीकरण का दिनांक संलग्न सूची† में दिया गया है ।

सभी चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है ।

संसाधनों की कमी के कारण सभी चयनित ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया जा सका है ।

गोरखपुर को गोलाबाजार निवास के हाते में बंधी गाय के करेन्ट लगने से हुई मृत्यु पर क्षति पूर्ति की मांग

19–श्री मारकण्डेय चन्द्र–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बतायेंगे कि गोरखपुर के गोला बाजार निवास के हाते में बंधी प्रश्नकर्ता की गाय के ऊपर विद्युत का एक तार दिनांक 27-7-85 को टूटकर गिर जाने से गाय की मृत्यु से हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिये प्रश्नकर्ता द्वारा की गयी मांग पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या क्षतिपूर्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

क्षतिपूर्ति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही राज्य विद्युत परिषद् द्वारा की जा रही है ।

20–श्री मारकण्डेय चन्द्र–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

21–श्री विजय सिंह–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

22– श्री विजय सिंह–

[दिनांक 27-2-92 को अता० प्र० सं० 172 द्वारा उत्तरित]

सिंचाई विभाग के अनुसंधान एवं नियोजन के अधिकारियों की भांति कृषि विभाग के अनुसंधान एवं नियोजन अधिकारियों को वेतन भत्ते दिये जाने की मांग

23–श्री हरि नरायन–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि सिंचाई विभाग के अनुसंधान एवं नियोजन संगठन में कार्यरत विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारियों को विशेष वेतन एवं अन्य भत्ते दिये जाते हैं ? यदि हां, तो अनुसंधान

---

† छापी नहीं गई ।

एवं नियोजन संगठन में कृषि विभाग के कितने विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारी कार्यरत हैं ? क्या इन अधिकारियों को अनुसंधान एवं नियोजन संगठन के अन्य अधिकारियों की तरह विशेष वेतन एवं अन्य भत्ते दिए जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन्हें ये सुविधायें कब तक प्रदान कर दी जायेंगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई विभाग के अनुसंधान एवं नियोजन सगठन हेतु कोई विशेषज्ञ संवर्ग गठित नहीं है । विभाग में अवर अभियन्ताओं तथा अभियंत्रण सेवा के विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, तैनाती/स्थानान्तरण एवं पदोन्नति के लिये प्रक्रिया निर्धारित करते हुये परिकल्प, अनुसंधान, नियोजन, शोध तथा प्रशिक्षण शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विशेष वेतन एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य करायी गयी हैं ।

विभाग के अनुसंधान एवं नियोजन संगठन में कृषि विभाग के एक अधीक्षण एग्रोनामिस्ट तथा एक वरिष्ठ एग्रोनामिस्ट कार्यरत हैं ।

जी नहीं, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के लिये निर्धारित प्रशिक्षण, तैनाती/स्थानान्तरण एवं पदोन्नति की प्रक्रिया एवं विशेष वेतन आदि के आदेश इन अधिकारियों पर लागू नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण मण्डल के अधीन चयन समिति–2 द्वारा जूनियर मीटर टेस्टर की विभागीय परीक्षा के आयोजन के उपरान्त प्रशासनिक कठिनाई के कारण परीक्षाफल का न घोषित किया जाना

24–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण मण्डल, गोरखपुर के अधीन चयन समिति सं०–2 द्वारा दिनांक 25-3-91 को जूनियर मीटर टेस्टर की विभागीय परीक्षा आयोजित की गई थी ? यदि हां, तो कितने अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार दिया ? उनके नाम क्या हैं ? क्या तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता ने अपने पत्र सं०–2602 एच० जी०/एच० ए०-2 ई-15/जेएमटी आर, दिनांक 27-3-90 को श्री सी० एम० पुन्हानी, कनवीनर को कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो श्री पुन्हानी द्वारा उस पर क्या टिप्पणी की गयी, विलम्ब के लिये इसमें दोषी कौन है ? इसका कब तक परिणाम घोषित कर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टंडन–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण मंडल, गोरखपुर के अधीन चयन समिति संख्या–2 द्वारा दिनांक 25-3-89 को न कि 25-3-1991 को जूनियर मीटर टेस्टर की विभागीय परीक्षा आयोजित की गई थी । इस परीक्षा में 7 अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार दिया जिनके नाम निम्न हैं:–

1–सर्वश्री राम बिलास सिंह
2–सुदामा प्रसाद गुप्ता
3–सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता
4–बांके
5–राज कुमार सिंह
6–राम नारायन
7–आनन्द कुमार शाही

तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2602 एच जी/एच. ए–2/ई–15/जे एम टी आर दिनांक 27-3-90 को श्री सी० एम० पुन्हानी, कनवीनर से कुछ सूचनाएं मांगी थीं जिस पर उन्होंने यह टिप्पणी दी थी कि पत्रावली श्री फूल चन्द्र अधिशासी अभियन्ता के पास है ।

चूंकि इसी अवधि में जनपद बस्ती तथा गोरखपुर नगरीय क्षेत्र का नियंत्रण क्रमशः बस्ती मंडल एवं नगरीय विद्युत वितरण मंडल, गोरखपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया था अतः पदों के बंटवारे के फलस्वरूप गोरखपुर वितरण मंडल, गोरखपुर के अंतर्गत जे० एम० टी०आर० का कोई पद रिक्त नहीं है । इसलिये उसका परिणाम घोषित करना भी संभव नहीं है जिसके लिये कोई दोषी नहीं है ।

विद्युत वितरण खण्ड प्रथम देवरिया में अधिकारियों /बिल लिपिकों के भ्रष्ट आचरण और अवैध वसूली पर लगाये गये आरोपों की जांच

25–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-11-91 जो कि ऊर्जा मंत्री को सम्बोधित था तथा संलग्नक श्री मुक्ति नाथ जायसवाल का पत्र जो मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) शक्ति भवन विस्तार को लिखा गया था जिसमें विद्युत वितरण खंड प्रथम, देवरिया में अधिकारियों/बिल लिपिकों के भ्रष्ट आचरण और अवैध वसूली का उल्लेख था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

जी हां ।

मुख्य अभियंता गोरखपुर क्षेत्र गोरखपुर से जांच कराई जा रही है । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

26–श्री बी० आर० वर्मा–

(सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया)

27–श्री राम आसरे वर्मा–

(मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया)

मण्डी समिति लालगंज जिला रायबरेली एवं मण्डी समिति हरदोई के कार्यकारी मंडी अध्यक्ष (एस० डी० एम०) द्वारा शासन द्वारा नियुक्ति पर रोक लगाने के बावजूद की गई नियुक्ति के संदर्भ में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

28–श्री तेज भान सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा की करेंगे कि श्री ओम प्रकाश सिंह, ग्राम व पो०-निहस्था, जिला-रायबरेली का मंत्री जी को सम्बोधित पत्र तथा प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित दिनांक 9-8-91 का पत्र जिसमें मंडी समिति लालगंज जिला रायबरेली में एवं मण्डी समिति हरदोई के कार्यकारी मंडी अध्यक्ष (एस० डी० एम०) द्वारा शासन द्वारा नियुक्ति पर रोक के बावजूद गलत नियुक्ति कर लेने की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में जांच किस अधिकारी ने की तथा जांच के बाद क्या कोई कार्यवाही की गई हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

संभागीय उप निदेशक (प्रशासन) लखनऊ ने ।

जी नहीं ।

जांच आख्या दिनांक 11-2-92 को मण्डी परिषद् मुख्यालय पर प्राप्त हुई है जो परीक्षण में है ।

स्व० श्री बेचू राम मेठ के अवशेषों के बारे में दावेदार द्वारा उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र न प्रस्तुत करने से अवशेषों का न दिया जाना तथा उ० प्र० सेवा काल में मृत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के अंतर्गत विपतराम को न नियुक्त किया जाना

29–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्य प्रबन्धक सिंचाई कार्यशाला खण्ड मेरठ को संबोधित अन्डर पो० स० फि० दिनांक 24-9-85 एवं दिनांक 1-1-88 का रजि० एवं दिनांक 6-10-89 को प्राप्त कराया गया श्री विपत राम सिंचाई निर्माण खंड ओखला नई दिल्ली का प्रार्थना-पत्र जिसमें उसके नाना श्री बेचूराम पुत्र विरई तत्कालीन मेठ की मृत्योपरान्त विभाग में पड़े अवशेषों की मांग की गयी है, प्राप्त हुआ है ? क्या दावेदार ने मृत्यु प्रमाण-पत्र वारिस प्रमाण-पत्र प्रेषित कर दिया है ? यदि हां, तो अब तक संबंधित मामले का निस्तारण न करने का क्या कारण है ? क्या उपरोक्त वारिस दावेदार को मृतक के स्थानपर नियुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

श्री विपतराम का पत्र दिनांक 24-9-85 एवं 1-1-88 प्राप्त नहीं हुआ है । श्री विपतराम का अन्य पत्र दिनांक 29-3-85 तथा दिनांक रहित पत्र दिनांक 30-5-85 को प्राप्त हुआ है । स्व० बेचूराम मेठ के अवशेषों के बारे में दावेदार द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं नोटरी का इकरारनामा प्रस्तुत किया गया है, किन्तु कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके अभाव में स्व० बेचूराम के अवशेष धनराशि का प्रकरण अनिस्तारित पड़ा हुआ है । उ० प्र० सेवा काल में मृत्यु कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के अन्तर्गत श्री विपत राम नियुक्ति के पात्र नहीं हैं ।

जनपद सोनभद्र के अनपरा तापीय परियोजना "अ" में विस्थापितों को श्रेणी एक व श्रेणी दो में न लिया जाना तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में विस्थापितों की नियुक्ति की मांग

30–श्री विजय सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के अनपरा तापीय परियोजना "अ" में कितने विस्थापितों को श्रेणी एक व श्रेणी दो तथा श्रेणी तीन और श्रेणी चार के पदों पर नौकरी दी गयी है ?

श्री लालजी टंडन–

अनपरा तापीय परियोजना "अ" में श्रेणी एक व श्रेणी दो में किसी भी विस्थापित की नियुक्ति नहीं की गई है ।

जहां तक श्रेणी तीन व श्रेणी चार का प्रश्न है, इस संबंध में सूचनीय है कि अनपरा "अ" तापीय परियोजना के अन्तर्गत कुल 215 विस्थापितों की नियुक्ति की गई है जिनमें से 33 तृतीय श्रेणी के तथा 182 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं।

स्वतंत्र फीडर के लिये बरेली मण्डी समिति ने 12 वर्ष पूर्व उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के बरेली स्थित विद्युत वितरण खण्ड प्रथम में जमा धनराशि तथा फीडर न लगने के कारणों की जानकारी

31–डा० दिनेश जौहरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली मण्डी समिति ने लगभग 12 वर्ष पूर्व विद्युत में स्वतंत्र फीडर के लिये उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के बरेली स्थित विद्युत वितरण खण्ड प्रथम में धन जमा कराया था ? यदि हां, तो अब तक यह स्वतंत्र फीडर वहां क्यों नहीं लगाया गया है ? क्या यह फीडर शीघ्र वहां लगा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

सूचना एकत्र की जा रही है।

लघु डाल नहरों को प्रति क्यूसेक के हिसाब से 4,000 रु० की धनराशि स्वीकृत एवं वर्तमान महंगाई को देखते हुए धनराशि बढ़ाने का प्रकरण विचाराधीन

32–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ० प्र० में पम्प नहर को 1976 में प्रति क्यूसिक के हिसाब से 4,000 रु० धनराशि स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो क्या तब से बराबर महंगाई वृद्धि को दृष्टिगत करते हुए रु० 4,000 से अधिक धनराशि दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार महंगाई के आधार पर वर्तमान समय में रु० 10,000 प्रति क्यूसिक धनराशि देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, लघु डाल नहरों के प्रति क्यूसिक के हिसाब से रु० 4,000 धनराशि स्वीकृति है।

जी नहीं।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

प्रकरण पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

जनपद बांदा में विद्युत आपूर्ति में अवर अभियन्ताओं द्वारा की जा रही अनियमितताओं की शिकायत एवं उनके विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

33–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में विद्युत आपूर्ति में अवर अभियन्ताओं द्वारा की जा रही गड़बड़ी संबंधी प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र मुख्य मंत्री को दिनांक 3-9-91 को पत्रांक 'क' नं०-195682 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ?

श्री लालजी टंडन–

सूचना एकत्र की जा रही है।

34–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

आगरा के फाउन्ड्री नगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री में जय श्री प्लास्टिक एवं जय श्री पैकिंग कम्पनी में हो रही अनियमितता के कारण डाले गये छापे के बाद दोषी कर्मचारियों को दण्डित न किये जाने का कारण

35–श्री विजय पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फाउन्ड्री नगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री में जयश्री प्लास्टिक एवं जयश्री पैकिंग कम्पनी में दिनांक 7-11-88 को विद्युत विभाग द्वारा डाले गये छापे में क्या-क्या अनियमिततायें पायी गयीं थीं ? क्या उक्त सम्पूर्ण प्रकरण स्टेट विजीलेन्स को जांच हेतु सौंपा गया था ? क्या उसमें स्टेट विजीलेन्स की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त रिपोर्ट को सदन के पटल पर प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं तो प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी लोगों को दण्डित किये जाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? तो क्यों नहीं ?

श्री लाल जी टंडन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कृषि सेवा श्रेणी–2 से कृषि सेवा श्रेणी–1 में प्रोन्नति/पदोन्नति का मामला

36–श्री किशोरी लाल यादव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि सेवा श्रेणी–2 से श्रेणी–1 में प्रोन्नति के प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सेक्शन बी एवं सेक्शन डी के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची तैयार कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो प्रोन्नति का नैतिक आधार क्या होगा ? क्या उपरोक्त वरिष्ठता सूची में लोक सेवा आयोग/विनियमितीकृत सीधी भर्ती (तदर्थ नियुक्ति) अधिकारियों की श्रेणी–2 में योगदान तिथि को उनकी वरिष्ठता का मापदण्ड बनाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अभी तक श्रेणी–2 में वर्ष 1972 से सीधी भर्ती (तदर्थ नियुक्ति) अधिकारी जो निरन्तर लगभग 19 वर्षों से विभाग की सेवा कर रहे हैं, को भी प्रोन्नति प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उपरोक्त प्रकरण में भूमि संरक्षण अनुभाग के पदों हेतु अल्पसंख्यक अभियन्ताओं के लिये निर्धारित कोटे को पूर्ण किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वरिष्ठता, सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार मौलिक नियुक्ति के आदेश जारी होने के दिनांक से निर्धारित की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता

श्रेणी–11 से श्रेणी–1 में प्रोन्नति कृषि सेवा (श्रेणी–1) नियमावली के प्राविधानों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । श्रेणी–11 से श्रेणी–1 में प्रोन्नति संबंधित सेक्शन की एकल वरिष्ठता सूची के आधार पर की जाती है । अतः अलग से कोटा निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के पुरवा रजबहा तथा पसियोही माइनर हेतु किसानों की अधिगृहीत भूमि के अर्जन की कार्यवाही पूर्ण होने पर प्रतिकर का भुगतान

37–श्री किशोरी लाल यादव–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के पुरवा रजबहा तथा पसियोही माइनर हेतु किसानों की भूमि अधिगृहीत की गई है ? यदि हां, तो क्या किसानों को मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो भुगतान कब तक कर दिया जायगा ? अब तक का भुगतान न करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगें ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पुरवा रजबहा के निर्माण हेतु कि० मी० 0.0 से 21.600 तक भूमि अधिग्रहीत की गई है, जिसमें कि० मी० 0.0 से 8.28 तक का रु० 13,15,831.00 का प्रतिकर वितरित किया जा चुका है । शेष ग्रामों हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा रही है । अर्जन की कार्यवाही पूर्ण होने पर प्रतिकर का भुगतान कर दिया जायेगा ।

पसियोही माइनर के निर्माण हेतु कि० मी० 0.0 से 6.06 कि० मी० की भूमि के संबंध में अर्जन की कार्यवाही की जा रही है । अर्जन की कार्यवाही पूर्ण होने पर प्रतिकर का भुगतान कर दिया जायेगा ।

[illegible] तापीय परियोजना में श्रेणी एक श्रेणी दो श्रेणी तीन तथा श्रेणी चार में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या की जानकारी

38–श्री विजय सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र अनपरा तापीय परियोजना में श्रेणी एक, श्रेणी दो, श्रेणी तीन और श्रेणी चार में कुल कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

अनपरा "अ" तापीय परियोजना के अन्तर्गत श्रेणी एक में 39, श्रेणी दो में 148, श्रेणी तीन में 1,046 और श्रेणी चार में 320 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं ।

अनपरा "ब" तापीय परियोजना के अन्तर्गत श्रेणी एक में 25, श्रेणी दो में 49, श्रेणी तीन में 109 और श्रेणी चार में 57 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

39–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

40–श्री तेजभान सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

अधिशासी अभियन्ता विद्युत विकास खंड गौरीगंज सुल्तानपुर के आदेश से ट्रांसफार्मर का हटाया जाना तथा कनेक्शन की औपचारिकता पूर्ण न होने से कनेक्शन न दिया जाना

41–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत वि० खण्ड गौरीगंज सुल्तानपुर तथा अधीक्षण अभि० विद्युत वितरण मण्डल सुल्तानपुर एवं मुख्य अभियन्ता, दरियाबाद लखनऊ को सम्बोधित ग्राम-वासीगण अकुइया तहसील गौरीगंज जनपद सुल्तानपुर का दिनांक 8-4-91 के रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र जिसमें ग्राम में लगे ट्रांसफार्मर को अन्यत्र उठा ले जाने तथा बिगड़े ट्रांसफार्मर लगा देने व लाइन के टूटे होने की शिकायत की गई है, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो ट्रांसफार्मर किसके आदेश से हटाया गया ? उक्त गांव में कितने लोगों ने पंखा, बत्ती कनेक्शन हेतु संविदा करके पैसा जमा किया है ? अब तक उन्हें कनेक्शन न देने का क्या कारण है ?

श्री लालजी टंडन–

जी नहीं ।

उक्त ग्राम में 25 के० वी० ए० क्षमता का ट्रांसफार्मर लगा था जिसको संबंधित अधिशासी अभियंता के आदेश से हटाया गया था ।

प्रश्नगत ग्राम में केवल एक ग्रामवासी ने मात्र सर्विस कनेक्शन की धनराशि जमा की थी । उपरोक्त ग्रामवासी ने भी कनेक्शन हेतु अन्य औपचारिकतायें यथा अनुबन्ध और वी० एण्ड एल० फार्म जमा करने का कार्य पूरा नही किया था जिसके कारण उसे भी कनेक्शन नहीं दिया जा सका ।

42-44–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

जनपद फैजाबाद के नगर क्षेत्र फैजाबाद में पुलिस लाइन कुंज कुटीर कालोनी, तहसील कालोनी, जनाना अस्पताल परिसर कालोनी आदि में अवैध कनेक्शन की शिकायतें

45–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के नगर क्षेत्र फैजाबाद में पुलिस लाइन कुंज कुटीर कालोनी, तहसील कालोनी, जनाना अस्पताल परिसर कालोनी आदि में कटिया लगाकर अवैध रूप से लाइन खींचकर अनेकों लोगों द्वारा विद्युत चोरी किये जाने के बारे में, पूर्व खाद्य मंत्री श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, समाजवादी विचार मंच के संयोजक श्री अशोक श्रीवास्तव द्वारा गत 2 वर्षो में कई बार लिखित शिकायतें करने के बाद भी जनपद के विद्युत विभाग के अधिकारियों तथा विद्युत परिषद् के विजीलेन्स सेल द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

पूर्व खाद्य मंत्री उ० प्र० के जन सम्पर्क अधिकारी श्री अशोक श्रीवास्तव का पत्र दिनांक 7-5-91 अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मण्डल, फैजाबाद के कार्यालय में प्राप्त हुआ था ।

श्री अशोक श्रीवास्तव ने अपने पत्र में महिला चिकित्सालय के आवासीय कालोनी में कई वर्षों से हो रही तथाकथित विद्युत चोरी का उल्लेख किया था, पत्र प्राप्त होने के तत्काल बाद उक्त परिसर में जाकर विद्युत अधिकारियों ने निरीक्षण किया था वहां कोई अवैध कनेक्शन नहीं पाया गया ।

प्रश्न में उल्लिखित स्थानों, पुलिस लाइन, कुंज कुटीर कालोनी तथा तहसील कालोनी में कोई कनेक्शन अवैध नहीं पाया गया । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि डिप्लोमा प्रशिक्षण कार्यक्रम का समाप्त किया जाना तथा वर्ष 1980 से 1985 तक कृषि प्रसार डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला

46–डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन के अन्तर्गत चल रहे कृषि डिप्लोमा प्रशिक्षण कार्यक्रम को क्यों समाप्त कर दिया गया है ? क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि वर्ष 1980 से 1985 के अन्तराल में कृषि प्रसार डिप्लोमा प्राप्त बेरोजगारों की संख्या कितनी है ? क्या यह सत्य है कि डिप्लोमा प्राप्त 3000 नवयुवक आयु सीमा पार करने के कारण बेरोजगारी की दोहरी मार झेल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कृषि सेवा संवर्ग-3 में कृषि स्नातकों की सीधी भर्ती के कारण इन डिप्लोमा धारकों के रोजगार के सभी अवसर छिन गये हैं ? यदि हां, तो क्या शासन उपरोक्त डिप्लोमा धारकों को कृषि विभाग में रोजगार उपलब्ध कराने की किसी योजना पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

पूर्व में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की व्यवस्था इस उद्देश्य से की गयी थी कि तत्समय कृषि स्नातक अभ्यर्थी कम उपलब्ध होते थे, किन्तु बाद में कृषि स्नातक/स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों की उपलब्धता में पर्याप्त बढ़ोत्तरी होने पर इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की उपयोगिता नहीं समझी गयी ।

वर्ष 1980 से 1985 तक 2,808 अभ्यर्थियों को कृषि प्रसार डिप्लोमा प्रदान किया गया । कृषि विभाग को इनमें से बेरोजगारों की संख्या ज्ञात नहीं है ।

कृषि प्रसार डिप्लोमाधारियों को नौकरी देने का दायित्व कृषि विभाग का नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गढ़वाल मण्डल में विद्युत अप्रेन्टिस किये बेरोजगारों को नियुक्ति प्रदान करने की मांग

47–डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल के विद्युत क्षेत्र में अप्रेन्टिस किये बेरोजगारों की मांगों पर कोई विचार चल रहा है ? क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत रिक्तियों की भर्ती में विद्युत अप्रेन्टिस किये बेरोजगारों की अनदेखी की जा रही है ? यदि हां, तो क्या इन अप्रेन्टिस शुदा बेरोजगारों की, उक्त मण्डल में नियुक्त करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

जी हां, विचार किया गया है । अप्रेन्टिस किये बेरोजगारों की अनदेखी नहीं की जा रही है । उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में प्रति वर्ष विभिन्न व्यवसायों में 5429 शिक्षु, शिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं । अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार प्रशिक्षणपूर्ण होने पर शिक्षुओं का विभाग से संबंध स्वतः समाप्त हो जाता है । परिषद् द्वारा आदेश संख्या-370, दिनांक 28-1-91 द्वारा

प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षुओं को सीधी भर्ती के समय परिषद् की सेवा में अन्य अभ्यर्थियों के समान योग्यता का समुचित ध्यान रखते हुए वरीयता दिये जाने के आदेश किये जा चुके हैं । परिषद् में नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है जिसके कारण नई नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं ।

लखीम्पुर खीरी सिंचाई खण्ड द्वितीय/सिंचाई खण्ड शारदा नहर के विकास खण्ड रमिया बेहड़ में ग्राम लखाही-दुल्ही तथा रामनगर बगहा के अन्तर्गत मोटेबाबा के स्थान पर सीपेज ड्रेन पर पुलिया के निर्माण की मांग

48–श्री बाला प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई खण्ड द्वितीय/सिंचाई खण्ड शारदा नगर लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खंड रमियाबेहड़ में ग्राम लखाही-दुल्ही तथा रामनगर बगहा के अन्तर्गत मोटेबाबा स्थान के पास सीपेज ड्रेन का निर्माण कराया गया है किन्तु ग्रामवासियों के लिये पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में पुलिया का निर्माण प्रस्तावित स्थान पर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । सिंचाई ख़ण्ड शारदानगर लखीमपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड रमिया बेहड़ में ग्राम लखाही-दुल्ही के पास सीपेज ड्रेन का निर्माण कराया गया है परन्तु इस ड्रेन पर उक्त ग्राम के समीप पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया है ।

रामनगर बगहा के अन्तर्गत मोटे बाबा स्थान के पास ड्रेन का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा नहीं कराया गया है ।

ड्रेन पर पुल निर्माण का कार्य नहर बन्दी के समय ही सम्भव है । अल्प अवधि होने के कारण प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यों का नियोजन किया जाता है । इस पुल का निर्माण भी उपरोक्तानुसार ही कराया जायेगा ।

मोटेबाबा स्थान पर नाला विभागीय न होने के कारण पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अगली दो नहर बंदियों में निर्माण किया जाना संभव हो सकेगा ।

मोटेबाबा स्थान पर ड्रेन विभागीय न होने के कारण पुल बनाने का प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद खीरी में सुहैली परियोजना के अन्तर्गत ग्राम जमौहरा से धौरहरा तक नहर की खुदाई मानक के अनुसार न कराये जाने की शिकायत

49–श्री बाला प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई खण्ड शारदा नगर खीरी के अन्तर्गत सुहैली परियोजना ग्राम जमौहरा से धौरहरा तक नहर के खुदाई का कार्य करवाया गया है किन्तु जमौहरा से आगे नहर में पानी नहीं चढ़ता है ? यदि हां, तो क्या नहर की खुदाई मानक के अनुसार नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

नहर की खुदाई का कार्य मानक के अनुसार कराया गया है परन्तु कुछ गैप छूटे होने के कारण पानी आगे नहीं जा पाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

50-श्री राम प्रसाद सिंह–

[तीसरे मंगलवार में अता० प्र० सं० 192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय नलकूप किरतपुर व बावतपुर पब्लिक नलकूप (प्रथम) पिंडरा, ब्लाक पिंडरा व कविरामपुर तथा कनियर (द्वितीय) ब्लाक बड़ा गांव, जिला वाराणसी में बन्द ट्यूबवेलों को ठीक कराने की मांग

51-श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप किरतपुर व बावतपुर पब्लिक नलकूप (प्रथम) पिंडरा, ब्लाक पिंडरा व कविरामपुर तथा कनियर (द्वितीय) ब्लाक बड़ागांव, जिला-वाराणसी लगभग 6 माह से बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्या इन ट्यूबवेलों को अब तक ठीक कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

52–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद बांदा में विद्युत विभाग की मरम्मत (ओ० एण्ड एम०) हेतु वर्ष 1990-91से व्यय की गई धनराशि का तथा दिये गये कनेक्शनों का विवरण

53–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में विद्युत विभाग को विद्युत मरम्मत हेतु वर्ष 1990-91 में कितनी धनराशि दी गयी है तथा उनका माहवार विवरण क्या है ? क्या अवर अभियन्ताओं द्वारा कनेक्शन के नाम पर अवैध धन वसूल किया जा रहा है ? अब तक कितने लोगों को कनेक्शन दे दिये गये हैं, कितने शेष हैं एवं कितने दिनों से लम्बित हैं ?

श्री लालजी टंडन–

जनपद बांदा में विद्युत वितरण खण्ड बांदा को लाइन व सब-स्टेशन की मरम्मत (ओ० एण्ड एम०) हेतु वर्ष 1990-91 में रू० 5,53,500/ दिये गये ।

उक्त धनराशि का माहवार विवरण निम्न है:–

माह	धनराशि
4/90	रुपये शून्य
5/90	,, 91.000/-
6/90	.. 109.000/-
7/90	.. 580.000/-
8/90	.. शून्य
9/90	.. 46500/-

माह	धनराशि
10/90	रुपये शून्य
11/90	,, 65,000/-
12/90	शून्य
1/91	,, 65000/-
2/91	,, 65,000/-
3/91	,, 54,000/-

जी नहीं ।

अब तक कुल 33682 कनेक्शन दिये गये तथा कुल 538 कनेक्शन देना शेष हैं जिसमें तीन माह से कम समय से लंबित 341 कनेक्शन हैं, तीन माह से छः माह तक के 135 कनेक्शन हैं तथा छः माह से अधिक के 62 कनेक्शन हैं ।

जनपद बांदा एवं हमीरपुर स्थित नलकूप निर्माण खण्ड के निर्माण कार्यों में खर्च की गई धनराशि का विवरण एवं विकास खंड जसपुरा में राजकीय नलकूपों का चालू किया जाना

54–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में नलकूप निर्माण खण्ड बांदा को वर्ष 1989-90 व 1990-91 में कितनी धनराशि दी गयी है ? किन-किन मदों में कितनी धनराशि खर्च की गयी है ? क्या राजकीय नलकूप विकास खंड जसपुरा में नलकूप संख्या–31 व 26 को अभी तक चालू नहीं कराया गया ? यदि हां, तो क्यों ? यदि चालू कराया गया जायेगा, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद बांदा स्थित नलकूप निर्माण खंड बांदा को जनपद बांदा एवं हमीरपुर के निर्माण कार्यों एवं वेतन तथा भत्तों हेतु वर्ष 1989-90 में रु० 45.58 लाख और 1990-91 में खण्ड के विघटन तक रु० 14.30 लाख की धनराशि उपलब्ध हुई थी ।

विभिन्न मदों में खर्च की गई धनराशि का विवरण वर्षवार निम्न प्रकार है:–

क्र० सं०	मद	व्यय की गई धनराशि लाख रुपये में	
		1989-90	1990-91
1	नलकूप निर्माण	23.19	7.27
2	दौलतपुर पंप नहर	6.25	.....
3	लमियारी पंप नहर	2.01	.....
4	वेतन एवं भत्ते (नियमित अधि०)	13.96	6.93
		.....	.....
	योग	45.41	14.20

विकास खण्ड जसपुरा में पुनः निर्मित राजकीय नलकूप संख्या-31 व 26 माह 1/92 में ऊर्जीकृत होकर चालू हो चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार 1/92 से चालू है ।

जनपद बस्ती के विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय द्वारा वर्ष 1984 से 1987 में 188 ग्रामों में विद्युतीकरण में हुए घपले की जांच

55–श्री रमाकान्त यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि बस्ती जनपद के विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय द्वारा वर्ष 1984-85 में 188 ग्रामों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकृत दिखाकर कम से कम पांच करोड़ रुपये का घपला किया गया जिसकी रिपोर्ट विद्युत विभाग के विजिलेंस निरीक्षक ने एफ० आई० आर० कायम करके करवायी है ? यदि हां, तो संबंधित अधिशासी अभियंता सहित अन्य मुल्जिमों को अब तक चार्ज पर रखने का क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी कठोर कार्यवाही की व्यवस्था करते हुए इतने दिन इस महत्व पूर्ण मामलों को लटकाये रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री लालजी टंडन–

जी हां ।

विद्युत वितरण खण्ड-II, बस्ती में नियुक्त तत्कालीन अवर अभियंताओं व सहायक अभियंताओं के विरुद्ध 188 ग्रामों के विद्युतीकरण के कार्य में माह 12/84 से 87 के मध्य विद्युत सामग्री तथा परिषदीय धन बेईमानी से हड़प लेने तथा फर्जी विद्युतीकरण के आरोपों की जांच निरीक्षक, सतर्कता शाखा, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, गोरखपुर द्वारा सम्पन्न की गई । जांच के परिणामस्वरूप इन परिषदीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध धारा 409/420/120 बी० भा० द० वि० का प्रथम दृष्ट्या अपराध पाया गया जिसके लिये अपराध सं०-501/89 थाना कोतवाली जनपद बस्ती में दिनांक 13-8-89 को पंजीकृत कर दिया गया है । विवेचना के उपरान्त प्राप्त तथ्यों के आधार पर इन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । सम्प्रति किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

मेसर्स जालौन कास्टिंग प्रा० लि०, मोहदीपुर जिला गोरखपुर का विद्युत कनेक्शन तथा मासिक उपभोग की रिपोर्ट

56–श्री रमाकान्त यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स जालौन कास्टिंग प्रा० लि० मोहदीपुर, जिला-गोरखपुर को विद्युत कनेक्शन किस वर्ष किस माह में दिया गया है ? कनेक्शन की तारीख से आज तक प्रतिमाह कितना यूनिट बिद्युत उपभोग किया गया और कितना के० वी० ए० डिमाण्ड प्रतिमाह आया ? फैक्ट्री का अनुबंधित भार क्या है ? साथ ही इस फैक्ट्री की जांच किस-किस एजेंसी ने कब-कब किया तथा जांच रिपोर्ट में कितना लोड आया ? कितने घंटे में हीट निकलती है तथा एक हीट में कितना माल तैयार होता है ?

श्री लालजी टंडन–

मेसर्स जालौन कास्टिंग प्रा० लि० मोहदीपुर, जिला गोरखपुर को विद्युत कनेक्शन माह अगस्त, 1987 में दिया गया है ।

कनेक्शन के दिनांक से 31-12-91 तक (प्रश्न का माह) मासिक उपभोग एवं डिमाण्ड प्रपत्र–1 में दर्शाया गया है जो संलग्न है ।

प्रपत्र–1 में संलग्न है ।

फैक्ट्री का अनुबंधित भार 1410 के वी० ए० है । जांच एजेंसी एवं जांच में पाये गये भार का विवरण प्रपत्र–2 में दर्शाया गया है, जो कि संलग्न है ।

लगभग 2 घंटे में हीट निकलती है ।

तथा

एक हीट में लगभग 1.5 टन माल तैयार होता है ।

[देखिये तत्थी "ख (1)" आगे पृष्ठ 134-135 पर]

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमार गंज फैजाबाद में नियमित कुलपति तथा पूर्व कार्यवाहक कुलपति एवं डीन डा० कीर्ति सिंह द्वारा की गई अनियमितताओं की सी० आई० डी० जांच

57– श्री पवन कुमार पांण्डेय–

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में दिनांक 5-2-1986 से, नियमित कुलपति तथा पूर्व कार्यवाहक कुलपति एवं डीन डा० कीर्ति सिंह द्वारा लाखों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं एवं नियुक्तियों के संबंध में गम्भीर भ्रष्टाचार की विधायकों/नागरिकों द्वारा जांच कार्यवाही की गयी शिकायतें मुख्य मंत्री जी व शासन के संज्ञान में लाई गई है ? यदि हां, तो इन महत्वपूर्ण लम्बित मामलों पर अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या कोई जांच समिति बनाकर सारे मामलों की जांच कराने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

इन मामलों में सी० आई० डी० जांच प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ में लघु सीमान्त कृषकों के सिंचाई हेतु 5 हार्स पावर तक के कनेक्शनों की स्वीकृति

58–श्री दलवीर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद में लघु सीमान्त कृषकों के सिंचाई हेतु तीन हार्स पावर नलकूप कनेक्शनों पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के नियमानुसार किसी नलकूप का विद्युत भार कम करने के बाद किसी भी दशा में 5 हार्स पावर से कम न होगा तथा अधिकतम 2.5 हार्स पावर कम कराया जा सकेगा ।

अलीगढ़ जनपद में जल स्तर इतना नीचा है कि 3 हार्स पावर से चलित निजी नलकूप व पम्प सेट सन्तोषजनक कार्य कर नहीं सकता अतः निजी नलकूप का कम से कम 5 हार्स पावर तक हीं कनेक्शन स्वीकृति किया जाता है ।

जनपद अलीगढ़ में अर्धनिर्मित विद्युत उपगृह इस्माइलपुर वीरपुरा, भरतरी तथा बरौली संसाधनों की उपलब्धता पर आगामी वर्ष में चालू किये जाने का प्रयास

59–श्री दलवीर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद में अर्धनिर्मित विद्युत उपगृह, इस्माइलपुर, वीरपुरा, भरतरी तथा प्रस्तावित विद्युत उपगृह बरौली का शीघ्र निर्माण कराने का शासन का विचार है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री लाल जी टंडन–

इस्माइलपुर, वीरपुराः–दोनों एक ही उप स्थान का नाम है जिसका अर्जन 31-3-91 को किया जा चुका है। 5 एम० वी० ए० ट्रांसफार्मर में तकनीकी कमी के कारण उपगृह पर लोड नहीं लिया जा सका है। उक्त उपसंस्थान का कुछ कार्य संसाधनों की कमी के कारण अभी अपूर्ण है।

भरतरी–इस उपसंस्थान का कन्ट्रोल रूम पूरा किया जा चुका है। संसाधनों के अभाव के कारण उक्त उपसंस्थान का कार्य शुरू नहीं किया जा सका है।

बरौली:–इस उपसंस्थान को संसाधनों के अभाव के कारण अभी प्राथमिकता नहीं मिल पायी है।

संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्ष में उक्त कार्यों के सम्पन्न कराने हेतु प्रयत्न किये जा सकते है।

जनपद अलीगढ़ हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना में रिक्त पद के अभाव में भूमि अध्यापन से प्रभावित (विस्थापित) परिवारों के सदस्यों को सेवायोजित करने की मांग

60–श्री दलवीर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना, जनपद अलीगढ़ में एस डैम के वास्ते अधिकृत भूमि से संबंधित कृषकों को, शेष बचे बेरोजगार युवकों को शीघ्र रोजगार दिलवाने का विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक इनको रोजगार उपलब्ध हो जायेगा ?

श्री लाल जी टंडन–

वर्तमान में हरदुआगंज परियोजना पर रिक्त पद के अभाव में भूमि अध्यापन से प्रभावित विस्थापित परिवारों के सदस्यों को सेवायोजन प्रदान कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति आगरा व दूण्डला तथा फिरोजाबाद में वर्ष 1990-91, 1991-92 में हुई आमदनी का विवरण तथा आगरा मंडी में हुई अनियमितता की जांच

61–श्री बलराम मौर्य–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति-आगरा व दूण्डला तथा फिरोजाबाद की वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में अब तक कितनी-कितनी आमदनी हुई है ? समिति द्वारा अब तक किन-किन मदों पर कितना-कितना खर्चा किया गया है ? क्या उनकों यह जानकारी है कि किसानों की सुविधा के नाम पर लाखों रुपये का घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या किसी उच्च अधिकारी से इन समितियों द्वारा किए गए घोटालों की जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

आमदनी का विवरण निम्नानुसार है:–

मंडी का नाम	कृषि वर्ष 1990-91 (जुलाई-जून)	कृषि वर्ष 1991-92 (जुलाई-दिसम्बर)
आगरा	रू० 2,12,00,570	1,03,46,023
दूण्डला	रू० 12,54,514	8,05,874
फिरोजाबाद	रू० 13,71,443	9,39,926

मदवार व्यय का विवरण संलग्न† है।

विशेष सम्प्रेक्षण में अनपरा मंडी में कुछ अनियमिततायें प्रकाश में आई जिनकी जांच करायी जा रही है।

† छापी नहीं गई।

वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में हाथरस ब्रांच अलीगढ़ से सहपऊ,बरहन तथा फिरोजाबाद रजबहों की सफाई, मरम्मत आदि में खर्च की गई धनराशि का विवरण

62–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस ब्रांच अलीगढ़ से सहपऊ, बरहन तथा फिरोजाबाद रजबहा की सफाई/सिल्ट निकालने तथा पटरयों की मरम्मत कटिंग रोकने में वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में अब तक कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है ? क्या मौके पर किये गये कार्यों की टी० ए० सी० से जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत कार्यों पर वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में निम्नलिखित धनराशि खर्च की गई:–

रजबहा का नाम	वर्ष 90-91 का खर्च (रुपये में)	वर्ष 91-92 का खर्च (रुपये में)
सहपऊ	1,75,170.00	87,428.00
बरहन	1,06,591.00	62,653.00
फिरोजाबाद	1,52,084.00	97,312.00

मौके पर किए गये कार्यों की जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई है जिसमें कार्यों की मात्रायें ठीक पाई गईं । अतः टी० ए० सी० द्वारा जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 1990-91 व 1991-92 में भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा समतलीकरण, मेड़बन्दी तथा बांध निर्माण में खर्च की गई धनराशि का विवरण

63–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जनपद में वर्ष 1990-91 व 1991-92 में अब तक भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा समतलीकरण, मेड़बन्दी तथा बांध निर्माण आदि में कितनी धनराशि खर्च की गई है ? क्या वहां पर किये गये कार्यों की जांच टी० ए० सी० से कराने का आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

भूमि संरक्षण इकाई, फिरोजाबाद दस्यु प्रभावित क्षेत्रों की बीहड़ सुधार योजना में समतलीकरण, समोच्चरेखीय बांध तथा बांध निर्माण में वर्ष 1990-91 में 41.62 लाख तथा वर्ष 1991-92 में 12.50 लाख रुपया व्यय किया गया ।

समस्त भूमि संरक्षण कार्यों का भुगतान शत-प्रतिशत सत्यापन के उपरान्त ही किया गया है । अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के सिंचाई खण्ड में कार्यरत श्री वी० पी० पांडेय/श्री वी० के० राय अवर अभियन्ता के स्थानान्तरण करने की कार्यवाही

64–श्री बाला प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड गोण्डा में श्री बी० पी० पाण्डेय/श्री बी० के० राय अवर अभियन्ता विगत पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ? श्री पाण्डेय जो वर्ष 1980 से आज तक यहीं कार्यरत हैं मात्र एक वर्ष के लिये फैजाबाद स्थानान्तरण किया गया था और पुनः सिंचाई खण्ड गोण्डा में वापस कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अभियन्ताओं के स्थानान्तरण पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

श्री वी० पी० पाण्डे, अवर अभियन्ता दि० 1-12-87 से तथा श्री बी० के० राय अवर अभियन्ता दि० 25-7-84 से सिंचाई खण्ड गोण्डा में कार्यरत हैं ।

श्री वी० पी० पाण्डेय, अवर अभियंता दि० 10-11-80 से 5-12-86 तक सिंचाई खण्ड गोण्डा में तथा दि० 6-12-86 से 24-12-86 तक सरयू नहर खण्ड-1 गोण्डा में एवं पुनः 1-12-87 से सिंचाई खण्ड गोण्डा में कार्यरत हैं । स्थानान्तरण नीति के अनुसार अगले स्थानान्तरण सत्र में उक्त अवर अभियंताओं के स्थानान्तरण प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

जनपद फिरोजाबाद में तेंदुआई कलां/चोरमरा ग्राम में विद्युत उपकेन्द्र भवन के निर्माण का, निर्माण कार्य

65–श्री त्रिवेनी राम–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि फिरोजाबाद जिले में तेंदुआई कलां/चोरमरा ग्राम में विद्युत उपकेन्द्र का भवन निर्माण कार्य हो चुका है तथा उस पर पर्याप्त धन भी व्यय किया जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त विद्युत उपकेन्द्र को कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टंडन–

प्रश्नगत विद्युत उपकेन्द्र के भवन का निर्माण आंशिक रूप से काफी पहले कराया गया था ।

संसाधन उपलब्ध होते ही उक्त विद्युत उपकेन्द्र का शेष निर्माण पूर्ण कर उसका अर्जन किया जा सकेगा ।

जनपद फतेहपुर में महादेव फर्टिलाइजर में भारत द्वारा प्रदत्त एक ही लाइसेंस के तहत सिंगिल सुपर फास्फेट एवं सल्फयूरिक एसिड दोनों का ही विनिर्माण किया जाना

66–श्री अभिमन्यू सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फतेहपुर में महादेव फर्टिलाइजर में खाद का उत्पादन होता है या एसिड बनाने का ? यदि खाद बनाने का लाइसेंस है तो खाद के अलावा क्या एसिड भी उसी लाइसेंस के तहत बनाया जा सकता है ? यदि नहीं,तो उसे एसिड बनाने से रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

मै० महादेव फर्टिलाइजर लि० फतेहपुर की उत्पादक इकाई में सिंगिल सुपर फास्फेट उर्वरक एवं सल्फयूरिक एसिड दोनों का उत्पादन होता है ।

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त एक ही लाइसेंस के तहत सिंगिल सुपर फास्फेट एवं सल्फयूरिक एसिड दोनों का ही विनिर्माण किया जा सकता है । प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील में प्रस्तावित सहकारी चीनी मिल के नाम पर किसानों से जमा कराये गये धन के विषय में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

67–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील में प्रस्तावित सहकारी चीनी मिल के संबंध में मिल खुलवाये जाने या मिल खोलने के नाम पर किसानों द्वारा जमा कराया गया अंशधन (शेयर) ब्याज सहित वापस कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-7-91 उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या इस पत्र को कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव गन्ना विकास को भेजा गया है ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां । मा० सदस्य को शासन के पत्र संख्या-एम-एम 450 एस० सी०/18-2-91_708/73, दिनांक 11 सितम्बर, 1991 द्वारा मामले की वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है ।

68–श्री दलवीर सिंह–

[6 ठे सोमवार में अता० प्र० सं० 135 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में वितरण जोन के अन्तर्गत उन्नाव, बाराबंकी, फैजाबाद एवं अकबरपुर परिषद् के अनुसार निजी तथा सरकारी नलकूपों पर विद्युत उपभोग के लिये लगाये गये सेंपुल मीटर और उपभोक्ताओं का विवरण

69–श्री रमाकान्त यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में वितरण जोन, लखनऊ के अधीन वितरण खण्ड उन्नाव, बाराबंकी, फैजाबाद (प्रथम) फैजाबाद (द्वितीय) एवं अकबरपुर परिषद् के नियमानुसार निजी तथा राजकीय नलकूपों पर विद्युत उपभोग के लिये सेंपुल मीटर लगाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो जनवरी, 1990 से 31 अगस्त, 1991 तक उपरोक्त खण्डों में प्रतिमाह कुल कितने निजी एवं राजकीय नलकूपों पर सेंपुल मीटर कार्यरत अवस्था में थे ? उन पर प्रति हा० पा० विद्युत का उपभोग माहवार कितना आया ? कुल कितने एच० पी० पर उपभोग किया गया ? निजी नलकूप, जिन पर सेंपुल मीटर लगाये गये हैं उन उपभोक्ताओं का नाम पूरा पता तथा एस० सी० नम्बर क्या हैं ? राजकीय नलकूप, जिन पर सैंपुल मीटर लगाये गये हैं उनके ग्राम का नाम एवं ग्रुप नम्बर क्या है ?

श्री लाल जी टंडन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विद्युत वितरण जोन के अन्तर्गत उन्नाव, बाराबंकी, फैजाबाद एवं अकबरपुर में विद्युत परिषद् के नियमानुसार रेवन्यू कैश बुक एवं लेजर का मिलान किया जाना

70–श्री रमाकान्त यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण जोन, लखनऊ के अधीन विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव, बाराबँकी, फैजाबाद (प्रथम), फैजाबाद (द्वितीय) एवं अकबरपुर में विद्युत परिषद् के नियमों के अधीन रेवन्यू कैश बुक एवं लेजर के मिलान (रिकान्सीलेशन) का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त खण्डों मे प्रत्येक माह में रेवन्यू कैशबुक एवं लेजर का रीकान्सीलेशन माह अप्रैल, 1989 से 31 अगस्त, 1991 तक किया गया है ? यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री लालजी टडन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सोनभद्र स्थित डाला सीमेंट फैक्ट्री में सोनभद्र विद्युत के अनुबन्धित भार की तथा डाला उपस्थान में विद्युत आपूर्ति की जानकारी

71–श्री उमाकान्त यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डाला सीमेंट फैक्ट्री, सोनभद्र के विद्युत का विद्युत अनुबंधित भार कितना है ? विगत तीन वर्षो में माहवार कितने यूनिट का बिल बनाया गया ? के० वी० ए० डिमाण्ड प्रतिमाह क्या थी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस फैक्ट्री को किस सब-स्टेशन से विद्युत आपूर्ति की जाती है ? क्या इस फैक्ट्री का अलग से फीडर है ? यदि हां, तो लागबुक के अनुसार विगत तीन वर्षो का प्रतिमाह उच्चतम व न्यूनतम लोड कितना रहा और कितनी विद्युत प्रतिमाह फैक्ट्री फीडर पर गई ? यदि फैक्ट्री फीडर का लोड इम्पीरियर में सब-स्टेशन पर लिखा है तो मीटर का मल्टीफ्लाई फैक्टर (फैक्ट्री के मीटर का गुणांक) क्या था ?

श्री लालजी टंडन–

डाला सीमेन्ट फैक्ट्री, सोनभद्र में स्थित डाला यूनिट एवं के० सी० सी० पी० डाला यूनिट का अनुबन्धित बार वर्तमान में क्रमशः 9.000 के० वी० ए० एवं 12.500 के० वी० ए० हैं ।

विगत तीन वर्षो में माहवार यूनिट जिसका बीजक बनाया गया एवं के० वी० ए० डिमाण्ड प्रतिमाह संलग्नक "क" में दर्शायी गयी है ।

इस फैक्ट्री को 132 के० वी० डाला उपस्थान से विद्युत आपूर्ति की जाती है ।

हां, इस फैक्ट्री का अलग से फीडर है जिसमें डाला यूनिट हेतु 11 के० वी० का फीडर तथा के० सी० सी० पी० डाला यूनिट हेतु 6.6 के० वी० के फीडर हैं ।

लागबुक के अनुसार विगत तीन वर्षो का प्रतिमाह उच्चतम व न्यूनतम लोड का विवरण संलग्नक "ख" में अंकित है । फैक्ट्री फीडर पर संलग्नक "क" में दर्शायी गयी यूनिट फैक्ट्री फीडर पर गई । फैक्ट्री फीडर के पैनलों पर लगे ऐम्पियर मीटर का मीटर गुणांक 1(एक) है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 137-138 पर)

वर्ष 1990 में अधिशासी अभियन्ता परीक्षण कानपुर देहात श्री आर० के० मिश्रा के विरुद्ध चोरी तथा भ्रष्टाचार की जांच के उपरान्त विभागीय कार्यवाही

72–श्री उमाकान्त यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1990 में अधिशासी अभियन्ता परीक्षण, कानपुर देहात श्री आर० के० मिश्रा के विरुद्ध विद्युत चोरी तथा भ्रष्टाचार से संबंधित कोई जांच विद्युत विभाग के विजिलेंस सेल द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो क्या जांच में विलम्ब के लिये दोषी लोगों को सजा देने एवं शीघ्र जांच कार्यवाही पूरी कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

जी हां । श्री आर० के० मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध जांच 1990 में परिषदीय सतर्कता इकाई को सौंपी गयी थी । जांच पूर्ण कर ली गयी है । श्री आर० के० मिश्रा के विरुद्ध जांच के परिणाम स्वरूप विभागीय कार्यवाही भी आरम्भ कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ना विकास परिषद्, सठियांव, आजमगढ़ द्वारा मिट्टी का कार्य तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा आजमगढ़ द्वारा कराये गये कार्य का डबल भुगतान

73–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सठियांव, जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत सठियांव मुबारकपुर मार्ग पर अमुड़ी से कुकुरसण्डा तक गन्ना विकास परिषद् साठियांव, आजमगढ़ से मरम्मत कार्य और उसी वर्ष ग्राम अभि० सेवा विभाग से सोलिंग का कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो क्या मिट्टी के कार्य का डबल भुगतान हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? विभाग ने इसके भौतिक सत्यापन के बाद दोषी के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही विचाराधीन है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

गन्ना विकास परिषद्, सठियांव, आजमगढ़ द्वारा मिट्टी का कार्य तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, आजमगढ़ द्वारा सोलिंग का कार्य कराये गये ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

मुख्य जांच दल अधिकारी, गन्ना विभाग, उ० प्र० लखनऊ द्वारा उक्त मार्ग का भौतिक सत्यापन किया गया । भौतिक सत्यापन में कोई त्रुटि न पाये जाने के कारण किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई । अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

74–श्री दिनेश चंद्र सोनकर–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

75–श्री अकबर हुसैन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

76–श्री दलबीर सिंह–

[दिनांक 26-2-92 को अता० प्र० सं० 7 द्वारा उत्तरित]

77–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, लखनऊ में आरक्षण कोटे को पूर्ण करने में प्रतिवर्ष बढ़े व्यय भार की जानकारी

78–श्री श्रीराम चौहान–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्र पाल, प्रबन्ध निदेशक, यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, लखनऊ द्वारा कितनी नियुक्तियां/प्रोन्नतियां अपने कार्यकाल में की गईं ? इन नियुक्तियों/प्रोन्नतियों से निगम पर कितना व्यय भार प्रतिवर्ष बढ़ा है ? क्या सार्वजनिक उद्यम

ब्यूरो/शासन के ऐसे आदेश थे कि घाटे के निगम में सामान्य/आरक्षण की नियुक्तियां/प्रोन्नतियां न की जायें ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, लखनऊ में आरक्षण कोटे को पूर्ण करने के उद्देश्य से विशेष चयन द्वारा 161 नियुक्तियां तथा 76 प्रोन्नतियां कुल 237 नियुक्तियां/प्रोन्नतियां की गयीं।

इन नियुक्तियों/प्रोन्नतियों से लगभग रु० 36.22 लाख प्रतिवर्ष व्यय भार बढ़ा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यू० पी० एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि० में विभिन्न कोल्ड स्टोरेज को बेचे जाने का प्रकरण

79–श्री श्रीराम चौहान–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि० में विभिन्न कोल्ड स्टोरेज किन अधिकारियों द्वारा सस्ते दर पर कितने रुपये में बेच दिये गये हैं ? क्या उसका पैसा एग्रो को मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कोल्ड स्टोरेज वापस लेने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

शीतगृहों का निस्तारण पी० सी० एफ० (सरकारी संस्था) को रुपये 49,56,330.42 में किया गया है। पी० सी० एफ० से रुपये 29 लाख 25 हजार 303.88 प्राप्त हो गये हैं। भूमि के स्वामित्व के स्थानान्तरण न होने के कारण अवशेष धनराशि प्राप्त नहीं हो सकी है, जिसके लिये कार्यवाही की जा रही है।

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए उर्वरक हेतु आवंटित धन तथा इस आवंटित धन में से यू० पी० एग्रो को अनुदान स्वरूप दी गई धनराशि की जानकारी

80–श्री श्रीराम चौहान–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार द्वारा 96 करोड़ रुपया लघु एवं सीमान्त कृषिकों को उर्वरक वितरण हेतु अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या उसे मात्र पी० सी० एफ० को ही दे दिया गया ? यदि हां, तो क्या ? यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, कृषि विभाग को पैसा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इससे सरकारी संस्थाओं द्वारा वितरित उर्वरक की दरों में दोहरी मूल्य व्यवस्था लागू होती है ? क्या प्रान्तीय सरकार द्वारा प्रदत्त यूरिया पर प्रति बोरी 9.37 की छूट भी पी० सी० एफ० द्वारा ही दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के पत्रांक 9-23/91-फर्टि० प्रोजेक्ट, दिनांक 16-9-91 द्वारा वर्ष 1991-92 में लघु एवं सीमान्त कृषकों को यूरिया वितरण हेतु रु० 94.661 करोड़ की धनराशि इस प्रदेश के लिये आवंटित की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार द्वारा इस प्रदेश को आवंटित धनराशि में से रु० 5 करोड़ की धनराशि उ० प्र० शासन के कृषि विभाग द्वारा यू० पी० एग्रो को अनुदान स्वरूप स्वीकृति की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जी हां ।

पी० सी० एफ० द्वारा छूट पूर्व से दी जा रही थी । शासन द्वारा यथास्थिति बनाये रखी गयी है ।

81–श्री बी० आर० वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीन अधिशासी अभियन्ता विद्युत जनपद अनुरक्षण खंड प्रथम, हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कासिमपुर अलीगढ़ द्वारा कतिपय कर्मचारियों के वेतन से आवासों के पैनल रेंट की वसूली हेतु दिये गये आदेश एवं संबंधित कर्मचारियों का विवरण

82–श्री लल्लू सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीन अधिशासी अभियन्ता विद्युत जनपद अनुरक्षण खंड-प्रथम, हरदुआगंज, ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) के आदेश सं०-844-ई सी एम डी०-1/एच एसी/क्यू-4, दिनांक 29-5-91 द्वारा कुछ कर्मचारियों के वेतन से आवासों के पैनल रेंट की वसूली के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो संबंधित कर्मचारियों के नाम व पद क्या हैं तथा उनसे कितनी धनराशि वसूल किया जाना है ? क्या संबंधित कर्मचारियों के वेतन से पैनल रेंट की वसूली की जा रही है ? यदि नही, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है ? पैनल रेंट की वसूली कब तक कर ली जायगी ?

श्री लालजी टंडन–

जी हां ।

श्री लटूरी सिंह यादव ।

मुख्य लिपिक ।

रु० 10,080.00 मात्र ।

वसूली के आदेश के विरुद्ध श्री लटूरी सिंह यादव, मुख्य लिपिक, द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन पर जांच की जा रही है ।

जांचोपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जाएगी ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में राजकीय नलकूपों की स्थिति

83–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में कितने राजकीय नलकूप फेल हैं तथा कितने चालू हालत में हैं ? उसका विवरण क्या है तथा कितने नलकूप को

रिबोर किया गया है ? कितने रिबोर वाले नलकूप चालू हालत में है ? क्या उनके पम्प हाऊस बनाकर इस वर्ष चालू कर दिया गया है ? यदि नहीं,.तो क्यों ? क्या दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि रिबोर वाले राजकीय नलकूपों को चालू किया जायेगा तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद बांदा के विकास खण्ड, जसपुरा में 105 ऊर्जीकृत नलकूपों में से 23 नलकूप असफल अथवा सुधारात्मक कार्यवाही में होने के कारण चलित अवस्था में नहीं हैं तथा 82 राजकीय नलकूप चलित हैं ।

इनका विवरण संलग्न है । इस ब्लाक में 19 नलकूपों का पुनः छिद्रण कराया जा चुका है । जिसमें से 11 नलकूप चालू कर दिये गये हैं ।

अवशेष ऐसे नलकूप जो रिबोर हो गये हैं परन्तु चले नहीं हैं, में से 4 नलकूपों के पम्प हाउस बन गये हैं । 2 नलकूपों के बी० एण्ड एल० फार्म उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को भेजे गये हैं तथा 2 नलकूपों के बी० एण्ड एल० फार्म प्रेषित किये जा रहे हैं । 4 नलकूपों के पम्प गृह निर्माणाधीन हैं तथा इनके बी० एण्ड एल० फार्म भी तदोपरान्त विद्युत परिषद् को भेजा जाना प्रस्तावित है ।

कोई अधिकारी इस संबंध में दोषी नहीं है, क्योंकि इन नलकूपों को पुनः सिंचाईरत् किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

उपरोक्तानुसार अवशेष 8 नलकूपों को चालू करवाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 143-145 पर)

84–85–श्री दल सिंगार –

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

86– डा० दिनेश जौहरी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

नलकूप खण्ड-प्रथम, लखीमपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा एवं विकास खण्डवार राजकीय नलकूपों के मरम्मत हेतु आवंटित धन का विवरण

87–श्री बाला प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खण्ड-प्रथम, लखीमपुर खीरी में एक जनवरी, 1985 से 30-11-91 तक किस-किस ग्राम सभा में किस-किस विकास खण्ड में कौन- कौन राजकीय नलकूप तकनीकी कारणों से तथा मोटर जलने से खराब पड़े हैं ? उन्हें ठीक कराने के लिये सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि नलकूप खंड-प्रथम, लखीमपुर खीरी को आवंटित की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नलकूप खण्ड-प्रथम, लखीमपुर के अन्तर्गत किसी भी ग्राम सभा/विकास खण्ड में कोई चलित राजकीय नलकूप दिनांक 1-1-85 से 30-11-91 तक तकनीकी कारणों (यांत्रिक) एवं विद्युत दोष से तथा मोटर जलने के कारण खराब नहीं पड़ा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय वर्ष 1987-88, 88-89, 89-90, 90-91 एवं 91-92 में नलकूप खण्ड-प्रथम,लखीमपुर खीरी को अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि के व्यय की जानकारी

88–श्री बाला प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1987-88, 88-89, 89-90, 90-91 एवं 91-92 में कितनी धनराशि नलकूप खण्ड-प्रथम, लखीपपुर खीरी को अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित की गयी ? उक्त धनराशि से किस-किस राजकीय नलकूप पर कौन-कौन सा कार्य कराया गया ? यह कार्य विभाग द्वारा कराया गया अथवा ठेके पर कराया गया ? क्या सरकार कराये गये कार्यों का सत्यापन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नलकूप खंड-प्रथम, लखीमपुर खीरी दिनांक 1-8-91 से कार्यरत हुआ है इससे पूर्व नलकूप खंड, लखीमपुर खीरी नामित कार्यरत था । वर्ष 1987-88 से वर्ष 1991-92 तक चलित राजकीय नलकूपों के अनुरक्षण कार्यों हेतु निम्न प्रकार से धनराशि आवंटित एवं व्यय की गई है:–

वर्ष	आवंटित एवं व्यय की गई धनराशि
1987-88	30.01 लाख
1988-89	26.40 लाख
1989-90	25.99 लाख
1990-91	26.36 लाख
1991-92 (12/91 तक)	16.73 लाख

उक्त धनराशि से चलित नलकूपों के सिविल एवं यांत्रिक कार्य अनुरक्षण मद में कार्य कराये गये हैं । अनुरक्षण मद में कराये गये कार्य एवं व्यय का नलकूपवार विवरण नहीं रखा जाता है ।

सामान्यतः यांत्रिक कार्य विभाग द्वारा कराये गये हैं तथा सिविल कार्य ठेके पर कराये गये हैं ।

सामान्य सत्यापन की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, और पुराने अनुरक्षण कार्यों का सत्यापन कराना बहुत समय, श्रम तथा व्यय साध्य होता है ।

जनपद बांदा के अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बांदा द्वारा स्वीकृत ट्रांसफार्मर तथा खम्भे बिना स्वीकृति के लगाये जाने का मामला

89–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार बतायेगी कि जनपद बांदा के अधीक्षण अभियन्ता विद्युत मण्डल, बांदा ने पत्रांक-2067/ विविम/ई-13, दिनांक 15-10-91 एवं 2085 वि वि० मई 13, दिनांक 19-10-91 द्वारा 11 के० वी० ए० की लाइन को चुंगी चौकी से नवाब टैंक तक 0.800 कि० मी० जिसमें 12 खम्भे व ट्रांसफार्मर बिना स्वीकृति के अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खंड, बांदा द्वारा लगाने पर रोक लगाने हेतु लिखा था ? यदि हां, तो क्या बिना स्वीकृति के कार्य कराने पर सरकारी क्षति एवं गबन के विरुद्ध निलंबित कर सरकारी धन वसूला जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लालजी टंडन–

प्रश्नगत कार्य की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बांदा के द्वारा स्वीकृति संख्या–66/91-92 दिनांक 9-9-91 से प्रदान की गयी थी किन्तु कतिपय तकनीकी कारणों से अधीक्षण अभियंता ने प्रश्न में संदर्भित अपने पत्र द्वारा कार्य पर रोक लगा दी थी ।

प्रश्नगत कार्य प्रारम्भिक अवस्था में ही मात्र 10 पोल विभागीय कर्मचारियों के द्वारा खड़े किये जाने के उपरान्त रोक दिया गया था इससे परिषद् को हानि नहीं हुई । अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही वांछित नहीं है ।

90–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

91-93–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

94–श्री सुरेन्द्र नाथ–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

95–श्री बी० आर० वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद बांदा में भूमि संरक्षण अधिकारी, अतर्रा द्वारा योजनाओं पर खर्च की गई धनराशि का विवरण तथा अनुसूचित जाति के खेतों में बने बन्धों की जानकारी

96–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय जनपद बांदा में भूमि संरक्षण अधिकारी, दस्यु, अतर्रा द्वारा कहां-कहां कार्य कराया जा रहा है ? वर्ष 1990-91 में कितनी धनराशि प्राप्त हुई है जिसमें जीवन धारा मद में कितनी धनराशि किन-किन प्रोजेक्टों में खर्च की गयी है ? अनुसूचित जाति के खेतों में कितने बन्धे बने हैं ? गाटा संख्या सहित विवरण क्या हैं ? क्या बन्धी मानव दिवस से न कराकर ट्रेक्टरों द्वारा कराया जा रहा है जिससे क्षेत्रीय मजदूर पलायन कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

बांदा जनपद में भूमि संरक्षण अधिकारी, अतर्रा द्वारा 10 लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत 19 परियोजनाओं पर तथा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 15 योजनाओं पर संलग्नक-1 के अनुसार कार्य कराया जा रहा है ।

वर्ष 1990-91 में रु० 49,78,322.00 प्राप्त हुये । जीवनधारा मद में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई ।

अनुसूचित जाति के खेतों में 93 बंधे बने हैं । विवरण संलग्नक-2 पर दर्शाया गया है ।

जी नहीं । बन्धों का कार्य श्रमिकों से कराया गया है । जांच का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 148 पर)

जिला गन्ना अधिकारियों को सहकारी चीनी मिलों में सामान्य प्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक के पद पर स्थानान्तरित किया जाना

97-श्री बाला प्रसाद–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेगे कि 15 जुलाई, 1991 से आज तक किस-किस जिला गन्ना अधिकारी को, किस-किस किसान सहकारी चीनी मिलों में सामान्य प्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक के पद पर स्थानान्तरण किया गया है ? क्या सरकार नियुक्त अधिकारियों के पूर्व कार्यकाल में लगाये गये आरोपों की जांच कराकर उन्हें दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

15 जुलाई, 1991 से आज तक जिला गन्ना अधिकारीगण, सर्वश्री योगेश्वर सिंह मलिक को दि किसान सहकारी चीनी मिल रमाला (मेरठ), श्री सहदेव सिंह को दि किसान सहकारी चीनी मिल स्नेहरोड, जिला बिजनौर में सामान्य प्रबन्धक के पद पर तथा श्री भूप नारायन सिंह को निर्माणाधीन दि किसान सहकारी चीनी मिल चिलवरिया (बहराइच) में परियोजना प्रबन्धक के पद पर स्थानान्तरित किया गया है ।

उपर्युक्त अधिकारियों में श्री सहदेव सिंह एवं श्री भूप नारायन सिंह के विरुद्ध उनके पूर्व कार्यकाल में की गयी शिकायतों की जांच लम्बित है, जिसमें विधिवत् जांच के उपरान्त आवश्यक निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

98–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

[चौथे मंगलवार में अता० प्र० सं० 186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा में चालू ट्यूबवेलों की संख्या तथा खराब ट्यूबवेलों को ठीक कराने की मांग

99–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में कितने राजकीय ट्यूबवेल हैं ? उनमें से कितने चल रहे हैं और कितने कब से बन्द पड़े हैं ? बन्द या खराब ट्यूबवेलों को चलाने की क्या व्यवस्था की जा रही है ? क्या बन्द या खराब ट्यूबवेलों से किसानों व प्रदेश सरकार को हानि हो रही है ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों को दण्डित करके उन्हें शीघ्र ठीक करवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद बांदा में कुल 434 राजकीय नलकूप हैं ।

389 नलकूप सिंचाईरत् हैं और इनमें से 30-1-92 को 16 नलकूप यांत्रिक दोष से एवं 15 नलकूप विद्युत दोष से अस्थाई रूप से बन्द थे ।

बन्द या खराब नलकूपों को तत्काल सिंचाईरत् किये जाने का प्रयास किया जाता है ।

नलकूपों के बन्द होने से हानि होना तो स्वाभाविक है, परन्तु संयत्रों/नलकूपों का दोषग्रस्त (खराब होना) भी स्वाभाविक है ।

बन्द नलकूपों को यथासमय तत्काल ठीक कराकर सिंचाईरत् कराया जाता है । अतः किसी अधिकारी को दण्डित किये जाने का प्रश्न नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कछवा, जनपद मिर्जापुर के सिंचाई विभाग के स्टोर में लाखों रुपये के माल की चोरी की विभागीय जांच

100–श्री भागवत पाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कछवा, जनपद मिर्जापुर के सिंचाई विभाग के स्टोर में लाखों रुपये के माल की चोरी हुई थी ? क्या यह सत्य है कि इसमें जूनियर इंजीनियर द्वारा अनियमितताएं की गयी हैं ? यदि हां,तो क्या सरकार संबंधित जूनियर इंजीनियर को निलम्बित कर इस मामले की जांच करायेगी ? क्या पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने पर अभी तक जांच में कोई प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद मिर्जापुर के कछवा स्थित सिंचाई विभाग के स्टोर में दिनांक 14/15 अक्टूबर, 1991 की रात्रि में रु० 19,367.50 के सामान की चोरी हुयी थी ।

चोरी की विभागीय जांच की जा रही है । जांच के उपरान्त ही अनिममितताओं के लिए दोषी व्यक्ति का उत्तरदायित्व निर्धारित हो पायेगा तथा जांचोपरान्त ही दोषी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

दिनांक 15-10-91 को पुलिस में चोरी की एफ० आई० आर दर्ज करायी गयी है । पुलिस जांच रिपोर्ट अपेक्षित है ।

बलिया जनपद के जयप्रकाश नगर में उप विद्युत केन्द्र की स्थापना की कार्यवाही

101–श्री भरत सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेगे कि बलिया जनपद के जयप्रकाश नगर में उप विद्युत केन्द्र की स्थापना हेतु सामान (ट्रांसफार्मर) इत्यादि शहर बलिया के भण्डार में होने के बावजूद अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ? कब तक उक्त केन्द्र चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

प्रश्नगत विद्युत उप केन्द्र बनाने का वर्ष 1990-91 में प्राविधान था इस संबंध में उप केन्द्रों के निर्माण के लिये भूमि को अस्थाई तौर पर घेर भी लिया गया था और ट्रांसफार्मर व कुछ अन्य छोटे सामान का भी प्रबन्ध हो गया था किन्तु उप केन्द्र के निर्माण हेतु बाकी सामग्री एवं धन उपलब्ध न होने के कारण कार्य को प्रारम्भ नहीं किया जा सका ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

गोरखपुर जनपद के उरुवा-धुरियापार के विद्युत अवर अभियन्ता श्री हरिश्चन्द्र दूबे के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

102–श्री मारकण्डेय चन्द्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने गोरखपुर जनपद के उरुवा-धुरियापुर के विद्युत अवर अभियंता श्री हरिश्चन्द्र दूबे के विरुद्ध जनवरी, 1990 व फरवरी, 1990 में उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् के अध्यक्ष को शिकायती पत्र दिया था जिस पर अध्यक्ष ने श्री दूबे का स्थानान्तरण कर उसकी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के पुलिस सेल से जांच करायी थी ? यदि हां, तो क्या पुलिस की जांच रिपोर्ट तथा श्री दूबे के विरुद्ध की गई कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री लालजी टंडन–

जी हां ।

सतर्कता द्वारा इन आरोपों के संबंध में कि श्री दूबे बगैर तीन सौ रुपया लिए कनेक्शन नहीं देते थे, कनेक्शन देने अथवा ट्रांसफार्मर बदलने का काम बिना पैसे के नहीं करते थे एवं श्री हरिहर प्रसाद त्रिपाठी से एक हजार रुपये की मांग की थी, के संबंध में उनका आचरण संदिग्ध पाया गया जिसके लिये उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

103–श्री भगवती प्रसाद शुक्ला–

[दिनांक 26-2-92 को अता० प्र० सं०-24 द्वारा उत्तरित]

104–श्री राम प्रसाद सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

105-106–श्री बी० आर० वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

107–श्री बी० आर० वर्मा–

[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

108–श्री अकबर हुसैन–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत घाघरा नदी द्वारा हो रहे भीषण कटान को रोकने हेतु पक्की ठोकर बनाने के संदर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

109–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता को श्री लक्ष्मी नारायण कुरील, संयुक्त सचिव, सिंचाई अनुभाग-6, लखनऊ के पत्र दिनांक 12 सितम्बर, 1990 व 20 अक्टूबर, 1990 तथा दिनांक 19-1-1991 द्वारा यह अवगत कराया गया था कि नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद मऊ के अंतर्गत घाघरा नदी द्वारा हो रहे भीषण कटान को रोकने हेतु, पक्की ठोकर बनाने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो वह कार्यवाही कौन सी है ? क्या प्रश्नकर्ता ने दिनांक 31-8-91 को इस आशय का कोई पत्र, सिंचाई सचिव को मिल कर दिया था ? यदि हां, तो उस पर किसको क्या आदेश किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नकर्ता के प्रश्न में संदर्भित पत्र दिनांक 12 सितम्बर, 1990 व 20 अक्टूबर, 1990 में यह अवगत कराया गया था कि प्रश्नगत मामले में मुख्य अभियंता, गण्डक, सिंचाई विभाग, उ० प्र०, गोरखपुर को यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है । पत्र दिनांक 19 जनवरी 1991 द्वारा प्रश्नकर्ता को यह अवगत कराया गया था कि प्रश्नगत मामले में मुख्य अभियंता (पूर्वी नहर एवं बाढ़), सिंचाई विभाग, उ० प्र० लखनऊ से आख्या मांगी गई है ।

ग्राम रोशनपुर को घाघरा नदी के कटान से बचाने हेतु 3 बल्ली स्क्रीन मई, 1991 में बनाये गये ।

प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया पत्र दिनांक 31-8-91 का नहीं बल्कि 29-8-91 का प्राप्त हुआ है । उक्त पत्र पर रुद्रपुर जनपद मऊ में घाघरा नदी की कटान से ग्रामों की सुरक्षा हेतु की जा रही कार्यवाही की सूचना मुख्य अभियन्ता (गण्डक) से मांगी गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

110-111–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

सीड स्टोर (कृषि) पिंडरा जिला वाराणसी में संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) के आदेश से [illegible] आडिट

112–श्री ऊदल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीड स्टोर (कृषि), पिंडरा जिला वाराणसी पर दो सीड इंचार्ज रक्खे गये हैं ? क्या यह सही है कि सीड स्टोर पिंडरा, वाराणसी का आडिट अतिरिक्त कृषि निदेशक, वाराणसी के आदेश से किया गया है ? क्या पुराने मूल्य की डाई, यूरिया तथा पोटाश 7 (सात) सौ बोरी बिना बेरीफिकेशन लिए रखी गयी थी ? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा अतिरिक्त कृषि निदेशक को पत्र लिखने पर उसको अक्टूबर में पुराने रेट पर बांटा गया है ।

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं ।

जी हां । आडिट संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), वाराणसी मंडल, वाराणसी के आदेश के क्रम में उनके कार्यालय के लेखादल द्वारा किया गया है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

ऊसर सुधार योजना की खाद ऊसर भूमि वाले किसानों के न देने के संबंध में सीड स्टोर इंचार्ज, पिंडरा, वाराणसी द्वारा न दिये जाने की शिकायत

113–श्री ऊदल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊसर सुधार योजना की दो सौ बोरी यूरिया, पांच क्विंटल जिंक सल्फैट तथा ढेंचा को जून व जुलाई, 1991 में किसानों को दे देना चाहिए था ? यदि हां, तो क्या सीड स्टोर के इंचार्ज, पिंडरा, वाराणसी ने इसे दिया ? यदि नहीं, तो क्या इसे एक प्राईवेट गोदाम में रखा था ? क्या गोदाम पर छापा पड़ने के डर से अक्टूबर के अंत में रात में कहीं उठवा कर बेच दिया है ? यदि हां, तो ऊसर सुधार योजना की खाद ऊसर भूमि वाले किसानों को न देने के संबंध में सीड स्टोर इंचार्ज के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? क्या फर्जी रसीदें इकट्ठा काटी गयी हैं ? क्या इसकी जांच की गयी ? क्या प्रश्नकर्ता ने जिला कृषि अधिकारी, वाराणसी को इस संबंध में तीन पत्र लिखे हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां । अवर्षण के कारण धान की रोपाई बिलम्ब से की गई और माह अगस्त में यूरिया, डी० ए० पी० और एम० ओ० पी० कृषकों को दिया गया ।

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं । कृषि निवेशों का वितरण उक्त गोदाम से अक्टूबर, 91 में कृषकों के मध्य किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्नकर्ता का केवल एक पत्र प्रभारी को हटाने के लिये प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर प्रभारी का अन्यंत्र स्थानान्तरण कर दिया गया ।

जनपद खीरी के अधिशासी अभियंता एवं संयोजक, सिंचाई सलाहकार समिति से ढंखरेवा मार्ग से सुखनीपुरवा रोड पर खड़ंजा लगाने की सिफारिश

114—श्री बाला प्रसाद—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30-9-91 को आयोजित जिला सिंचाई सलाहकार समिति जनपद खीरी की सम्पन्न हुई बैठक में प्रश्नकर्ता ने अधिशासी अभियन्ता एवं संयोजक सिंचाई सलाहकार समिति, खीरी से ढंखरेवा मार्ग से सुखनीपुरवा रोड पर खड़ंजा की सिफारिश की थी जिस पर सिंचाई विभाग ने रपटा का निर्माण किया है ? क्या यह सही है कि इससे पानी का आवागमन नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो जल भराव रोकने के संदर्भ में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

दिनांक 30-9-91 को आयोजित जिला सिंचाई सलाहकार समिति जनपद खीरी की सम्पन्न हुई बैठक में प्रश्नकर्ता ने अधिशासी अभियंता एवं संयोजक, सिंचाई सलाहकार समिति से ढंखरेवा सिंचाई मार्ग से सुखनीपुरवा रोड पर खड़न्जा लगाने की सिफारिश नहीं की थी । इस रपटे के कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न नहीं होती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई खण्ड शारदा नगर/ सिंचाई खण्ड-प्रथम, लखीमपुर खीरी/सिंचाई खण्ड-द्वितीय, लखीमपुर खीरी के अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धन का विवरण तथा उस धन से किया गया अनुरक्षण कार्य

115—श्री बाला प्रसाद

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1988-89, 89-90,90-91, 91-92 में कितनी धनराशि अनुरक्षण कार्य हेतु, सिंचाई खण्ड-प्रथम, लखीमपुर खीरी/सिंचाई खण्ड शारदा नगर/सिंचाई खण्ड-द्वितीय, लखीमपुर खीरी को आवंटित की गयी ? इस आवंटित धनराशि से कौन-कौन कार्य कराया गया ? क्या सरकार अनुरक्षण कार्यों का सत्यापन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—.

जी हां । इस मण्डल के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड, शारदा नगर, सिंचाई खण्ड प्रथम, लखीमपुर खीरी, सिंचाई खण्ड द्वितीय, लखीमपुर खीरी को अनुरक्षण कार्य हेतु निम्नानुसार धन राशि आवंटित की गई :—

आवंटित धनराशि (लाख रु० में)

वर्ष	सिंचाई खण्ड शारदा नगर		सिंचाई खण्ड-प्रथम लखीमपुर खीरी		सिंचाई खण्ड द्वितीय- लखीमपुर खीरी	
	नहर	बाढ़ कार्य	नहर	बाढ़ कार्य	नहर	बाढ कार्य
1988-89	44.0	..	15.95	1.60	8.50	..
1989-90	33.0	..	24.30	1.10	6.00	..
1990-91	93.0	..	30.60	1.57	6.00	..
1991-92	36.0	..	33.90	4.90	9.00	..

इस धनराशि से निम्नलिखित [illegible] कराये गये :-

<u>सिंचाई खंड, शारदा नगर–</u>

गिरिजा बैराज एवं उसके उपागीय कार्यो, शारदा बैराज एवं उसके उपांगीय कार्यो, योजक नहर, योजक मार्ग शारदा नगर उपनिवेश तथा वाहनों के अनुरक्षण कार्य कराये गये ।

<u>सिंचाई खण्ड–1, लखीमपुर खीरी–</u>

नहरों की सिल्ट सफाई, नहरों का सुदृढ़ीकरण, अनाधिकृत कटिंग, नहरों की वर्षा से हुई क्षति तथा पक्के कार्य की मरम्मत तथा अदलाबाद एवं ईसानगर बाढ़ निरोधक कार्यो की भी मरम्मत का कार्य कराया गया ।

सिंचाई खण्ड-2, लखीमपुर खीरी–

पोषक नहर के कि०मी० 28.950 से कि०मी० 52.0 तक स्थित पुलों की टूट फूट की मरम्मत का कार्य एवं मिट्टी के द्वारा पोषक नहर के बाये, दायें एवं सामान्य बैंक की मरम्मत का कार्य, डौला की मरम्मत, दाये एवं बायें किनारे पर काउण्टर वर्म की मरम्मत का कार्य तथा लोडिंग का कार्य कराया गया, पोषक नहर के दोनों किनारों पर स्थित सीपेज ड्रेन तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ड्रेनों की सफाई का कार्य तथा लखीमपुर एवं लहरपुर स्थित नहर कालोनी के सभी सरकारी भवनों की मरम्मत एवं रख रखाव का कार्य कराया गया । कार्य कराने वाले अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन करने के पश्चात् ही कार्यो का भुगतान किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला वाराणसी के ब्लाक चिरई गांव और पिण्डरा में खराब ट्यूबवेलों की स्थिति

116—श्री ऊदल––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्यूबवेल नं० 6 जाल्हूपुर पंचराव व पब्लिक नलकूप पंचराव ब्लाक चिरई गांव तथा रा० ट्यूबवेल फूलपुर किरतपुर, पब्लिक नलकूप प्रथम पिण्डरा तथा राजकीय टयूबवेल किरतपुर ब्लाक पिण्डरा जिला वाराणसी एक वर्ष से लेकर तीन माह की अवधि से खराब पड़े हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त नलकूपों को अब तक क्यों नहीं बनाया गया ? क्या रा० ट्यूबवैल चिलबिला, क्वार ब्लाक बड़ागांव व मंगारी ट्यूबवेल ब्लाक पिण्डरा जिला वाराणसी की बोरिंग हुए क्रमशः दो व एक वर्ष हो गया ? यदि हां, तो इनको अब तक क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और उपरोक्त ट्यूबवेलों को जल्द चालू करायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह––

जी नहीं । केवल राजकीय नलकूप किरतपुर ब्लाक पिंडरा तीन माह से अधिक अवधि तक अर्थात् 9-5-91 से 4-2-92 तक पंपिंग सेट कुवें में गिर जाने के कारण बन्द रहा जिसे, 5-2-92 को चालू कर दिया गया हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय नलकूप चिलविला-द्वितीय ब्लाक बड़ागांव तथा राजकीय नलकूप क्वार का छिद्रण वर्ष 1989 में हुआ । राजकीय नलकूप मंगारी ब्लाक पिंडरा का पुनः छिद्रण माह 5/91 में हुआ ।

राजकीय नलकूप चिलबिला द्वितीय का ऊर्जीकरण 11-10-91 को हुआ तथा यह नलकूप चालू है। राजकीय नलकूप क्वार का ऊर्जीकरण दिनांक 23-1-92 को हुआ जिसे शीघ्र चालू किया जा रहा है। राजकीय नलकूप मगारी के पम्प हाउस के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। जिसका निर्माण कार्य पूर्ण कर इसका शीघ्र ऊर्जीकरण कराया जायेगा।

जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

117—श्री महराज सिंह यादव---

[पांचवें मंगलवार में अता०प्र०सं० 117 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

118—श्री हृदय नारायण दीक्षित---

[सदन की सेवा से निलम्बित होने का कारण हटाया गया]

जनपद फैजाबाद के नगर क्षेत्र अयोध्या तथा फैजाबाद में ही मार्टिन बर्न कम्पनी द्वारा तांबे की केबिल का लगाया जाना तथा निकाले गये तांबे के केबिल का भण्डारण

119—श्री पवन कुमार पाण्डेय---

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के नगर क्षेत्र फैजाबाद, अयोध्या, टाण्डा, अकबरपुर में गत 4 वर्षों के बीच उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने के लिए पूरे नगर क्षेत्र की पुरानी विद्युत केबिल जो तांबे की थी, को बदले जाने का कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो पृथक-पृथक नगर क्षेत्र में तांबे की कितना केबिल निकालकर उनका भण्डारण किन-किन स्टोरों में किया गया है तथा तार की अनुमानित कीमत क्या है ? यदि नहीं, तो जनपद फैजाबाद के उपरोक्त चारों नगर क्षेत्रों में मार्टिन बर्न कम्पनी द्वारा निर्मित तथा राज्य विद्युत परिषद् के देखरेख में लगी उक्त तांबें की केबिलें इस समय कहां हैं ?

श्री लालजी टण्डन---

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मार्टिन बर्न कम्पनी द्वारा अयोध्या तथा फैजाबाद में तांबे की केबिल लगायी गयी थी और वे अब तक वहीं पर लगी हुई हैं। अकबरपुर एवं टाण्डा में मार्टिन बर्न कम्पनी ने कभी भी कार्य नहीं किया।

श्री कन्हैया प्रसाद, सहायक अभियन्ता (प्रथम), सिंचाई खण्ड टाण्डा, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायत की जांच अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किया जाना

120—श्री पवन कुमार पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न श्री मंगलमणि तिवारी (प्रधान) तथा अन्य प्रधानों द्वारा सामूहिक हस्ताक्षरित पंजीकृत पत्र संख्या 095 दिनांक 12-9-91 अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य, एकादश मण्डल, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पत्र में जनपद फैजाबाद के किस अधिकारी के विरुद्ध शिकायत की गयी है ? क्या इन शिकायतों के बारे में अधीक्षण अभिन्ता, एकादश मण्डल, फैजाबाद द्वारा जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच के दौरान शिकायतकर्ताओं के लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य लिये गये हैं ? यदि हां, तो साक्ष्य का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

इस पत्र में श्री कन्हैया प्रसाद, सहायक अभियन्ता (प्रथम), सिंचाई खण्ड, टाण्डा, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायत की गयी है ।

जी हां । अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जांच की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी परन्तु इसी बीच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा श्री कन्हैया प्रसाद, सहायक अभियन्ता के सम्बन्ध में जांच हेतु अभिलेख मांग लिये जाने के कारण उक्त विभागीय जांच स्थगित हो गयी ।

विभागीय जांच के दौरान जांच कर्त्ता अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ताओं को लिखित अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 8-9-91 तथा 26-9-91 को पत्र लिखा गया परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील के अन्तर्गत विभिन्न विकास खण्डों में वर्ष 1980 से सितम्बर, 1991 तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार किये गये विद्युतीकरण का विवरण

121–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील अन्तर्गत विभिन्न विकास खण्डों में वर्ष 1980 से सितम्बर, 1991 तक किन-किन गांवों का विद्युतीकरण किया गया है तथा कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को प्रत्येक विकास खण्ड में विद्युत आपूर्ति हेतु कनेक्शन दिये गये हैं ? क्या विकास खण्ड भीटी के ग्राम पूरे गंगा राम तथा ग्राम बसोहरी में विद्युतीकरण का कार्य विभागीय सूची के अनुसार वर्ष 1988 में किया गया है ? यदि हां, तो क्या यहां विद्युतीकरण दिनांक 20-9-91 की तारीख में है ? यदि नहीं, तो किस तिथि में हैं ?

श्री लालजी टंडन–

जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील के अन्तर्गत विभिन्न विकास खण्डों में वर्ष 1980 से सितम्बर, 1991 तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार 205 अदद, एल० टी० मेन्स बिछाकर 40 अदद तथा 32 अदद हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है । जिनका विवरण देना संभव नहीं है । भीटी विकास खण्ड में 58 अदद, कटेहरी में 137 अदद और अकबरपुर में 212 अदद लोगों को कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत कनेक्शन दिये गये हैं ।

जी नहीं ।

जी नहीं विद्युतीकरण नहीं हुआ है ।

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर बीकापुर तथा टांडा में दिनांक 20-6-91 से 25-7-91 के बीच चालू नलकूपों की जानकारी तथा बन्द पड़े नलकूपों को तत्परता से चालू किया जाना

122–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में लगभग सूखे की स्थिति रहने के बावजूद अकबरपुर, बीकापुर तथा टाण्डा तहसीलों के राजकीय नलकूपों में से कितने नलकूप दिनांक 20-6-91 से लेकर 25-7-91 के बीच कार्य कर रहे थे ? पृथक-पृथक तहसीलवार कितने-कितने नलकूप किन-किन कारणों से बन्द पड़े थे ? भयंकर सूखे से त्रस्त किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की

दृष्टि से खराब नलकूपों को ठीक कराकर चालू न रख पाने के लिये किन-किन अधिकारियों को दोषी पाया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर, बीकापुर तथा टांडा में दिनांक 20-6-91 से 23-7-91 की अवधि में क्रमशः 326, 367 एवं 53 अर्थात् कुल 746 नलकूप चलित अवस्था में थे ।

जनपद फैजाबाद की अकबरपुर, बीकापुर एवं टांडा तहसील के 746 चलित नलकूपों में से दिनांक 20-6-91 से 25-7-91 तक की अवधि में जो नलकूप बन्द हुये परन्तु 25-7-91 तक ठीक नहीं हो पाये, की स्थिति निम्न प्रकार है:–

क्र० सं०	तहसील का नाम	दिनांक 25-7-91 को बंद नलकूपों की संख्या		
		या० दोष	विद्युत दोष	योग
1	अकबरपुर	14	9	23
2	बीकापुर	18	26	44
3	टांडा	3	4	7
	योग–	35	39	74

बन्द नलकूपों को तत्परता के साथ ठीक कराकर चालू करा दिया गया है । इसमें कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के दोहरीघाट पम्प कैनाल के अन्तर्गत निर्माणधीन सिकड़ीकोल माइनर बनाने की योजना निरस्त करके कृषकों की जमीन वापस किये जाने के आदेश

123–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के दोहरीघाट पम्प कैनाल के अन्तर्गत निर्माणाधीन सिकड़ीकोल माइनर की लम्बाई कुल कितने कि० मी० है ? क्या उस माइनर के निर्माण हेतु किसानों से जमीन ली जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या किसानों को जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है ? क्या यह सही है कि ग्राम भठिया से ग्राम अम्भाभेलऊर होते हुए गजियापुर तक के किसानों को जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा ग्राम सिकड़ीकोल से ग्राम गजियापुर तक प्रस्तावित माइनर का निर्माण न कराने का आदेश दिया गया था ? क्या इस माइनर के निर्माण का किसानों को कोई लाभ मिलेगा ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनहित में, बाकी बची जमीनों को किसानों को वापस करके वहां सिंचाई हेतु सरकारी नलकूप लगाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिकड़ीकोल माइनर की कुल स्वीकृति लम्बाई 16.8 कि० मी० है ।

जी हां ।

सिकड़ीकोल माइनर को 16.8 कि० मी० के बाद बनाने की योजना को निरस्त कर दिया गया है तथा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, मऊ ने चकबन्दी अधिकारी, मधुबन, आजमगढ़ (वर्तमान में मऊ) के कृषकों की जमीन वापस करने के लिये 1976 में अवगत करा दिया ।

जी हां ।

ग्राम भठिया, अम्मा भलउर एवं गजियापुर में नहर का निर्माण करना प्रस्तावित नहीं है ।

जमीन वापस करने हेतु चकबन्दी अधिकारी को 1976 में लिखा जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के फतेहपुर तालरतोय में जल भराव के कारण बुवाई न होने वाली जमीन का क्षेत्रफल तथा जल निकासी की मांग

124–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत फतेहपुर तालरतोय में पानी भरने से किसानों की कुल कितनी जमीन पर गेहूं की बुवाई नहीं हो पार रही है ? क्या पानी को निकालने हेतु कोई ठोस योजना बनाने का आदेश करेंगे ? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त पानी को निकालने हेतु अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, मऊ से दिनांक 10-12-90 को सम्पर्क करके कोई पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो इसमें कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

1255 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं की बुवाई नहीं हो पा रही है ।

प्रभावित क्षेत्र से जल की निकासी हाहा नाले घाघरा नदी में होती है । घांघरा नदी के तली के लेबिल के अनुसार वर्तमान से अधिक निकासी संभव नहीं है ।

ऐसा कोई पत्र नहीं मिला ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

125-126–श्री श्रीराम–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

127–श्री पूरन प्रकाश तथा श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

128-129–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी के ग्राम करिखियांव में बन्द पड़े नलकूपों और क्षतिग्रस्त नालियों को ठीक कराने की मांग

130–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक नलकूप, करिखियांव, ब्लाक पिंडरा व राजकीय नलकूप करिखियांव, ब्लाक पिंडरा, वाराणसी बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या पब्लिक नलकूप सन् 88 से बन्द है जिनमें बालू आ रही है ? क्या करिखियांव राजकीय नलकूप की नाली पूरी तरह से क्षतिग्रस्त

है ? यदि हां, तो अब तक इसे ठीक न करने का कारण क्या है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोनों नलकूपों को तुरन्त बनवायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

ग्राम करिखियांव में कोई पब्लिक नलकूप निर्मित नहीं है । राजकीय नलकूप करिखियांव बन्द नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

करिखियांव राजकीय नलकूप की पक्की गूल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है ।

धनाभाव के कारण कार्य न किया जा सका । वर्ष 91-92 में मरम्मत कार्य कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

131-132–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

जनपद मऊ के अन्तर्गत तहसील घोसी के ग्राम अकोल्ही मुबारकपुर के श्री देवनारायन पुत्र श्री रामदास की दो भैंसों पर बिजली का तार गिरने से मर जाने के कारण अनुग्रह धनराशि स्वीकृति करने की मांग

133–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के अन्तर्गत तहसील घोसी के ग्राम अकोल्ही मुबारकपुर के श्री देवनरायन पुत्र श्री रामदास की दो भैंसे दिनांक 14-8-90 को 12 बजे दिन में बिजली के तार गिरने से मर गयी ? क्या इसके लिये आर्थिक सहायता हेतु प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र सं० 41903 दिनांक शून्य को अपर जिलाधिकारी, मऊ को सूचना दी थी ? क्या सूचना देने के बाद भी अब तक कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी ? यदि हां, तो क्या मा० मुख्य मंत्री जी इसे आर्थिक सहायता दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री लाल जी टंडन–

जी हां ।

जी हां ।

तद्नुसार मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता गोरखपुर से उनकी संस्तुति, शव विच्छेदन आख्या आदि प्राप्त करके अनुग्रह राशि स्वीकृति करने की विद्युत परिषद् द्वारा कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद मऊ के अन्तर्गत लोकीपुर, पो० दुबारी में विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने की मांग

134–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के अन्तर्गत ग्राम लोकीपुर, पो० दुबारी में ट्रांसफार्मर न रहने के कारण उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल पा रही है ? क्या इसके संबंध में प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 11 अक्टूबर, 1990 को उन्हें कोई पत्र दिया था ? क्या इस ग्राम सभा में ट्रासफार्मर लगाने हेतु श्री सुखदेव सिंह उप सचिव, ऊर्जा (3) के द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 1991 को प्रश्नकर्ता को सूचना दी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम सभा में ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार में बड़भुइली के पास जरगो माइनर से भाईपुर फीडर की खुदाई न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण कार्य का स्थगन

135–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (मिर्जापुर)–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार में बड़भुइली के पास जरगो माइनर से भाईपुर फीडर की खुदाई विगत एक वर्ष से चल रही है परुन्त उक्त फीडर पूरा नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार उसे कब तक पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् कुछ काश्तकारों द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश लिये जाने के कारण कार्य स्थगित है ।

स्थगन आदेश को समाप्त कराने की कार्यवाही की जा रही है । स्थगन आदेश के समाप्त होने के पश्चात् कार्य पूरा कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नलकूप मण्डल गोरखपुर में कार्यरत ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह (स्टोर मुंशी) की प्रोन्नति न करने का कारण

136–श्री अनिल कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप मण्डल गोरखपुर में कार्यरत ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह (स्टोर मुंशी) विगत 11 वर्षो से कार्यरत हैं जबकि इनकी प्रोन्नति अभी तक नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? इनसे जूनियर लोगों की प्रोन्नति हो चुकी है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह कार्य प्रभारित अधिष्ठान के अन्तर्गत स्टोर मुंशी के पद पर दिनांक 7-7-80 से नलकूप खण्ड प्रथम, गोरखपुर में कार्यरत हैं । विभागीय चयन समिति द्वारा भंडार पाल के पद पर चयन में उपयुक्त न पाये जाने के कारण श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह की प्रोन्नति भंडार पाल के पद पर नहीं की गयी ।

137–श्री विजय सिंह–

[दिनांक 28-2-92 को अता० प्र० सं० 173 द्वारा उत्तरित]

138–श्री विजय सिंह–

[दिनांक 27-2-92 को अता० प्र० स० 174 द्वारा उत्तरित]

जनपद उन्नाव के विकास क्षेत्र हिलौली की ग्राम सभा अकोहरी मजरे पठई में लघु सिंचाई हेतु विद्युत लाइन बिछाये जाने की मांग

139–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास क्षेत्र हिलौली की ग्राम सभा अकोहरी मजरे पठई में बिजली विभाग द्वारा फरवरी, 91 में लघु सिंचाई हेतु सर्वे किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थान पर विभाग ने बिजली लाइन बिछा दी है ? यदि नहीं, तो किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए विद्युत लाइन कब तक बिछा दी जायेगी ?

श्री लालजी टंडन–

प्रश्नगत ग्राम के लघु सिंचाई के 21 अदद संभावित उपभोक्ताओं ने माह अप्रैल, 1991 में विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया था जिसकी साइट का सर्वे माह जून, 1991 में किया गया था ।

जी नहीं ।

उपरोक्त ट्यूबवेल कनेक्शनों को विद्युत संयोजन देने हेतु लगभग 7 कि० मी० 11 के वी० लाइन, 7 अदद विद्युतु उपकेन्द्र तथा लगभग 2 कि० मी० एल० टी० लाइन का निर्माण करना पड़ेगा । इतने बड़े कार्य को करने में काफी अधिक व्यय आयेगा जिसको कि संबंधित उपभोक्ता वहन करने में असमर्थ प्रतीत होते हैं । अतएव उक्त लाइन का निकट भविष्य में बनाया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है ।

140–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया]

श्री कन्हैया प्रसाद, सहा० अभियन्ता, सिंचाई खण्ड टांडा, जनपद फैजाबाद द्वारा किये गये विभिन्न भ्रष्टाचारों के विरुद्ध शिकायत एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

141–श्री पवन कुमार पांडेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कन्हैया प्रसाद, सहा० अभियन्ता, सिंचाई खण्ड टाण्डा, जनपद फैजाबाद द्वारा किये गये विभिन्न भ्रष्टाचारों के बारे में संलग्नकों सहित प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 31-7-91 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायती पत्र को कार्यवाही हेतु सचिव-सिंचाई विभाग को भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या शिकायती पत्र के बिन्दुओं के अनुसार तथा पत्र के साथ संलग्न श्री मंगलमणि तिवारी, ग्राम प्रधान सहित दर्जनों प्रधानों द्वारा हस्ताक्षरित शिकायती पत्र की भी जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच के दौरान शिकायतकर्ताओं के लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 31-7-91 को प्राप्त हुआ है किन्तु उसके साथ कोई संलग्नक नहीं प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

श्री मंगलमणि तिवारी, ग्राम प्रधान सहित अन्य प्रधानों द्वारा हस्ताक्षरित शिकायती पत्र यद्यपि पत्र दिनांक 31-7-91 के साथ प्राप्त नहीं हुआ था परन्तु प्रश्नकर्ता सदस्य के एक अन्य पत्र दिनांक 11-9-91 के साथ अलग से सीधे अधीक्षण अभियन्ता को प्राप्त हुआ था जिसकी जांच अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रारम्भ की गयी परन्तु इसी बीच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा श्री कन्हैया प्रसाद, सहायक अभियन्ता के संबंध में अभिलेख मांग लिये जाने के कारण उक्त विभागीय जांच स्थगित हो गयी ।

विभागीय जांच के दौरान जांचकर्ता अधिकारी द्वारा शिकायतकर्त्ताओं को लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 8-9-91 तथा दिनांक 26-9-91 को लिखा गया परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

142–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचारों के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित कराया गया पत्र दिनांक 14-8-91 संलग्नकों सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या इस शिकायती पत्र को कार्यवाही हेतु "अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद्" को भेजा गया है ? यदि हां, तो शिकायती पत्र के विवरणानुसार संलग्नकों में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुसार अब तक क्या कार्यवाही करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

जी हां ।

जी हां ।

शिकायती पत्र में उल्लिखित विभिन्न परिवादों की गहन समीक्षा के उपरान्त सम्पूर्ण प्रकरण पुलिस महानिरीक्षक, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ को सतर्कता जांच हेतु संदर्भित किया गया है । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

143–श्री राम प्रसाद–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

नैनीताल जनपद के कोशियाना क्षेत्र (बेतालघाट) की नहरों में पानी की छीजन की समस्या

144–श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि नैनीताल जनपद के कोशियाना क्षेत्र (बेतालघाट) की नहरों में पानी की छीजन की गंभीर समस्या है ? यदि हां, तो इस समस्या के क्या कारण हैं तथा इस छीजन को कम करने के क्या उपाय किये गये हैं ? क्या कन्क्रीटिंग, प्वाइन्टिंग, एक्सपेन्डेड मेटल डालने, केकड़े मारने की दवा के अतिरिक्त भी कुछ उपाय किये गये हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पुरानी पर्वतीय नहरों में पानी छीजन की समस्या सामान्य है, जो कि कोशियाना क्षेत्र (बेतालघाट) में भी है ।

यह समस्या मुख्यतः पर्वतीय नहरों में तेज जल वेग के कारण उत्पन्न होती है क्योंकि जल के साथ-साथ बालू बजरी इत्यादि भी चलती है । अस्थाई उपचार के अतिरिक्त चिनाई के जोड़ों में प्वाइंटिंग तथा तली में सीमेन्ट ग्राउटिंग कराकर लीकेज को रोका जाता है, जो कि रख-रखाव के अन्तर्गत समय-समय पर आवश्यकता एवं धन उपलब्धता के अनुसार कराया जाता है ।

145-147–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

जनपद हमीरपुर के ग्राम भौरा में पम्प कैनाल के निर्माण की मांग

148–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद हमीरपुर के ग्राम भौरा में पम्प कैनाल गत वर्षो से स्वीकृत है ? यदि हां, तो भौरा पम्प कैनाल कब तक निर्मित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग में शासनादेश सं० 63/सात–85-23-सिं-7-19 (4)/83, दिनांक 3-1-1985 द्वारा इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारी, विभागीय कर्मचारियों के पदोन्नति की मांग

149–श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में शासनादेश संख्या 63/सात-85-23 सिं-7-19 (4) /83. दिनांक 3-1-1985 के अन्तर्गत कितने विभागीय कर्मचारी जिन्होंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर लिया है उन्हें प्रोन्नति किया गया है ? इन्हें किन आधारों पर किया गया है ? विभाग में अब कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने उक्त डिप्लोमा कर लिया है और उन्हें प्रोन्नति नहीं किया गया है ? इसके लिए कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

22 कर्मचारियों को अवर अभियंता (यांत्रिक) के पद पर प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग द्वारा प्रोन्नत किया गया था । उक्त पदोन्नतियों को बाद में शासन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था । कतिपय कर्मचारियों द्वारा मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है चूंकि मामला मा० न्यायालय में अभी भी विचाराधीन है । अतः इस संबंध में कोई सूचना दिया जाना जनहित में संभव नहीं है ।

सिद्धार्थनगर जनपद में मोहली एवं ठेवरुवा (शिवनगरी) में विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने की मांग

150–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद में मोहली एवं ठेवरुवा (शिवनगरी) सब स्टेशन बनवाने का उनका विचार है ? यदि हां, तो इन्हें कब तक बना दिया जायेगा ?

श्री लालजी टंडन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ क्षेत्र में सिंचाई हेतु लगे ट्यूबवेलों की संख्या एवं उनके रख-रखाव, मरम्मत आदि की स्थिति

151-श्री शिव लाल मित्तल–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर में सिंचाई हेतु कितने ट्यूबवेल हैं तथा उनमें कितने किन कारणों से बन्द हैं ? क्या नलकूप संख्या 38

एवं 39 लगभग 5 वर्षो से बन्द हैं नलकूपों की तकनीकी खराबियों एवं अन्य मरम्मत का कार्य क्यों नहीं हो सका ? क्या मरम्मत के लिये जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

20 राजकीय नलकूप हैं ।

इन 20 राजकीय नलकूपों में से दिनांक 4-2-92 की स्थिति के अनुसार कोई भी नलकूप यांत्रिक या विद्युत खराबी के कारण बंद नहीं हैं ।

जी नहीं ।

इन नलकूपों की तकनीकी खराबियों एवं अन्य मरम्मत कार्य समय-समय पर उपलब्ध धनराशि के आधार पर आवश्यकतानुसार कराये जाते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के दोनों डिवीजनों में बिजुत बिलों की गड़बड़ी के संदर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र तथा जांच की मांग

152–श्री अमरेश चंद्र पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के दोनों डिवीजनों में बिलों की गड़बड़ी के संबंध में दिया गया प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-10-91 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र पर जांच कराने का आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन–

जी हां ।

आवश्यक जांच के आदेश भी दिये गये हैं ।

जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिद्धार्थनगर जनपद के विकास खण्ड बढ़नी, जोगिया, नौगढ़, उस्का, शोहरतगढ़, बर्डपुर के गांवों में विद्युतीकरण किये जाने तथा अधूरे कार्यों को पूरा करने की मांग

153–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद के विकास खण्ड बढ़नी, जोगिया, नौगढ़, उस्का, शोहरतगढ़, बर्डपुर के किन-किन गांवों में विद्युतीकरण अधूरा है ? क्या यह सत्य है कि वहां पर न खम्भे गड़े हैं और न ही तार खींचा गया और वहां ट्रांसफार्मर भी नहीं लगा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या खम्भा, तार ट्रांसफार्मर लगे स्थानों को लाइन से जोड़ा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त अधूरे कार्य पूरे किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लालजी टंडन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

154–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

155–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद के विकास खण्ड बढ़नी, जोगिया, नौगढ़, उस्का, शोहरतगढ़ बर्डपुर के किन-किन गांवों में विद्युतीकरण अधूरा है ? क्या यह भी बतायेंगे कि यह अधूरे कार्य कब तक पूरे किये जायेंगे एवं कितने वर्षो से अधूरे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

156-157–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाये गये]

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बांदा द्वारा 10 खम्भों की लाइन चुंगी से नवाब गंज तक गाड़े जाने पर अनुमानित लाग.. का विवरण

158–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बांदा द्वारा बिना स्वीकृति के 11 के० वी० की 10 खम्भों की लाइन चुंगी से नवाब टैंक तक लगभग 800 मीटर खीची गयी थी, जिसकी लागत लगभग 1,33,481-00 रु० होती है ? यदि हां, तो क्या अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मंडल, बांदा ने पत्रांक 2085 चिवि० म०/ई-13 दिनांक 19-10-91 द्वारा इसे रोकने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य रोककर खींची गयी लाइन निकलवा ली गयी है ? यदि हां, तो इस कार्य में सरकारी धनराशि के अपव्यय का दोष किस पर है ? क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई वसूली व निलम्बन की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

प्रश्नगत कार्य की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बांदा के द्वारा कुल अनुमानित लागत रु० 1,33,481 (रु० एक लाख तैंतीस हजार चार सौ इक्यासी मात्र) के लिये प्रदान की गयी थी ।

तकनीकी कारणों से उक्त अधीक्षण अभियन्ता ने पत्र द्वारा उक्त कार्य पर रोक लगा दी थी ।

प्रश्नगत कार्य प्रारम्भिक अवस्था में ही मात्र 10 पोल विभागीय कर्मचारियों के द्वारा खड़े किये जाने के उपरान्त रोक लगा दी गयी थी इससे परिषद् को हानि नहीं हुई । अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही वांछित नहीं हैं ।

जनपद बांदा में वर्तमान समय में लगे ट्रांसफार्मरों की स्थिति/विवरण

159–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में बांदा जनपद में कितने ट्रांसफार्मर लगे हैं ? उनमें से कितने सही हालत में हैं और कितने कब से खराब हैं ? वर्ष 1988 से अब तक कितने

ट्रांसफार्मरों के चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गयी है ? क्या यह भी बतायेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खंड बांदा को किस-किस मद में और कितनी-कितनी धनराशि दी गयी है ?

श्री लालजी टंडन–

वर्तमान समय में जनपद बांदा में 1,709 विद्युत ट्रासंफार्मर लगे हुये हैं जिनमें से 1,632 सही हालत में है तथा 77 खराब हैं ।

वर्ष 1988 से अब तक 46 ट्रांसफार्मरों की चोरी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई हैं ।

चालू वित्तीय वर्ष अधिशासी, अभियन्ता, विद्युत वितरण प्रखण्ड, बांदा को जो धनराशि उपलब्ध कराई गयी है इसका मदवार विवरण निम्न प्रकार है:–

1–परिचालन एवं अनुरक्षण:–

(ओ० एण्ड एम०) रु० 6,02,000/-

(रु० छः लाख दो हजार मात्र)

2–ग्रामीण विद्युतीकरण–

रु० 3,94,000/-

(तीन लाख चौरान्नवे हजार मात्र)

जनपद बांदा में आमबाग चुंगी चौकी से नवाब टैंक तक 11 के वी० ए० खींची गई लाइन के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा की गयी शिकायत पर कृत कार्यवाही की जानकारी

160–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने बांदा आमबाग चुंगी चौकी से नवाब टैंक तक बिना स्वीकृति के 11 के वी० ए० की लाइन खींची जाने की शिकायत पत्र सं० क नं० 293961/63 दिनांक 4-11-91 द्वारा उन्हें भेजी गयी थी ? यदि हां, तो उस शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या दोषी अधिकारी को वर्णित आरोपों में दंडित किया जावेगा ? यदि हां, तो क्या दण्ड दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

जी हां ।

प्रश्नगत कार्य की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बांदा के द्वारा प्रदान की गयी थी । किन्तु तकनीकी कारणों से अधीक्षण अभियन्ता ने कार्य पर रोक लगा दी थी ।

प्रश्नगत कार्य प्रारम्भिक अवस्था में ही मात्र 10 पोल विभागीय अधिकारियों द्वारा खड़े किये जाने के उपरान्त रोक दिया गया था इससे परिषद् की हानि नहीं हुई । अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही वांछित नहीं है ।

जनपद एटा के सहायक अभियन्ता नलकूप खंड के श्री बालकिसन शर्मा के विरुद्ध प्रश्नकर्ता एवं अन्य विधायकों के हस्ताक्षरित शिकायती पत्र पर जांच की मांग

161–श्री सुधाकर वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को, प्रश्नकर्ता तथा जनपद एटा के अन्य विधायकों के हस्ताक्षरयुक्त कोई शिकायती पत्र दिनांकित 6-9-91 जो कि सहायक अभियन्ता, नलकूप खण्ड, एटा के श्री बालकिशन शर्मा के विरुद्ध था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत सहायक अभियन्ता के विरुद्ध प्रश्नकर्ता एवं अन्य विधायकों का दिनांक 16-9-91 का एक हस्ताक्षरयुक्त शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है परन्तु दिनांक 6-9-91 का उल्लिखित शिकायती पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

प्राप्त शिकायती-पत्र दिनांक 16-9-91 की जांच अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, अलीगढ़ द्वारा की जा रही है ।

162–श्री पूरन प्रकाश–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

सिंचाई विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों को विनियमित किये जाने का मामला

163–श्री बसन्त लाल गुप्ता–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों के विनियमितीकरण के क्या नियम हैं ? क्या विनियमित कनिष्ठ लिपिकों की ज्येष्ठता का निर्धारण उनके विनियमितीकरण आदेश जारी होने के दिनांक से किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो कितने कनिष्ठ लिपिक ऐसे हैं जिन्हें उक्त व्यवस्था के विपरीत विनियमितीकरण आदेश जारी होने के दिनांक के बजाय पूर्व की तिथि से ज्येष्ठता प्रदान की गयी है ? क्या उक्त कनिष्ठ लिपिकों की ज्येष्ठता का निर्धारण शासनादेश/नियमों के अनुसार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या-19/8-75(2) का०-1 दि० 14 मई, 1979 द्वारा प्रख्यापित उ० प्र० (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली 1979 का नियम-4 कनिष्ठ लिपिकों के विनियमितीकरण पर लागू होता है ।

जी हां ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय संवर्ग में ऐसे कनिष्ठ लिपिकों की संख्या-11 है । मण्डलीय संवर्ग में ऐसे कनिष्ठ लिपिकों की संख्या-45 है ।

खण्डीय संवर्ग में कनिष्ठ लिपिकों की ज्येष्ठता विनियमितीकरण के दिनांक से प्रस्तावित है ।

श्री राम किशोर कुशवाहा बनाम राज्य सरकार निर्देश याचिका, इसी प्रकरण पर मा० लोक सेवा अधिकरण के विचाराधीन है । प्रश्नगत प्रकरण में निर्णय के अनुसार यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता संवर्ग में वरिष्ठ लिपिक (पूर्व पदनाम कनिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक) के पद पर प्रोन्नति हेतु अनुसचिवीय नियमावली, 1971 सुसंगत सेवा नियम का विवरण

164–श्री बसन्त लाल गुप्ता–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता संवर्ग में वरिष्ठ लिपिक (पूर्व पद नाम कनिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक) के पद पर प्रोन्नति हेतु सुसंगत सेवा नियम क्या

हैं ? क्या इन नियमों में वरिष्ठ लिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिये समिति गठित किये जाने का भी प्राविधान है ? यदि हां, तो वर्ष 1974 से 1979 की अवधि में सुसंगत सेवा नियमों के अधीन वरिष्ठ लिपिक पद पर कितनी प्रोन्नतियां की गयी हैं ? क्या इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1974 से 1979 के मध्य प्रत्येक वर्ष सेवा नियमों के अनुसार कोई समिति गठित की गयी थी । यदि हां, तो इस समिति के कौन-कौन अधिकारी सदस्य थे ? यदि नहीं, तो क्या उक्त अवधि में प्रोन्नत किये गये वरिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति सुसंगत सेवा नियमों के अधीन है ? यदि नहीं, तो क्या इन वरिष्ठ लिपिकों को सुसंगत सेवा नियमों के अधीन नियुक्त न होने के उपरान्त भी ज्येष्ठता निर्धारण में लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रमुख अभियन्ता संवर्ग में वरिष्ठ लिपिक पूर्व पदनाम कनिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक के पद पर प्रोन्नति हेतु अनुसचिवीय नियमावली 1971 के निम्न सुसंगत सेवा नियम निम्नवत् है:–

5(ग) वर्ष में 50 प्रतिशत रिक्तियां, मुख्य अभियन्ता के कार्यालय के स्थायी नैत्यक कोटि लिपिकों (रूटीन ग्रेड क्लर्क) में से ज्येष्ठता के आधार पर, किन्तु अनुपयुक्त कर्मचारियों को अस्वीकार करते हुये, पदोन्नति द्वारा ।

(ख) वर्ष में 50 प्रतिशत रिक्तियां प्रतियोगिता परीक्षाफल पर सीधी भर्ती द्वारा ।

टिप्पणी:–यदि किसी वर्ष विशेष स्रोत, अर्थात् उपर्युक्त (क) या (ख) से पर्याप्त संख्या में उपर्युक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो मुख्य अभियन्ता उक्त अनुपात में परिवर्तन कर सकता है ।

वरिष्ठ लिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिये समिति गठित किये जाने का प्राविधान है ।

वर्ष 1974 से 1979 की अवधि में सुसंगत सेवा नियमों के अधीन 48 कनिष्ठ लिपिकों की स्थानापन्न प्रोन्नतियां की गयी । वर्ष 1979 में 41 कनिष्ठ लिपिक की 2-2 माह हेतु वरिष्ठ लिपिक पद पर प्रोन्नतियां की गयीं । प्रोन्नति हेतु चयन समिति का गठन 8 फरवरी, 1974, 20 सितम्बर, 1976 एवं 27 सितम्बर, 1977 को किया गया था ।

वर्ष 1974, 1976, 1977 में प्रोन्नति हेतु जो चयन समितियां गठित की गयी थीं, उनमें सेवा नियमावली के नियम-17 के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता, या उससे उच्च स्तर के दो अधिकारी रखे गये थे ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लागू सेवा नियमों व शासनादेश के आधार पर ।

सिंचाई विभाग में प्रमुख अभियन्ता संवर्ग में वरिष्ठ लिपिक के पद पर वर्ष 1974 से 1978 के मध्य किसी की प्रोन्नति न होना तथा 1979 में अल्पकालिक व्यवस्था के अन्तर्गत की गयी प्रोन्नति का विवरण

165–श्री बसन्त लाल गुप्ता–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में प्रमुख अभियन्ता संवर्ग में वरिष्ठ लिपिक के पद पर वर्ष 1974 से वर्ष 1979 की अवधि में अल्पकालिक व्यवस्था में कितने कनिष्ठ लिपिक प्रोन्नति किये गये थे ? क्या इनका वरिष्ठ लिपिक के पद पर नियमानुसार विनियमितीकरण कर

दिया गया है ? यदि हां, तो किन आदेशों के अन्तर्गत ? यदि नहीं, तो उक्त अवधि में अल्पकालिक व्यवस्था में प्रोन्नति वरिष्ठ लिपिकों का विनियमितीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1974-78 के मध्य अल्पकालिक व्यवस्था में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कोई प्रोन्नति नहीं की गयी । वर्ष 1979 में अल्पकालिक व्यवस्था में 41 प्रोन्नतियां की गयी ।

चूंकि प्रोन्नतियां नियमानुसार की गयी हैं अतः विनियमितीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत परिषद् में लिपिकीय संवर्ग एवं ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

166–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत परिषद् में लिपिकीय संवर्ग में एवं ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के कितने पद रिक्त है ? उन रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियां की जायेगी ?

श्री लालजी टंडन–

रिक्त पदों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है ।

परिषद् की विषम आर्थिक स्थिति के कारण वर्तमान समय में नियुक्तियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध हैं, जिसके हटने पर ही नियुक्तियां की जा सकेंगी ।

कानपुर विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन में रिक्त ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के पद की पूर्ति करने वाले सक्षम अधिकारी की जानकारी

167–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन में ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के कितने पद रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सक्षम अधिकारी कौन है ?

श्री लालजी टंडन–

एक पद ।

महाप्रबन्धक ।

168-170–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाये गये]

जनपद आजमगढ़ के परिक्षेत्र में दि किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड सठियांव द्वारा वर्ष 1990-91 में सड़कों के निर्माण तथा वर्ष 1991-92 में निर्धारित सड़कों के निर्माण का विवरण

171–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, सठियांव, आजमगढ़ के परिक्षेत्र में वर्ष 1990-91 में किन- किन सड़कों का निर्माण एवं पुनः निर्माण अथवा मरम्मत का कार्य गन्ना विकास परिषद् द्वारा सम्पन्न कराया गया और शासन द्वारा सड़कवार कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी ? अब तक सड़कवार कितनी-कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी

है ? क्या यह सत्य है कि वर्ष 1991-92 में प्राथमिकता हेतु निर्धारित सड़कों पर अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री हनुमन्त सिंह–

दि किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड सठियांव (आजमगढ़) के परिक्षेत्र में वर्ष 1990-91 में निर्माण पुनः निर्माण अथवा मरम्मत के विरुद्ध केवल निम्नांकित सड़कों का अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण योजनान्तर्गत पेंटिंग का कार्य कराया गया है :–

1–महुआ से अवांव– 1.40 कि० मी०

2–खुशिया से भगवानपुर– 1.25 कि० मी०

शासन द्वारा सड़कवार कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है किन्तु स्थानीय प्राथमिकता के आधार पर रोड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी द्वारा उक्त सड़कों का चयन किया गया तथा वर्ष 1990-91 में उन पर क्रमशः रु० 2.921 तथा 1.650 लाख की धनराशि व्यय की गयी है ।

जी नहीं ।

वर्ष 1991-92 में रामपुर-बजहा का निर्माण कार्य प्रगति पर है जो 31-3-92 तक पूर्ण हो जायेगा परन्तु काशीपुर असाउर का निर्माण कार्य धनाभाव के कारण संभव नहीं है ।

ज्ञानपुर वाराणसी के ज्ञानपुर पम्प कैनाल के कई जगहों से कट जाने से कतिपय गांवों की फसल को हुई क्षति की जांच करने की मांग

172–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्ञानपुर पम्प कैनाल वाराणसी की नहर गांव लखन सेनपुर बनकट, दौलतिया आदि गांवों के पास टूट गयी है और कई गांवों में पानी फैल गया जिससे बोई हुई गेहूं की फसल डूब कर सड़ गयी और रबी की बुआई भी पिछड़ गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और किसानों को मुआवजा देगी तथा दोषी लोगों को दण्डित करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दिनांक 14-12-91 को कृषकों द्वारा उक्त नहर की कटिंग कर सिंचाई हेतु पानी लिया गया । उक्त नहर के बहाव से ग्राम लखन सेनपुर में 1-82 एकड़ व ग्राम शिवदासपुर में 0-19 एकड़ गेहूं की फसल में लगभग 25% की क्षति हुई है । क्षेत्र की स्थिति को देखने से ऐसा नहीं प्रतीत होता कि बुआई पिछड़ गयी है ।

उपरोक्त कटिंग के संबंध में जांच कराई गई एवं कटिंग करने वाले व्यक्ति पर विभागीय नियम के अन्तर्गत कैनाल एक्ट की धारा–70 के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया है । आंशिक फसल की क्षति के लिए किसी प्रकार का मुआवजा विभागीय नियम के अनुसार देय नहीं है ।

173–श्री सुरेन्द्र नाथ–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

गन्ना शोध संस्थान, सेवरही, देवरिया में सुसंगत नियमों में मा० विधायकों को नामित किये जाने का प्राविधान

174–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संरक्षक मंडल गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान, सेवरही, देवरिया में स्थानीय विधायक एक सदस्य होते हैं ? यदि हां, तो किसी वर्तमान विधायक को सदस्य रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सुसंगत नियमों में मा० विधायकों को नामित किये जाने हेतु कोई स्पष्ट प्राविधान नहीं है ।

175–श्री राम प्रसाद सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के अधीन ओबरा, हरदुआगंज तथा पनकी व परीक्षा ताप परियोजनाओं में कार्यरत मस्टर रोल/संविदा श्रमिकों के वेतन भुगतान की दरों में अन्तर पाया जाना

176––श्री लल्लू सिंह––

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीन ओबरा, हरदुआगंज तथा पनकी व परीक्षा ताप परियोजनाओं में कार्यरत मस्टररोल कर्मचारियो/संविदा श्रमिकों को विभिन्न पदों पर वेतन भुगतान की दरें अलग-अलग परियोजनाओं में अलग-अलग हैं ? यदि हां, तो एक ही उद्योग में एक ही वेतन नीति के आधार पर परीक्षा व हरदुआगंज तापीय परियोजना की भांति अनपरा तापीय परियोजना के अन्तर्गत जल आपूर्ति व्यवस्था में कार्यरत ठेका श्रमिकों को वेतन का भुगतान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लघु सिंचाई सुल्तानपुर अन्तर्गत तारापुर माइनर के निर्माण का वर्ष एवं माइनर के अनुरक्षण पर वर्ष 1989–90 में हुए व्यय का विवरण

177––श्री तेजभान सिंह––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु सिंचाई सुल्तानपुर अन्तर्गत तारापुर माइनर का निर्माण कब, किस अधिकारी द्वारा कितने कि० मी० कराया गया है ? क्या किसानों को उक्त नहर की भूमि का मुआवजा प्राप्त हो गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त माईनर पर पिछले 2 वर्षों में अनुरक्षण पर कितना धन खर्च किया गया है तथा उक्त नहर से कितने किसानों की कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

तारापुर माइनर का निर्माण वर्ष 1981 मे सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर के सहायक अभियन्ता श्री आर० पी० एस० पवार एवं अधिशासी अभियन्ता श्री जनेश्वर दास द्वारा कराया गया है । नहर की कुल 7.500 कि०मी० लम्बाई का निर्माण कराया गया है ।

जी नहीं ।

माइनर के अनुरक्षण पर वर्ष 1989–90 में कुल रु० 8435.00 एवं वर्ष 1990–91 में रु० 10500.00 व्यय किया गया है । माइनर द्वारा वर्ष 1989–90 में खरीफ में 130 एकड़ एवं रबी में 274 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की गई जिससे क्रमशः 124 एवं 248 कृषक लाभान्वित हुए । इसी प्रकार वर्ष 1990–91 में खरीफ में 357 एकड़ तथा रबी में 331 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की गयी जिससे क्रमशः 349 एवं 341 कृषक लाभान्वित हुए ।

जनपद बांदा के केन कैनाल तृतीय उपखण्ड के अधिशासी अभियन्ता से नहरों के रख-रखाव एवं संचालन हेतु वर्ष 1990–91 के आय व्ययक के विवरण की जानकारी

178–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के केन कैनाल तृतीय उपखण्ड के अधिशासी अभियन्ता से प्रश्नकर्ता द्वारा नहरों के रख-रखाव एवं संचालन हेतु वर्ष 1990–91 के आय-व्यय का विवरण दिनांक 28–7–91 को मांगा गया था ? यदि हां, तो उक्त विवरण क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां ।

वांछित विवरण इस प्रकार है :—

वित्तीय वर्ष 1990–91 में केन नहर प्रखण्ड, बांदा के अन्तर्गत तृतीय उपखण्ड बांदा में शीर्षक 2701 में रु० 9.62 लाख एवं शीर्षक 2702 में रु० 1.75 लाख रुपये का आवंटन नहरों के रख-रखाव पर किया गया था । इस आवंटन के विरुद्ध बांदा तिन्दवारी एवं पतरहा अनुभागों में शीर्षकवार एवं मदवार व्यय निम्नवत् है :—

मद का नाम	वर्ष 1990–91 में व्यय (लाख रुपये में)	
	2701	2702
1–पक्के कार्यों पर	1.00	0.48
2–सिल्ट क्लीयरेंस	0.69	—
3–नहरों के किनारों का सुदृढ़ीकरण	3.03	0.95
4–वाहन पर व्यय	0.35	—
5–मस्टर रोल पर	1.63	0.28
6–जंगल सफाई	0.24	—
7–अन्य मद	2.40	0.02
योग	9.34	1.73

जनपद बांदा के विकास खण्ड बडोखर खुर्द के अन्तर्गत ग्राम गोयरा मुगली में राजकीय नलकूप को चालू कराने की कार्यवाही

179–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड बडोखर खुर्द के अन्तर्गत ग्राम गोयरा मुगली में दो तीन वर्ष पहले राजकीय नलकूप का किस विभाग द्वारा बोर किया गया था तथा

इस समय किसके अधीनस्थ है ? क्या पम्प हाउस व पाइप लाइन बिछाकर राजकीय नलकूप को चलवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

ग्राम गोयरा मुगली, विकास खण्ड बडोखर खुर्द, जनपद बांदा में केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद द्वारा वर्ष 1989-90 में अन्वेषणात्मक छिद्रण किया गया था ।

वर्तमान में भी यह केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद के अधीनस्थ है ।

यह नलकूप केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद द्वारा सिंचाई विभाग को हस्तगत नहीं किया गया है अतः अभी विभाग द्वारा पंप हाउस व पाइप लाइन आदि कार्य कराने व इसको चलाये जाने का प्रश्न नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बांदा के नलकूप खण्ड को वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में दी गई वित्तीय सहायता से रख-रखाव में खर्च तथा बन्द पड़े नलकूपों के कारण की जानकारी

180–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के नलकूप खण्ड बांदा को 1990-91 एवं वित्तीय वर्ष 1991-92 में अलग-अलग राजकीय नलकूपों के रख-रखाव हेतु कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ? किन ब्लाकों के किस नम्बर के राजकीय नलकूप में कितना खर्च हुआ है ? इस समय लगभग 60 प्रतिशत नलकूपों के बन्द व खराब रहने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि विभाग द्वारा जो मोटरें नलकूप की भरी जाती है उसमें घटिया किस्म का वायर लगाया जाता है जिससे दूसरे या तीसरे दिन पुनः मोटर जल जाती है तथा कनडक्टर व कट आउट भी निम्न कोटि के हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नलकूप खण्ड, बांदा को वित्तीय वर्ष 1990-91 में राजकीय नलकूपों के रख-रखाव हेतु रु० 14.5 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी जिसके विरुद्ध 14.35 लाख का व्यय किया गया एवं वित्तीय वर्ष 1991-92 के माह 12/91 तक राजकीय नलकूपों के रख-रखाव हेतु रु० 11.31 लाख की धनराशि प्राप्त हुई जिसके विरुद्ध रु० 7.52 लाख व्यय किया गया । अलग-अलग नलकूपों हेतु कोई धनराशि आवंटित नहीं होती है अतः नलकूपवार व्यय का विवरण भी नहीं रखा जाता है । 60 प्रतिशत नलकूप कभी भी बन्द नहीं रहे हैं । दिनांक 12-3-92 की नलकूप बन्दी की सूचना के अनुसार इस खण्ड के राजकीय नलकूप 4.6 प्रतिशत यांत्रिक दोष से एवं 5.4 प्रतिशत विद्युत दोष से बन्द हैं ।

मोंटरों को भरने में जो तार/कंडक्टर उपयोग किया जाता है वह विभाग के सामग्री सज्जा प्रबंध के मुख्य अभियन्ता द्वारा देश की जानी मानी किसी संस्था के निरीक्षण उपरान्त प्राप्त किया जाता है, जो निम्न कोटि का नहीं होता है । ऐसा भी यदा कदा ही किसी बड़े विद्युत दोष के कारण होता है कि मोटर दूसरे तीसरे दिन जल जाये । कट आउट भी डी० जी० एस० एण्ड डी० या उद्योग निदेशक, उ० प्र० के दरअनुबन्ध के विरुद्ध प्राप्त किये जाते हैं जिनकी गुणवत्ता पूर्व परीक्षित होती है । मोटर जलने के विषय में जांच कराई जाती है ।

181–श्री पूरन प्रकाश–

[५वें गुरुवार में अता० प्र० सं० 197 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

182–श्री सुरेन्द्र सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

प्रदेश की चीनी मिलों में खाली बोरों की दर गनी ट्रेडर्स एसोसियेशन द्वारा तय किया जाना

183–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों में बोरे क्रय करने की दर क्या निर्धारित है ? क्या यह सही है कि जनपद लखीमपुर खीरी की सहकारी चीनी मिलों में बोरों की आपूर्ति खुले बाजार में बिकने वाले बोरों के मूल्य से अधिक मूल्य पर की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उक्त बोरों के क्रय में 2 रु० के हिसाब से कमीशन लेकर मिलों के धन का दुरुपयोग किया जाता है ? यदि हां, तो कमीशन लेने का आधार क्या है ? इसमें दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

निश्चित दर निर्धारित नहीं है । खाली बोरे क्रय करने की दर साधारणतया गनी ट्रेडर्स एसोसियेशन द्वारा इंगित दैनिक अन्तिम दरों पर आधारित होती है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

अतः किसी के दोषी होने का कोई प्रश्न नहीं है ।

कृषि बिभाग के भूमि संरक्षण अनुभाग में अप्रशिक्षित भूमि संरक्षण अधिकारियों की संख्या

184–श्री विजय पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेगे कि कृषि विभाग के भूमि संरक्षण अनुभाग में कितने अप्रशिक्षित भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यरत हैं और क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

51

प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी के कारण ।

(प्रथम सत्र 1992 के दूसरे बुधवार दिनांक 11-3-92 को विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 40 के अंतर्गत मा० सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित प्रश्न)

तारांकित प्रश्न

संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) लखनऊ मण्डल और उप कृषि निदेशक (प्रसार) उन्नाव के विरुद्ध आरोप पत्र तथा की गई कार्यवाही की जानकारी

*3–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रमेश चन्द्र शर्मा एडवोकेट, महामंत्री, रेडिकल सोसाइटी उत्तर प्रदेश 1/861, विशाल खंड, गोमती नगर लखनऊ का कोई पत्र दिनांक 24 मार्च, 1991 निदेशक, कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? जिसमें संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) लखनऊ मण्डल और उप कृषि निदेशक (प्रसार) उन्नाव के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

नियमानुसार जांच करायी जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

भारत सरकार से प्राप्त माडल एक्ट की वर्तमान व्यवस्था मण्डी अधिनियम १९६४ के प्राविधान के अनुसार लागू होने से किसी संशोधन की आवश्यकता का न होना

1–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारत सरकार से माडल एक्ट प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या माडल एक्ट की धारा-45 (11) में प्राविधान है कि मण्डी समितियां, कृषि विपणन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन की सीमा तक, राज्य के संकलित कोष में अंशदान करेगी ? यदि हां, तो क्या कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 में इस आशय के संशोधन का प्रस्ताव कृषि विपणन निदेशक के अ० शा० पत्रांक-क्र० वि० नि०-4986/1998, दिनांक 31-12-86 द्वारा कृषि सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार पर व्यय भार कम करने के लिए सरकार मंडी अधिनियम में यह संशोधन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

वर्तमान व्यवस्था जो मंडी अधिनियम, 1964 के प्राविधानानुसार लागू है, में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं पायी गयी है ।

श्री राधेश्याम कटियार सहायक कृषि विपणन अधिकारी, बरेली की दक्षता रोक पर कृषि विपणन निदेशक का आदेश

3–श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राधेश्याम कटियार, सहायक कृषि विपणन अधिकारी, बरेली की दक्षता रोक दिनांक 1–7–87 कृषि विपणन निदेशालय के पत्रांक प्र० अ०-3/2658 दि० 12–7–91 द्वारा वर्ष 1987-88 (8–9–87 से 21–2–88) 88–89 व 89–90 की प्रतिकूल प्रविष्टियों के कारण स्वीकृत नहीं की गयी है जबकि शासनादेश सं०-42/2/71 नियुक्ति 3 दिनांक 28–7–72 के निर्देशानुसार दक्षतारोक के मामले में केवल देय तिथि के पिछले 5 वर्षों की प्रविष्टियों को देखकर निर्णय लिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार शासनादेश के अनुसार ही श्री कटियार की दक्षतारोक स्वीकृत करायेगी और शासनादेश का उल्लघंन करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

जी नहीं ।

श्री कटियार की दक्षता रोक कृषि विपणन निदेशक के आदेश दिनांक 19–11–91 के द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा 28–8–88 वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा होने का औचित्य

12–श्री राम स्वरूप वर्मा––

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के प्रथम बुधवार दिनांक 20–6–90 के अता० प्र० सं०-31 के उत्तर के सम्बन्ध मे क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का गठन दिनांक 15–2–88 को हो गया था ? यदि हां, तो दि० 28–8–88 को वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा लेने और 29 व 30 दिसम्बर, 1988 को साक्षात्कार कराने का औचित्य क्या था ? क्या इस कार्यवाही से अभ्यर्थियों को हुई असुविधा एवं इस कार्य पर हुए खर्च के लिये उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध शासन अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह ––

दिनांक 28–8–88 को वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति हेतु न तो कोई परीक्षा की गई थी और न ही दिनांक 29 व 30 दिसम्बर, 88 को कोई साक्षात्कार ही लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि निदेशालय के कर्मचारी के विरुद्ध विधायक की शिकायत पर स्थानान्तरण की कार्यवाही

17–श्री राम स्वरूप वर्मा––

दशम् विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के दूसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-26 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय के एक कर्मचारी के विरुद्ध एक विधायक की शिकायत को आधार बनाकर उसे स्थानान्तरित करके परेशान करने संबंधी मामले में तत्कालीन मुख्य मंत्री स्व० श्री वीर बहादुर सिंह द्वारा दिनांक 2 मई, 1988 को पारित आदेशानुसार हुई जांच में जांच

अधिकारी कौन था ? जांच अधिकारी की जांच आख्या क्या है तथा उस पर शासन स्तर पर क्या निर्णय लिया गया है ?" जांचोपरांत कर्मचारी के विरुद्ध कथित शिकायत के बारे में सरकार किस निष्कर्ष पर पहुंची है ? क्या तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 2 मई, 1988 को जांच के आदेश के साथ ही कर्मचारी को योगदान कराने के आदेश भी पारित किये गये थे ? यदि हां, तो उस आदेश पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

इस प्रकरण की जांच शासन द्वारा कृषि निदेशक से कराई गई । जांच अधिकारी द्वारा श्री मोतीलाल की पत्नी श्रीमती इन्द्रा वर्मा के शिकायती पत्र में इंगित आरोपों को निराधार पाया गया । शासन स्तर पर किसी अधिकारी द्वारा श्री मोतीलाल का कोई उत्पीड़न किया गया नहीं पाया गया ।

शासन ने कृषि निदेशक की जांच आख्या के आधार पर उनके पूर्व पद से स्थानान्तरण को उचित पाया ।

तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने सम्बन्धित कर्मचारी को योगदान कराने के आदेश नहीं दिये थे । चूंकि श्री मोतीलाल को पूर्व नियुक्ति के स्थान से पहले ही अवमुक्त किया जा चुका था अतः उन्हें उसी स्थान पर पुनः तैनात करने का औचित्य नहीं पाया गया ।

जिला कृषि अधिकारी उन्नाव द्वारा तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (कृषि) विकास खण्ड फतेहपुर चौरासी उन्नाव के प्रत्यावेदन पर आख्या

18—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम अचल, तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (कृषि) विकास खण्ड फतेहपुर चौरासी, जिला-उन्नाव के प्रत्यावेदन पर संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), मण्डल लखनऊ द्वारा प्रस्तरवार आख्या मांगे जाने पर, जिला कृषि अधिकरी उन्नाव द्वारा आख्या न देने का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि आख्या देने के संबंध में संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) मण्डल, लखनऊ द्वारा दिनांक 3-2-89 दिनांक 24-4-89 व 18-5-89, 15-6-89 तथा 29-6-89 को पांच पत्र लिखे ? यदि हां, तो क्या उक्त जिला कृषि अधिकारी ने कोई आख्या संदर्भित विषय में दी ? यदि नहीं, तो सरकार उक्त जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव के खिलाफ अनुशासनहीनता के लिए क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

जिला कृषि अधिकारी उन्नाव ने आख्या दे दी है ।

जी हां ।

जी हां, जिला कृषि अधिकारी उन्नाव ने श्री राम अचल, तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (कृषि) विकास खण्ड फतेहपुर चौरासी, जिला उन्नाव के प्रत्यावेदन पर आख्या दी है तथा तदोपरि श्री अचल को 104 दिनों का चिकित्सा अवकाश स्वीकार किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज दिनांक 25 मार्च, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अंतर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचानाओ में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए

निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं । श्री दलवीर सिंह व श्री राम खिलाड़ी सिंह यादव उपस्थित नहीं हैं । प्रतीक्षा सूची में श्री मातवर सिंह कण्डारी भी उपस्थित नहीं हैं । इस प्रकार श्री शिव लाल मित्तल, श्री किशोरी लाल यादव, श्री लाखी राम जोशी, श्री ज्ञान चंद, श्री पवन कुमार पाण्डेय तथा श्री राम लखन वर्मा की सूचनाओ को स्वीकार किया जाता है, इन सूचनाओ को पढ़ा हुआ माना गया ।

(संलग्न सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गईं)

जनपद सिद्धार्थ नगर के शोहरतगढ़ क्षेत्र के कई गांवों में पेयजल की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिव लाल मित्तल–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान सिद्धार्थ नगर जिले के विधान सभा शोहरतगढ़ में शुद्ध पेयजल की कमी के कारण फैली भयावह स्थिति की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं । मान्यवर, इस क्षेत्र के पेकी, जुगडिहवा, खुनुवां ढेकहरी, रोइनिहवां, मुडिला, तथा शोहरगढ़ में बोरिंग करा पम्प लगा, पाइप लाइन से पानी देने की योजना चालू की गई । किन्तु डीजल चोरी, बिजली की कमी, स्टाफ की मनमानी, टोटियों तथा पाइप लाइन के टूटे रहने के कारण यह योजना बेकार पड़ी है । नगर क्षेत्र में ज्यादा तर पूरे मुहल्लों में पाइप लाइन न होने एवं बिजली न रहने पर डीजल इंजन न लगे रहने के कारण पानी नहीं मिलता । बाकी गांवों में हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं ज्यादातर गांवों में इक्का दुक्का नल ही लगे हैं जो लगे वे भी 100 फीट से कम ही बोरिंग कर लगाये गये 2/4 दो चार दिन में ही उनसे पानी निकलना बन्द हो गया । सारा धन बेकार ही खर्च हो रहा है बार-बार अनुरोध पर भी अधिकारी न साथ दौरा ही करते हैं न बेकार हैण्ड पम्पों, टोटियों पाइप लाइन की मरम्मत ही कराते हैं । जांच कराये जाने पर लाखों रूपये का घपला डीजल खर्च एवं मरम्मत पर निकलेगा ।

मान्यवर, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु इस क्षेत्र के ग्राम परसा रे० स्टे०, कन्दवा जोगिया में पेयजल स्वीकृति देकर चालू करने के आदेश दे । मरम्मत कराकर अन्य बेकार सभी पेयजल समूल चालू करने के आदेश दें । इक्का-दुक्का नल लगे गांवों में और नल लगाने के नल विहीन गांवों में शीघ्र नल लगाने के, नगर क्षेत्र के पम्पों पर डीजल इंजन लगाने के एवं कमेटी नियुक्त कर उपरोक्त योजना पर हुए व्यय की जांच के आदेश देने की [illegible] कृपा करें, जिससे शासन के जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा हो सके ।]

जनपद वाराणसी में भदोही स्थित रंग-तरंग सिनेमाघर की छत गिर जाने से मृतक एवं घायलों को मुआवजा देने के संबंध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशोरी लाल यादव–

[मान्यवर, भदोही जनपद वाराणसी में स्थिति रंग- तरंग सिनेमा घर है, जिसके भवन निर्माण में कुछ कमियां हैं, जैसे हवा के निकास का न होना एवं ऊपर की कच्ची दीवाल पर रैलिंग लगाना, दिनांक 24-4-90 को आंधी आने से सिनेमाघर की छत रेलिंग सहित गिर गई जिसके कारण सिनेमा देख रहे, सरवरी बानो, पिंकू उर्फ सुनील, एस० एफ० दास, वसीम इकराम व पप्पू उर्फ सोहराव की मृत्यु हो गई तथा अन्य 13 लोग घायल हो गये, दिनांक 12-10-91 को सिनेमा मालिक रंग तरंग भदोही ने अपने प्रभाव से प्रभारी निरीक्षक द्वारा उक्त मामले में फाइनल रिपोर्ट लगवा दिया ।

मान्यवर, एक तो सिनेमा घर के ठीक से न बने होने के बावजूद भी लाइसेन्स प्राप्त होना तथा पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगा सब संदिग्ध लगता है, तथा मृतकों और घायलों को मुआवजा न देना

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नियमों का उल्लंघन होता है । उपयुक्त परिस्थितियों को आपके संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

संयुक्त चिकित्सालय टिहरी, में एक्सरे मशीन तत्काल चालू कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री लाखी राम जोशी–

[मान्यवर, संयुक्त चिकित्सालय टिहरी, जनपद टिहरी गढ़वाल में एक्सरे मशीन पिछले अनेक वर्षो से बन्द पड़ी है जिसके कारण इस चिकित्सालय में इलाज के लिये भर्ती मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है ।

एक्सरे मशीन को तत्काल चालू करने हेतु कार्यवाही की कृपा करें ।]

जनपद उत्तरकाशी में विनाशकारी भूकम्प में अधिकांश घायलों को सहायता धनराशि न दिये जाने की जांच कराकर वास्तविक व्यक्तियों को सहायता दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ज्ञान चंद–

[मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी में 20 अक्टूबर को आये विनासकारी भूकम्प में हुए अधिकतर घायलों को अभी तक सहायता धनराशि नहीं दी जा सकी है तथा इनके स्थान पर फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर राहत धनराशि प्राप्त कर लिया है । जिनके भवन भूकम्प से क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं । इस संदर्भ में उच्च स्तरीय जांच कराकर वास्तविक घायलों को राहत धनराशि दिलाने तथा जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित करने का कष्ट करें]

जनपद फैजाबाद में गन्ना किसानों को पर्ची उपलब्ध न होने तथा बढ़े हुए रेट पर भुगतान न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, मुझे सदन और सरकार की जानकारी में लाना है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में गन्ना उत्पादक किसानों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना विक्रय करने हेतु पर्ची न मिलने से खेतों में सूख रहे गन्ना को देख -देख कर किसान और पर्ची वितरण करने वाली समितियों के कर्मचारियों तथा चीनी मिल के कर्मचारियों-प्रबन्धतंत्र के बीच आये दिन विवाद हो रहे हैं, कहीं-कहीं अच्छी खासी मारपीट और फौजदारी हो जा रही है ।

इसी तरह अनेकों जिलो में सरकार द्वारा गन्ना मूल्य घोषित करने के पूर्व मिल मालिकों द्वारा गन्ना केवल तौल अंकित करके क्रय किया गया है पर्चियों पर दर नहीं लिखी गयी थी अब सरकार द्वारा बढ़ा रेट घोषित किये एक लम्बा समय बीत जाने के बाद भी किसानों को बिना जिद्दो जिहाद के बढ़ा मूल्य नहीं मिल पा रहा है । कहीं-कहीं पर तो मिल मालिकों द्वारा बढ़ा मूल्य दिया ही नहीं जा रहा है । परिणामस्वरूप आये दिन संघर्ष हो रहे हैं पुलिस में फौजदारी की रिपोर्ट दर्ज हो रही है ।

जनपद फैजाबाद में गन्ने के वास्तविक काश्तकार पर्ची के लिये दर-दर भटक रहे हैं और फर्जी सट्टे के आधार पर अथवा गेट पर्ची के आधार पर दूसरे जनपद से आया गन्ना मिल मालिक क्रय कर रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्रीक्षण नहीं किया ।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गन्ना किसान परेशान होकर पूरे जिले में संगठित होकर गन्ना क्रय करने वाली संबंधित चीनी मिलों के विरुद्ध कड़े संघर्ष की रूपरेखा बनाकर घेराव प्रदर्शन की तैयारी में लगे हैं जिससे स्थिति विस्फोटक हो सकती है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सरकार और सदन के संज्ञान में लाते हुये मांग करता हूं कि किसानों का गन्ना खरीदे जाने तथा पर्चियों पर भुगतान बढ़ी दरों के अनुसार कराये जाने की व्यवस्था तत्काल करायी जाय ।]

जनपद फैजाबाद के जलालपुर क्षेत्रान्तर्गत बुद्धीताल-उफरौली मार्ग बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम लखन –

[मान्यवर, फैजाबाद जनपद के जलालपुर विकास क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा उफरौली के गांव बुद्धीताल निवासियों को टौंस नदी तथा उससे संबंधित नाले से नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है ।

बुद्धीताल गांव तीन तरफ से नदी से घिरा है तथा एक तरफ से उससे निकले नाले से प्रभावित है । गांव वालों को काफी परेशानी हो रही है । ग्रामीण को अपने कृषि उत्पाद को बाजार तक ले जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । वर्षा ऋतु में स्थिति और विषम हो जाती है ।

लोक-महत्व का यह मामला आपकी अनुमति से मैं सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर उक्त गांव में बुद्धीताल-उफरौली मार्ग पर काठ या पाइप का पुल बनवाकर जल निकास की समुचित व्यवस्था की मांग करता हूं ।]

सदस्यों के निलम्बन को वापस लिये जाने की मांग

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक आग्रह है । आपकी आज्ञा से एक प्रस्ताव करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

पहले मुझे नियम 300 की सूचनायें लेने दीजिये ।

* श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं पहले निवेदन कर दूं । मान्यवर, आज और कल सदन में कुछ ऐसी बातें हुईं, जिसमें आपको कई सदस्यों को निलम्बित भी करना पड़ा और इसमें अपोजीशन के कई वरिष्ठ नेता लोग भी शामिल हैं । ऐसी स्थिति में संसदीय प्रणाली के अनुसार जब विपक्ष पूरा का पूरा मौजूद रहे, तभी आलोचना-प्रतिलोचना ज्यादा संभव हो सकती है । इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि कल और आज निलम्बित किये गये सदस्यों के निलम्बन को यह सदन वापस लेता है, यह मेरा प्रस्ताव है । मैं चाहूंगा कि इस पर माननीय सदन सहमति व्यक्त करेगा ।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, कल 64 लोगों का निलम्बन किया गया और आज 14 लोगों का निलम्बन किया गया है । इस प्रकार सदन का एक बहुत बड़ा हिस्सा निलम्बित कर दिया गया है । निलम्बन से समस्या का हल नहीं होता है इसलिये श्री लाल जी वर्मा ने जो प्रस्ताव रखा है उसे आप स्वीकार करें । श्री मुलायम सिंह जी के कहने पर श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने अपने अधिकारों को त्याग दिया है । विपक्ष आपकी पीठ की इज्जत करता है इसलिये आपसे अनुरोध है कि कल और आज जो निलम्बन हुए हैं, उन्हें आप रद्द करने की कृपा करें ।

श्री राम लखन–

श्री लाल जी वर्मा जी के प्रस्ताव पर बल देते हुए श्री सिंह साहब ने जो कहा है, उसी के संबंध में मेरा आपसे अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों का कल और आज निष्कासन हुआ है, उसे आप वापस ले लेंगे और माननीय सदस्यों को सदन में आने की इजाजत दे देंगे ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, सदन के इतिहास में ऐसी घटनायें बहुत बार हुईं । एक बार तो श्रीमन् ऐसा भी वक्त आया था कि पूरा का पूरा विपक्ष बाहर चला गया था और सबको निलम्बित कर दिया गया था परन्तु बाद में उस निलम्बन को वापस ले लिया गया था । मान्यवर, कभी-कभी ऐसी घटनायें होती हैं और लोग उत्तेजित हो जाते हैं । कभी उनकी बात को नहीं सुना जाता है और कभी-कभी गलत उत्तर से भी माननीय सदस्य उत्तेजित हो जाते हैं । लेकिन श्रीमन् माफ किया गया है आपकी पीठ से और सरकार की ओर से भी । आज सुबह 11.00 बजे जब मैं आपसे मिला था और आपसे निवेदन किया था तो मैं समझता था कि आप शुरू में ही मैं आपसे निवेदन करते हुए यह प्रस्ताव रख दूं । लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई, जिस कारण मैं अपनी बात नहीं रख पाया । खड़ा होने के बाद भी मुझे बैठना पड़ा था इसलिये सदन की परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए मेरा भी संसदीय कार्यमंत्री जी से निवेदन है कि माननीय सदस्यों को सदन की सेवा से वंचित कर दिया गया है, उनके निलम्बन को वापस कर लें । क्योंकि आज बजट पर चर्चा होनी है और माननीय नेता विरोधी दल को बजट पर अपना भाषण भी देना है इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर उनके निलम्बन को वापस ले लेंगे ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय श्री लाल जी वर्मा जी ने जो प्रस्ताव यहां पर रखा है, उसके संबंध में मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उस प्रस्ताव को मंजूर कर लें इस तरह की घटनायें इस सदन में बहुत बार हुई हैं । मान्यवर, मैंने शुरू में ही कहा था कि हम सदन चलाना चाहते हैं लेकिन हमें मजबूर किया जाता है । जिस तरह से सरकार चलाने के तौर-तरीके अपनाये जा रहे हैं, आप भी स्वयं उसे देख ही रहे हैं । जब हम बोलने के लिये खड़े होते हैं तो सत्ता पक्ष की ओर से किस तरह से शोरगुल किया जाता है । जब इस प्रकार किया जायेगा तो स्वाभाविक है कि माननीय सदस्य उत्तेजित होंगे । हमेशा उत्तेजना सत्तापक्ष की ओर से पैदा की जाती है । सरकार की तरफ से यहां पर असत्य वक्तव्य दिये जाते हैं ।

मान्यवर, इस प्रकार मजबूर कौन नहीं होगा [xxx] फेंक दिया गया है (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रामदेव आचार्य–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है यह क्या हो रहा है, यह मजाक हो रहा है (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मजाक यह कर रहे हैं, राम भक्त बनते हैं।

श्री राम देव आचार्य–

इस पर आप विचार करें कहां तक ठीक है ?

श्री लाल जी वर्मा–

किसको आपने अनुमति दी है।

श्री अध्यक्ष–

मैं सुन रहा हूं, कृपया शांत रहें।

श्री राम कुमार शुक्ला–

इस प्रकार यह हनुमान जी का मजाक कर रहे हैं। इसको आप गंभीरता से लें। इस तरह से हमारे देवताओं का मजाक कर रहे हैं !

परिवहन राज्य मंत्री (श्री बृजेश कुमार शर्मा)–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है क्या आपने इस पर डिवेट शुरू कर दी है।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रविकांत गर्ग)–

बात निलम्बन की हो रही थी, यह विषय कहां से आ गया आप कार्यवाही देख लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं कार्यवाही देख लूंगा (व्यवधान)

श्री राम देव आचार्य–

यह शब्द कार्यवाही से हटा दिया जाय। यह गलत बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं कार्यवाही देखकर आपत्तिजनक शब्द हटा दूंगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, आप प्रत्यक्ष प्रमाण हैं उत्तेजना कौन फैला रहा है।

श्री बृजेश कुमार शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर माननीय सदस्य ने यह कहा होता कि मूर्ति का पैर तोड़ दिया गया तो वह बात मान ली जाती, लेकिन [xxx] तोड़ने की बात कहेंगे तो बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। (व्यवधान) इस तरह के शब्द का सदन में प्रयोग न करें। आप इस पर स्पष्ट व्यवस्था दें।

नोट:– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा मैं कार्यवाही को देख लूंगा अगर आपत्तिजनक है तो निकाल दूंगा । आप कृपया बैठ जायं (व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

जो मूर्ति है उसका पैर तोड़ना [xxx] का पैर तोड़ना है ।

श्री राम कुमार शुक्ला–

इस तरह से बोलने की क्या आपने उनको इजाजत दी है । विषय से हट कर बोल रहे हैं । इस तरह से गलत बात करेंगे तो उनको कौन सुनेगा औचित्य के बहाने उल्टी सीधी बात को सुनने के लिये हम तैयार नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शुक्ल जी आप बैठ जायं, माननीय मुलायम सिंह जी मेरी बात सुन लीजिये । माननीय ऊदल जी ने, माननीय यदुनाथ सिंह जी ने निलम्बन को वापस लेने के संबंध में बात कहीं थी । आप मूर्ति तोड़ने, किसी हनुमान जी का पैर तोड़ने की बात कहने लगे, यह विषय से परे बात हो रही है । निलम्बन के संबंध में कुछ कहना चाहेंगे तो कहें लेकिन उससे अलग मूर्ति की बात कहेंगे तो मुझे भी आपत्ति होगी ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आखिर निलम्बन क्यों हुआ ।

श्री अध्यक्ष–

निलम्बन क्यों हुआ उस बात पर मैं नहीं जाता हूं । वह कल का सदन का निर्णय है ।

आप इस सदन के सदस्य हैं । वह आपका भी निर्णय है । आपके उस निर्णय में सम्मिलित माना जायेगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

पूरा वाक्य तो सुन नहीं रहे हैं । आपकी ही बात मैं कह रहा हूं । कल निलम्बन किया गया ! वह इसलिये क्योंकि हमें मजबूर किया जाता है कि हम उत्तेजित हो जायं । मान्यवर, मैं भी निवेदन कर रहा हूं कि जो निलम्बन किया गया था उसे वापस ले लिया जाय । यह लोग सुमित्रा मां को भी मां नहीं मानते हैं राम को मानने वाले ! मान्यवर, एक मेरा निवेदन और है कि इन पर भी आप अंकुश लगाइये । इनको भी निकालिये सदन से ।

(एक सदस्य के खड़े होकर बोलने पर)

देखिये-देखिये आपके सामने ही यह खड़े हो गये । मान्यवर, क्या आपने इजाजत दे दी है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप कृपया बैठ जायं ।

नोट:–[xxx] यह अश श्री अध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

इन पर भी अंकुश लगायें, यह मेरा प्रस्ताव है । दोनों प्रस्तावों पर विचार कीजिये । सत्तापक्ष के सदस्यों पर अंकुश लगाइये और सत्तापक्ष के सदस्यों को निलम्बित करें विपक्ष में सदस्यों का निलम्बन वापस लेने का कष्ट करें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

कल और आज जो कुछ सदन में हुआ, श्रीमन् वह बड़ा दुखद रहा है । लेकिन यह बात भी सही है कि जो कुछ कल हुआ और आज हो रहा है आपने सही कहा है कि इसमें विरोध पक्ष कहीं न कहीं कुछ गलतियां करते रहे हैं । मान्यवर, यह बात भी सच है कि विरोध पक्ष के साथ-साथ बहुत बड़ी भागेदारी सत्ता पक्ष के लोगों की भी रही है । इस तरह से यहां पर एक उत्तेजनात्मक स्थिति पैदा कर दी जाती है । इससे बड़ा अवरोध पैदा होता है । मेरा स्पष्ट मत है कि कल जो कुछ भी हुआ एक माननीय कैबिनेट मंत्री के भाषण पर हुआ । श्रीमन् आपको भी याद होगा और कल इस तरह की उत्तेजना पैदा हो गई । श्रीमन् आपको भी कठोर कार्यवाही करनी पड़ जाती है और करनी भी जरूरी है । आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं । श्रीमन् आप जैसे उदार आदमी बहुत कम मिलेंगे । मैं आपसे अनुरोध करूंगा व्यक्तिगत रूप से अपनी पार्टी की तरफ से कि श्रीमन् यह बजट सत्र चल रहा है और आम बजट पर चर्चा होने वाली है । श्रीमन् हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं । हम जनता की समस्याओं को लेकर आते हैं । इस सदन में हमें उनकी समस्याओं के बारे में कहना होता है । परन्तु मान्यवर, यहां पर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिससे बहुमूल्य समय नष्ट हो जाता है और इस तरह की दुःखद घटना हो जाती है । आपने कहा भी था कि प्रश्न प्रहर में सत्ता पक्ष की, शासन की नीतियों और व्यवस्था को सुनते हैं, जो हमारे प्रदेश की समस्याएं हैं उनके समाधान की क्या योजनाएं हैं उन्हें सुनते हैं । श्रीमन् मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे इस प्रस्ताव पर जो वर्मा जी ने रखा है आप और हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी, जो स्वयं बहुत उदार हैं, इनमें कोई कमी नहीं है । आप अपनी बुद्धि और उदार हृदय का परिचय देकर निलम्बन वापस कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

वह तो मैंने बताया कि मेरा निर्णय होता तो अकेले विचार कर लेता पर वह तो सदन का निर्णय है ।

(श्री भगवन्त प्रसाद के खड़े होने पर)

आपके दल की ओर से भी लालजी वर्मा बोल चुके हैं ।

श्री भगवन्त प्रसाद–

मान्यवर, मैं दो मिनट लूंगा ज्यादा नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं इस पीठ का अपमान नहीं कर रहा हूं । इस पीठ का बहुत महत्व है । जज से अधिक इसे माना गया है । जज के ऊपर अगर न विश्वास हो तो ट्रांसफर ऐप्लीकेशन मूव हो जाती है । अगर आपके किसी निर्णय के विरुद्ध हमको कुछ कहना है तो हम ट्रांसफर ऐप्लीकेशन मूव नहीं कर सकते । लिहाजा आपकी जिम्मेदारी जज की जिम्मेदारी से ज्यादा है । आप किसी दल के नहीं हैं । आपकी कुछ अर्थों में एक जज से बड़ी हैसियत है, अगर कोई बात हमें कहनी है ।

जो लोक-महत्व की होगी, महत्वपूर्ण प्रस्ताव होगा उस समय यदि दलगत विचार होने लगे अगर हमें शिकायत हो कि किसी दल को बचाने के लिये काम किया जा रहा है तो यह शिकायत हम किससे करेंगे ? सिवाए आपके किससे कहेंगे ? जो कुछ भी प्रकरण हुआ, चाहे इधर की गलती से हुआ, चाहे उधर की गलती से हुआ, कुछ लोग अखबार में नाम लाने के लिये बोल देते हैं, कुछ लोग ताव में

बोल देते हैं, इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि लालजी वर्मा जी का जो प्रस्ताव है चाहे उसे जिस रूप में माना जाए, चाहे संसदीय कार्यमंत्री उसमें कुछ कहें, मैं नया सदस्य होने के कारण नियमों से पूरी तरह से भिज्ञ तो नहीं हूं लेकिन मान्यवर जिम्मेदारी इसमें शासन और प्रशासन से ज्यादा आपकी है। यह सरकार जिम्मेदार तभी होगी जब उसको जिम्मेदार बनाने के लिए आप अपना अंकुश लगायेंगे। यह जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से चलनी होगी। मुख्य मंत्री से अधिक, जज से अधिक जिम्मेदारी आपकी है, इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि लाल जी वर्मा के प्रस्ताव को माननीय मुलायम सिंह जी के प्रस्ताव को मान लें। अगर-मगर नहीं उधर से अंकुश लगाने में है तो हम समझते हैं कि अध्यक्ष जी का सपोर्ट मिलना चाहिए। अखबारबाजी बन्द होनी चाहिए। दोनों तरफ अंकुश लगाया जाना चाहिए।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं। आपने बोलने का अवसर दिया मान्यवर, दो तीन दिनों से इस सदन में जो उत्तर प्रदेश की जनता की निगाह में प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में जनमानस में यह धारणा बन गई है हाउस के प्रति।

(रिपोर्टर्स टेबिल का माइक ठीक काम नहीं कर रहा था जिससे सुनाई ठीक से नहीं पड़ रहा था।)

अभी हमारे बुजुर्ग माननीय सदस्य ने एक बात कही कि माननीय अध्यक्ष जी की गरिमा जज से भी बड़ी है और आपको बहुत अच्छे ढंग से सदन चलाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य से जिन्होंने अभी यह बात कही उसको मैं मानता हूं कि आप सबको भी मानना चाहिए कि माननीय अध्यक्ष जी सदन को व्यवस्थित रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सदन को हम सब लोगों में, कुछ लोग, व्यवस्थित ढंग से नहीं चलने देना चाहते मात्र अखबारों में छापने के लिए, मात्र रेडियों में नाम लाने के लिये। यहां इस तरीके से अव्यवस्था पैदा की जा रही है। हम यह नहीं कहते कि सत्तापक्ष और विपक्ष किसी एक की तरफ से ऐसा हो रहा है। इस सदन में बैठकर ऐसा महसूस होने लगा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। सत्तापक्ष की तरफ से हट-हट होने लगती है कभी इधर से हट-हट होने लगती है। यह मैं मानता हूं कि इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। यह कहा गया कि निष्कासन वापस लिया जाए यह परम्परा रही है तो परम्परा तो चप्पलों की भी रही हैं। मेरी सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। एक दूसरे को बेईज्जत नहीं किया जाना चाहिए। एक दूसरे को अपमानित नहीं करना चाहिए। मैं सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि सदन की गरिमा आप बनायेंगे तो बनेगी मात्र अध्यक्ष जी के गरिमा बनाने से गरिमा नहीं बन सकती है।

इसके साथ ही साथ माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो प्रस्ताव रखा है, निष्कासन वापस लेने का, तो मान्यवर, एक बार मौका दे दें, निष्कासन को समाप्त कर दें इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नीरज चतुर्वेदी–

मान्यवर, कल जो कुछ इस सदन में हुआ, जब माननीय नेता सदन बोल रहे थे तो मैंने ऐसा महसूस किया कि विपक्ष मन बनाये था कि वह मुख्य मंत्री जी बात नहीं सुनना चाहते हैं। यह एक सुनियोजित षड़यन्त्र था। अगर मान्यवर, निष्कासन वापस लिया गया तो निश्चित रूप से ऐसी गतिविधियों को बल मिलेगा। मेरा मानना है कि निष्कासन किसी स्तर पर निरस्त न किया जाय।

(कुछ मा० सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब नहीं, श्री भगवंत प्रसाद जी को मैंने अवसर दिया और उसके बाद माननीय नीरज चतुर्वेदी को अवसर दिया, आप कृपया बैठें। मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं।

*वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

श्रीमन्, यह बात सही है कि इधर कुछ दिनों से आदरणीय सदन में जो कुछ हो रहा है वह बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है । अभी माननीय सदस्य ने कहा कि इस आदरणीय सदन में चप्पल और ऐसी परम्परा रही है । मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी परम्परा कभी नहीं रही है । अगर कभी कुछ ऐसा हो गया है तो उसको परम्परा नहीं कहना चाहिए । ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण दुर्दैव क्षण जरूर आये हैं जिससे हम सबका मस्तक लज्जा से झुका है और सदन की गरिमा में बट्टा लगा है लेकिन ऐसी किसी घटना को परम्परा का नाम देना कदाचित उचित नहीं होगा । इससे हम आप सभी सहमत होंगे कि सदन की मर्यादा रखना और इसका सम्मान अक्षुण रखना, यह हमारा सबका कर्तव्य है । हम इससे परिचित है कि यह सदन विचार अभिव्यक्ति के लिये है, प्रदर्शन के लिये नहीं है । प्रदर्शन हमारे विशेषाधिकारों का हनन करता है । जहां तक अखबारबाजी का सवाल है, कोई असंसदीय बात नहीं है । जो समाचार पत्र के प्रतिनिधि हैं उन्हें स्थान ही इसलिये दिया गया है कि यहां की कोई बात गोपनीय नहीं । वह हर बात यहां की देखें, सुनें और उनकी कृपा से, उनके माध्यम से हमारे देश और प्रदेश की जनता जाने, हमारा पक्ष समझे और विरोध पक्ष के पक्ष को समझे और निर्णय करे कि शासन की क्या नीति है । उत्तर प्रदेश विधान सभा में जहां तक नियमों की, परिपाटी की मुझे जानकारी है, यहां ऐसी व्यवस्था रही है, सीक्रेट सेशन नहीं किया गया है, गोप्नीय सत्र का प्राविधान नहीं है । हमारे, सबके आचरण से जनता तय करेगी कि क्या करना है । मैं और मेरा दल सबके ऊपर विश्वास करके चलता है । सबकी इच्छा है कि सदन चले और ईमानदारी के साथ चले और सभी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें ।

बजट पर सामान्य चर्चा हो रही है, आज तीसरा दिन बीता जा रहा है । हमारी इच्छा है, हम चाहेंगे कि हमारे द्वारा जो बजट पेश किया गया है उस बजट की आलोचना, समालोचना हो । जो उसमें कमियां हों उनको निकाला जाय, मूल्यवान सुझाव विरोध पक्ष दे ताकि उससे सीखने का मौका मिले । लेकिन दुख हमें यह हुआ कि महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं आ रहे हैं । मैं कोई हल्की बात नहीं कहना चाहता जिससे माननीय वर्मा जी के मन को ठेस लगे । मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं बल्कि कहना चाहता हूं कि कोई महत्वपूर्ण मुद्दा सामने नहीं आ रहा है । जो हुआ उसके लिये केवल विरोध पक्ष की गलती देना सही नहीं है । अगर कोई ऐसी बात कही गयी जो तथ्यों पर आधारित नहीं है तो हमारी हर बात के करेक्शन के लिये हमारे नियमों में व्यवस्था है । अगर कोई मंत्री प्रश्नों का उत्तर सही नहीं देता है तो उसके लिये हमारे नियमों में व्यवस्था है । कल जो हुआ, जो बात उठी उसके विवाद के विषय में मैं नहीं जाना चाहता मैंने उस समय भी प्रार्थना की थी आदरणीय सदन से, एक बात हुई, हमारी ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है, लेकिन उसी रिस्पांसिबिलिटी का बहाना लेकर एक बात पर बल दिया जा रहा है । मैंने नम्रतापूर्वक कहा था कि हमें ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी से इन्कार नहीं है, लेकिन जो हमारे मुखिया हैं, उनका भाषण होने वाला है, वह बात को स्पष्ट करेंगे । इसके बाद समाधान न होता तो स्पष्टीकरण पूछने का मौका था । लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा अवसर नहीं था, ऐसी आवश्यकता नहीं थी कि यहां पर आ जाते । फिर दोबारा सदन की कार्यवाही प्रारम्भ हुई, आपके मन में सदन को संचालित करने की इच्छा थी, मैं तारीफ करना चाहता हूं कि आप माननीय सदस्यों से बार-बार कहते रहे कि अपने स्थान पर चले जायं, लेकिन उनके मन में अपने स्थान पर जाने की उतनी इच्छा नहीं थीं, जितनी यहां पर भाषण देने की थी । मैं समझता हूं कि कभी-कभी भावनाओं से कर्तव्य ऊंचा होता है । हम सब रुके रहे । ऐसी एक परिपाटी है, स्वर्गीय पटेल की व्यवस्था थी कि प्रतिपक्ष नहीं है इसलिये कार्यवाही स्थगित

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

करता हूं । हमें देखना होगा कि इस ओर हमारा योगदान क्या होता है । पूरा सदन नियमों से चलना चाहिये । मैं आभारी हूं कि माननीय सदस्य के अधिकारों की रक्षा के लिये उस मामले को प्रश्न प्रहर के बाद उठाने की व्यवस्था दी ।

यह सरकार और मंत्रि-परिषद् सदन के प्रति उत्तरदायी है और हमें आपके द्वारा नियंत्रित किया जाता है । जनता खिंचाई करेगी प्रश्नों के माध्यम से हम तो रोज कठघरे में खड़े होते ही हम रोज उत्तर देंगे । आप हमारी खिंचाई करेंगे जनता खिचाई करेगी और हमारा मूल्यांकन करके आगे दण्डित करेगी । मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं । जो कुछ हुआ आपके निर्देशों के पालन में हुआ । मैं अपनी ओर से प्रार्थना करूंगा कि सदन की कार्यवाही संचालित करने का आपका दायित्व है । मैं पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हूं कि जैसे चाहें सदन को संचालित करें । निलम्बन वापस होना चाहिये, ठीक है । लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होना चाहिये कि सभी दलों के नेता विचार-विमर्श करें । मुझे इस आदरणीय सदन की सेवा करते कई वर्ष हो गये लेकिन ऐसा नहीं देखा कि एक मामले में 36-36 लोगों ने ग्राह्यता पर प्रकाश डाला । एक परिपाटी रही है । मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं । आपने स्वयं एक व्यवस्था बनायी कि महत्वपूर्ण मामले होंगे तो एक-एक दल से एक ही व्यक्ति बोल लेगा । हस्ताक्षर छांट कर एक दल से एक ही व्यक्ति बोलेगा । हम लोग भी रोज़ाना मामले उठाते थे । कितने मामले मेरे द्वारा उठाये गये । अब इधर भी मैं कुछ सीख रहा हूं । सबको बोलने का मौका दिया जाना चाहिये । आपने सबको आदरपूर्वक मौका दिया । चार घंटे की चर्चा के बाद कल जो हुआ, वह नहीं होना चाहिये था । मैं यह जरूर चाहूंगा कि यदि कोई नयी परिपाटी बने, नियम बने तो इसके लिये प्रतिपक्ष के नेताओं और सत्तापक्ष के लोगों को सहृदयतापूर्वक बुलाकर बात करें । अभी तो सत्र शुरू ही कहां हुआ है । अभी पूरे बजट पर चर्चा करनी है । चर्चा अभी आरम्भ नहीं हुई है । एक-एक मद पर चर्चा करनी है । हम प्रतिपक्ष के मूल्यवान सुझावों से कुछ सीखना चाहते हैं । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप निर्देश देंगे तो निलम्बन वापस हो जायेगा । अन्यथा चाहें तो इस पर विचार कर लें कि आज सदन के बाद नेताओं की बैठक बुलाकर कोई निर्णय कर लें । एक बार नियाज साहब के जमाने में यह निर्णय हुआ था कि यहां पर कोई नहीं आएगा । जहां तक मुझे स्मरण है, यह व्यवस्था हो चुकी है कि इसको (फ्लोर को) स्पर्श करते ही माननीय सदस्य स्वयं निलम्बत हो जायेगा ।

आखिर यह व्यवस्था तो नेताओं ने मिल कर बनाई थी, अपने द्वारा बनाई गयी व्यवस्थाओं की धज्जियां हम स्वयं उड़ायें, हम इस बात के लिये क्षमा याचना भी कर सकते हैं कि कभी-कभी हम लोग भी उत्तेजित हो जाते हैं, यह हमारी, सबकी जिम्मेदारी आगे आने वाले समय में जब कभी भी सदन की कार्यवाही पढ़ेंगे, तो हमारे बारे में क्या धारणाएं बनायेंगे । इसलिये मान्यवर, इस सदन की गौरवमय भावनाएं रहें । अगर आप उचित समझें तो नेताओं की एक बैठक बुलाकर स्वयं यह तय कर लें । मान्यवर, जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता ही तय कर देंगे, माननीय ऊदल जी, माननीय मुलायम सिंह जी नार्म्स तय कर लेंगे, उसके प्रति मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से समर्पित हो जाऊंगा । बाकी मेरी ओर से यह अधिकार आपको है, आप जैसा चाहें मीटिंग करके फैसला करें या स्वयं निलंबन वापस कर दें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री से यह उम्मीद थी कि बिना शर्त निलम्बन वापस ले लेगी लेकिन सभी नेताओं की अवहेलना की ओर शर्त लगा दी नेताओं की बैठक की, इतनी प्रार्थना करने के बावजूद भी हृदयहीन और संवेदनशील सरकार की उपेक्षा की है, इसलिए मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री मुलायम सिंह यादव सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान)

(इस समय 3 बजकर 9 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री लाल जी वर्मा–

[xxx]

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री लाल जी वर्मा–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी जो कह रहे हैं, यह लिखा नहीं जायगा ।

श्री लाल जी वर्मा–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, जो आप बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा । आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा–

निलम्बन वापस न लिये जाने के विरोध में मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

[जनता दल (ब) के सभी माननीय सदस्य सदन का बहिष्कार कर चले गये]

श्री राम लखन–

श्रीमन् कल और आज जिन विपक्षी सदस्यों का निलम्बन किया गया है, मैं समझता था कि उनका निलम्बन आज वापस लिया जायेगा । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा, उससे हम लोगों को संतोष नहीं हुआ । इसके विरोध में मैं और मेरा दल इस सदन से बहिष्कार करता है ।

(बहुजन समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य सदन का बहिष्कार कर चले गये)

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, कई दिन से सदन में नहीं हूं, मैं लगातार क्षेत्र में था मिर्जापुर से इटावा तक गया । कल इटावा में टेलीविजन पर देख रहा था कि कुछ सदस्यों का निलम्बन किया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि इससे आपकी पिक्चर जनता में ठीक नहीं है । हमारे सभी नेताओं के निवेदन को ठुकराना ठीक नहीं है । मैं सोंचता था कि आज निलम्बन वापस हो जायेगा लेकिन निलम्बन वापस नहीं किया गया । मैं फिर सरकार को एक मिनट का समय दे रहा हूं कि इस पर सोचें, नहीं तो मुझे भी सदन का बहिष्कार करना पड़ेगा । निलम्बन किसी समस्या का हल नहीं है । एक तरह से कोरम से अधिक लोग निलम्बित

नोटः–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

हैं । 80 लोग निलम्बित हैं और आप इतने सदस्यों को निलम्बित करके सदन चलाना चाहते हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पटेल का उदाहरण दिया, दीन दयाल उपाध्याय को मानने वाले हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय यदुनाथ जी अब आप अपनी बात कह चुके हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह–

सरकार को मैंने समय दिया और सरकार ने मेरे सुझाव पर विचार नहीं किया इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री यदुनाथ सिंह अपने दल के साथ सदन का त्याग कर चले गये)

* श्री गंगा बक्श सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां विपक्ष के नेतागणों ने सदस्यों का निलम्बन वापस करने के लिये प्रस्ताव रखा था । माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि नेताओं से बैठकर बात हो जाय कि वेल में नहीं आयेंगे । मान्यवर, जब संविधान के अनुसार सरकार काम नहीं करेगी, नियम विरुद्ध कार्य यह सरकार करेगी तो विपक्ष के लोगों का जो अधिकार है जनता को सुनाने के लिए, सरकार को सुनाने के लिए तो आप कान खोलकर सुने नहीं तो वेल में जाना ही पड़ेगा । मान्यवर, मैं यह नहीं कहता कि निलम्बन वापस कर लीजिए, मेरा प्रस्ताव नहीं था, मैं इसलिये कहता हूं कि वापस होना चाहिए क्योंकि यह नियमों के अनुसार निलम्बन नहीं किया गया नियम विरुद्ध किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

जो निलम्बन किया गया है वह सदन के प्रस्ताव के अनुरूप किया गया है, नियमानुसार किया गया है इसलिये आप उस निर्णय पर कोई बात न कहें । अगर कोई अन्यथा बात हो तो उसको कहें ।

श्री गंगा बक्श सिंह–

मानयवर, मेरे नेता प्रमोद तिवारी जी, जिन्होंने कल सदन में अपने विचार व्यक्त किये थे कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हनुमान जी की मूर्ति हटाई जा रही है ।

(घोर व्यवधान)

प्राइवेट भूमि 20 लाख रुपये में दी जा रही है, साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

बात तो निलम्बन की उठा रहे थे और यहां तक पहुंच गये साम्प्रदायिकता तक ।

श्री गंगा बक्श सिंह–

मान्यवर, इसलिये हम लोग सदन का त्याग कर रहे हैं ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा मैंने संसदीय कार्यमंत्री जी से निवेदन किया था और सबर 11 बजे के करीब माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया था जिसका जिक्र यहां किया और यह भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निवेदन किया है कि सदन में बहुत बार, माननीय संसदीय कार्यमंत्री और पुराने जो माननीय सदस्य होंगे सत्तापक्ष के उन्होंने कई बार देखा होगा कि कई बार निलम्बन हुआ है और आग्रह करने पर, प्रार्थना करने पर प्रस्ताव के द्वारा उसको समाप्त भी किया गया है । माननीय संसदीय कार्यमंत्री स्वयं अपने दल के साथ कई बार वेल में आये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, जिन्दगी में केवल एक बार ।

श्री ऊदल–

चलिए एक ही बार मान लिया गये थे लेकिन में कभी नहीं आया था, यह भी आपको ज्ञान होगा लेकिन निलम्बन बहुत बार हुआ । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं माननीय संसदीय कार्यमंत्री से कि जब बाबू सम्पूर्णानन्द जी चीफ मिनिस्टर थे तो आप यहां नहीं थे, पूरे एक माह के लिए सभी माननीय सदस्य निलम्बित कर दिये गये थे जब नगर महापालिका विधेयक यहां पेश हुआ था तो ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे लेकिन यह भी उदाहरण बहुत ज्यादा है कि निलम्बन किया गया और प्रार्थना करने के बाद सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखकर निलम्बन वापस किया गया है, माफ किया गया है । लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री बहुत बार नहीं लेकिन एक बार तो वेल में आये ही हैं, निलम्बन जब-जब हुआ है वापिस हुआ है लेकिन आज हमारा आग्रह नहीं स्वीकार किया गया है । माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने अध्यक्ष जी को सुपुर्द कर दिया कि आप जो चाहें वह हम करेंगे । मैं बताना चाहता हूं कि वह प्रस्ताव आपका था, निलम्बन हो गया अब बिना आपके प्रस्ताव किये हुए वह निलम्बन वापस कैसे हो सकता है, यही सत्य है, यह नियमावली कहती है ।

इसलिये मुझे तो बहुत ही दुख हुआ ।

(व्यवधान)

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं माननीय ऊदल जी का बहुत सम्मान करता हूं । मैं अपने हृदय की बात स्पष्ट करना चाहता हूं । जब कभी निलम्बन वापस हुए हैं, मैं परम्परा की बात भी नहीं कहता, दुर्भाग्यपूर्ण क्षण इस सदन में आये हैं, उसके बाद क्या यह सही नहीं है कि मुख्यमंत्री सहित सभी ने खेद प्रकाश किया । हमने अपने को भी इसमें जोड़ लिया, यह नहीं कहा कि केवल प्रतिपक्ष दोषी है । अगर एक नेता ने भी यह कहा होता तो मैं तत्काल प्रस्ताव करता । हम तो अपनी जगह पर थे, लोग बार-बार आ रहे थे, अवज्ञा अध्यक्ष पीठ की हो रही थी तब माननीय अध्यक्ष ने दिल कड़ा करके एक बार निकालने का प्रस्ताव किया फिर इंगित किया । इंगित करने की परिपाटी क्या है, अध्यक्ष जी को अधिकार दिया गया है, उनका एक-एक शब्द कानून है । नियम 299 में कहते हैं कि "सदन छोड़ें" तब एक उपवेशन के लिये निलम्बित होते हैं । जब लोग नहीं माने और मा० अध्यक्ष ने स्वयं को सदन को सरेण्डर कर दिया उस समय अगर हम प्रस्ताव न करते तो यह होता कि अध्यक्ष की अवज्ञा हो रही है और ऐसा होना ठीक है । आप कौल और शकधर पढ़ लें मेज पार्लियामेण्टरी प्रैक्टिस पढ़ लें, जब माननीय अध्यक्ष ने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमें प्रस्ताव करना था । यदि अध्यक्ष का समाधान हो गया कि आज के निलम्बन से सदन भारतीय संविधान के अनुसार चलेगा तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है । इसलिये मैंने अपने आपको माननीय अध्यक्ष को समर्पित कर दिया । यदि नेतागण खेद प्रकाश करें तो जहां प्रस्ताव को रखने की औपचारिकता होगी, उसे हम पूरा कर देंगे । एक माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि हम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहते हैं कि बजट पर चर्चा न हो क्योंकि हम आलोचना सुनना नहीं चाहते हैं । इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि वैसे यह काम तो कार्य मन्त्रणा समिति का है लेकिन फिर भी जितने दिन प्रतिपक्ष के नेता कहेंगे हम सामान्य चर्चा सुनने को तैयार हैं ।

श्री ऊदल–

मैं अपनी बात पूरी कर लूं । बहुत बार ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हुई थी, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी नहीं थे, तो मान्यवर, अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्वर्गीय श्री राज नारायण जी को, जो विरोध पक्ष के नेता भी रहे और समाजवादी दल के बहुत बड़े नेता पूरे देश के थे उनको मारकर टांगकर निकाला गया । उसके बाद भी निलम्बन वापस हुआ है । कल की घटना जो कुछ हुई, उसके मुकाबले में कुछ नहीं है । जो पहले घटनायें हो चुकी हैं, उसके मुकाबले में कुछ नहीं है ।

लेकिन वह दुर्भाग्यजनक है, मैं आपसे कहता हूं कि खेदजनक है, मैं उसके लिये दुख प्रकट करता हूं । माननीय विधान सभा में इस तरह की घटनायें नहीं होनी चाहिए । चूंकि मैंने प्रस्ताव का समर्थन किया था और सबेरे माननीय अध्यक्ष से भी कहा था उसको, माननीय संसदीय कार्यमंत्री हमारे बड़े मित्र हैं सहयोगी भी हैं इधर बहुत दिनों तक साथ बैठे हैं पुराने सदस्य नियमों के काफी जानकार हैं, उन्होंने अपनी तरफ से इस संबंध में प्रस्ताव न रखकर अध्यक्ष महोदय के निर्देश के लिये छोड़ दिया और कहा कि उनका जो आदेश होगा पालन करेंगे । मान्यवर, आचार संहिता बनती रहेगी, जब निलम्बन वापस होगा माननीय नेतागण यहां बैठेंगे तो आचार संहिता बन जायेगी । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह आचार संहिता या नियम कोई परमानेन्ट नहीं होते हैं वह भी टूटेंगे यह मानकर हम चल रहे हैं । मेरी बात को माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने नहीं माना मेरे प्रस्ताव को नहीं माना और अध्यक्ष जी पर छोड़ दिया, इसलिये मैं अपने दल के साथ इस सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

दल कहां है ।

श्री ऊदल–

दल के अन्य सदस्य तो पहले ही निलम्बित कर दिये गये ।

(श्री ऊदल सदन का परित्याग कर चले गये)

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, विपक्षी एकता का सम्मान करते हुए मैं भी सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री राम स्वरूप वर्मा सदन त्याग कर चले गये)

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, मैंने यह देखा कि अखबार में एक कार्टून था जिसमें एक व्यक्ति बैनर पकड़े था कि हम कट्टर विरोधी हैं हर गलत और सही दोनों बातों का विरोध करते हैं, श्रीमन् वह मुझे यहां नजर आ रहा है एक व्यवस्था माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने माननीय अध्यक्ष पर छोड़ दी कि आप जैसा फैसला कर दें हम उसमें सहमत हैं, विधान सभा अध्यक्ष के निर्णय के पहले सदन का परित्याग कर देंगे, मैं समझता हूं कि यह न्यायसंगत नहीं है । मैं सदन का त्याग नहीं कर रहा हूं, मैं यहां लगातार बैठा रहूंगा ।
(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 25 मार्च, 1992 को नियम 311 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुईं–पहली सूचना श्री भारत सिंह रावत की टेहरी बांध परियोजना के निर्माण के विरुद्ध श्री सुन्दर लाल बहुगुणा द्वारा अनशन किये जाने के संबंध में, दूसरी सूचना श्री विक्रमाजीत मौर्य की जनपद इलाहाबाद के विकास खंड बहरिया के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की गयी धांधली के संबंध में, तीसरी सूचना श्री अमरेश चंद्र पाण्डेय व श्री सुधीर राय की देवरिया जिले के जिला परिषद अध्यक्ष को बिना किसी अपराध के जेल में बंद किये जाने के संबंध में है । मैं इन तीनों सूचनाओं को नियम 311 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव के रूप में अग्राह्य करता हूं । श्री अमरेश चंद्र पांडेय व सुधीर राय की जो सूचना है उसकी ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

आज नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

(व्यवधान)

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, अभी ललित जी ने कहा कि मैं 307 का मुल्जिम हूं, मान्यवर, मैं तो 307 का मुल्जिम नहीं हूं, लेकिन इनको 120 बी० के तहत बंद किया गया था, यह बात गृह राज्य मंत्री जी ने अध्यक्ष जी के चेम्बर में माननीय मुख्यमंत्री जी के समाने स्वीकार की थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह बात पीठ के संज्ञान में नहीं आयी है ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने 120 बी० की तरफ इशारा किया, यह जनप्रतिनिधियों के लिये जो बातें कही जाती हैं .....

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप ज्यादती कर रहे हैं जो बात सदन के संज्ञान में आयी नहीं उस पर आप बोल रहे हैं ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, नियम 311 में हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 311 के बारे में निर्णय हो चुका है । आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है । आज दिनांक 25 मार्च, 1992 को नियम 300 के अंतर्गत कुल 7 सूचनाएं प्राप्त हुई । इनमें पहली सूचना श्री मुलायम सिंह यादव की अयोध्या में प्राचीन मंदिरों को तोड़े जाने के संबंध में है । यही सूचना श्री विजय पाल सिंह, श्री विक्रमाजीत मौर्य की तथा श्री लाल जी वर्मा की भी हैं । यह नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती है तथा कल इस पर विस्तार से चर्चा भी हो चुकी है इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं । चौथी सूचना श्री विजय पाल सिंह तोमर की दिनांक 24 मार्च, 1992 को सदस्यों का सामूहिक निलम्बन किये जाने के संबंध में है । श्री विजय पाल सिंह तोमर इस समय मौजूद नहीं हैं और यह नियम 300 के अंतर्गत औचित्य के प्रश्न के रूप में नहीं बनती है इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं । पांचवीं

सूचना श्री लाखी राम जोशी की जनपद टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी तथा चमोली में भूकम्प पीड़ितों को राहत आदि दिये जाने के संबंध में है । इसे सदन में कई बार उठाया जा चुका है और यह नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं । छठी सूचना श्री पवन कुमार पाण्डेय की नियम 56 के अंतर्गत दी गयी सूचना में माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आश्वासन की पूर्ति न होने के संबंध में है । यह नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती है इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं । सातवीं सूचना श्री सुधीर की जनपद बलिया में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से संबंधित विकास कार्यों में शिथिलता को लेकर अवर अभियंताओं द्वारा आमरण अनशन और अनिश्चित कालीन हड़ताल के संबंध में है । यह भी नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती है फिर भी मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, बहुत ही अहम मुद्दा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी सूचना नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती है इसलिये अस्वीकार की गयी है आप कृपया सहयोग दें ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 25 मार्च; 1992 को नियम 56 के अंतर्गत कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से निदेश संख्या 15 के अनुसार निम्नलिखित 8 सूचनाए चयनित की गयीं । इसमें पहली सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की जनपद मऊ जिला प्रशासन द्वारा किसानों से मालगुजारी वसूली में कथित रूप से किये जा रहे उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सरकार से जब कभी वार्ता होती है तो एक ही दुहाई देती है कि हमारे पास धन नहीं है श्रीमन् शासन के पास रहे या न रहे गरीब जनता जो गांवों में रहती है तीन एकड़, चार एकड़ या पांच एकड़ के जो काश्तकार हैं उनसे गलत ढंग से मालगुजारी वसूल की जा रही है । मऊ जनपद में घोसी तहसील जो है उसका आधा हिस्सा घाघरा नदी से प्रभावित रहता है । मान्यवर, आप तो जानते होंगे कि नदी अपने को परिवर्तित करती रहती है । घाघरा इस तरह से कटाव करती है कि जो आज खेत बोया गया वह अगले वर्ष बोया जायेगा या नहीं यह पता नहीं रहता है । मान्यवर, राजाज्ञा है कि सवा तीन एकड़ के काश्तकारों की मालगुजारी माफ होती है । मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र नत्थूपुर विधान सभा की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसका आधा हिस्सा हमेशा से घाघरा नदी से प्रभावित रहता है । जो खेत बोया गया वह अगले साल काम आयेगा या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है । जब वह खेत पानी की चपेट में आता है तो उसके लगान को भी माफ करना चाहिए और उसके लिये लेखपाल पड़ताल करता है और पड़ताल करने के बाद, जो खेत पानी के चपेट में चले जाते हैं, उनकी लगान माफ कर दी जाती है । लेकिन मान्यवर, देखने में यह आया है कि घाघरा नदी से प्रभावित जितने गांव हैं, जैसे मुल्लापुर, चक्की मूसाडीही, कबलपुरवा, बरोहां, धर्मपुर, चौहानपुर आदि 25-30 गांव हैं, वह हर साल कटते हैं और श्रीमन् किसी भी साल लेखपाल द्वारा पड़ताल नहीं कराया जाता रहा है । और इस साल भी खेत की माल गुजारी वसूल किये जाने का प्रयास किया जा रहा है । मेरे पास उदाहरण है । मान्यवर, मेरी इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात हुयी, परगनाधिकारी से मैंने बात किया, लिखकर दिया, आवेदन पत्र दिया । सबका नक्शा तो बनाकर मैं नहीं दे पाया, लेकिन कुछ का दिया और यह

अनुरोध किया कि यह सब छोटी जोत के किसान हैं इनका लगान माफ किया जाय । मेरे पास कुछ नाम मौजूद हैं, मैं पढ़ दूं मान्यवर, सीऊ यादव पुत्र सुखदेव, गाटा संख्या–1066, रकबा 1.42 है, इनसे मालगुजारी वसूल की जा रही है, इसी तरह राजदेव पुत्र राम दत्त खाता संख्या–783 रकबा 3 एकड़ है । श्री हरिवंश रजिन्दर का खाता संख्या 990 है । धर्मदेव, रामदेव पुत्र किशन का खाता संख्या–280. मातादीन शिवशंकर पुत्र रामदवर का खाता संख्या–245 । इसी प्रकार मनराज पुत्र कुमार, खाता संख्या–282 है । इसी प्रकार मनराज पुत्र कुमार राजदेव रामदत्त के खाता संख्या–784.785.787.786 हैं । रामजी, लालजी, महावीर व सहवीर पुत्र हरख के खाता संख्या–37617 है, किसनू पुत्र उदित व० जगधारी पुत्र शिवसरन खाता संख्या 105 है । यह सब छोटी जोत के किसान हैं, इन लोगों से मालगुजारी वसूल की जा रही है ।

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इसकी उच्चस्तरीय जांच करवा दें । जिला प्रशासन द्वारा इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और जिसकी वजह से आज काश्तकार सड़कों पर घूम रहा है, दर-दर की ठोकरें खा रहा है । मान्यवर, जितने भी गरीब किसान, मजदूर हैं, जो दो एकड़ से 3 एकड़ जमीन वाले हैं, वह इसी पर खेती करके अपनी रोटी-रोजी चलाते हैं, उनका भी यह सरकार लगान माफ नहीं कर रही है, यह बड़ा अहम सवाल है । आज वह भूखे रहने की स्थिति में आ गये हैं । हम जिला प्रशासन पर विश्वास नहीं करते, कि वह क्या करेंगे । मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से एक ही मांग करता हूं कि वह इन गांवों मुसाडोही चौहानपुर, चक्की मूसाडोही, कवलपुरवा, बरोहा, धर्मपुर आदि की उच्चस्तरीय जांच करायें और पता करायें कि यहां के खेत दरियाबुर्ज हैं या नहीं । हर साल पड़ताल होती रहती, लेखपाल जमाबन्दी बनाता रहता, तो मान्यवर, आज यह सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन इस साल भी उन गरीब किसानों से लगान वसूल किया जा रहा है । विगत 10 वर्षो से वहां कोई भी पड़ताल नहीं हुयी है । मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं और शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर वसूल की जा रही मालगुजारी को रोककर, इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाने की व्यवस्था की जाय और जो काश्तकार 3 एकड़ से कम खेती करने वाले हैं, उनको लगान से मुक्त किया जाय । इसी के साथ मैं अपनी बात पर बल देते हुये सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की मांग करता हूं ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

श्रीमन् माननीय श्री पाण्डेय जी ने गरीब किसानों की पीड़ा को अपने शब्दों में इस सदन के सामने रखा । माननीय सदस्य ने जो सूचना दी, उसकी ग्राह्यता के बारे में कुछ बातें रखी । उनको सुनने के बाद मेरे मन में दो बिन्दु पैदा हुए । पहला, माल गुजारी को वसूल करने की अपनी एक प्रक्रिया है । उसको माफ करने के लिये व सस्पेंड करने के लिये एक नियम बना हुआ है । यह कहा गया कि मालगुजारी गलत ढंग से वसूल की जा रही है और उस संबंध में जो नियम बने हैं, उनका पालन नहीं किया जा रहा है । परन्तु जो सूचना मुझे दी गई है, उसमें कोई नाम नहीं दिये गये हैं । इसलिये मेरी पांडेय जी से प्रार्थना है कि वह उनकी सूची हमें दे दें जिनके बारे में उनके पास शिकायत है । उन पर मालगुजारी जितनी ड्यू होती है, उसे निकालने में कहीं कोई अनियमितता तो नहीं है, इसे हम देखेंगे । दूसरा वसूली में कहीं प्रक्रिया का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इसकी हम जांच करा लेगे और श्री पाण्डेय जी का पूरा समाधान करायेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन् पाण्डेय जी ने संकेत किया कि उन लोगों की माफी की घोषणा की गई थी और आकलन सही नहीं किया गया है । मान्यवर, यह बहुत पुराना मामला है । फिर भी यदि वह नाम दे देंगे तो हम इसका सर्वेक्षण करा लेंगे और जनरल सर्वेक्षण भी करा लेंगे ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 25 गांव हैं । 25 गांवों में घूम-घूमकर सूची बनाना मेरे लिए संभव नहीं है । इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसकी उच्च स्तरीय जांच करा लीजिए । विगत 10 वर्षों से वहां पर माल गुजारी व पट्टे हेतु कोई पड़ताल नहीं हुई है । जब आप इसकी जांच करा लेंगे तो आपके सामने निश्चित ही सही तथ्य आ जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, श्री पाण्डेय जी की पीड़ा को समझकर मैंने ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही करने का वचन दिया था । पिछले 10 वर्षों में पड़ताल हुई या नहीं हुई । श्रीमन् 300-400 गांव होंगे । टेलीफोन पर हम मालूम कर सकते हैं कि पड़ताल हुई या नहीं हुई । पड़ताल की भी एक प्रक्रिया है । इसलिये मैं चाहता था कि सही मायने में जांच हो और उन गरीब किसानों का अहित न हो, माननीय सदस्य हमें गांवों के नाम दे दें, हम उसकी जांच करा लेगे । क्योंकि इस सरकार की नजर में गरीब किसानों का हित सबसे पहले है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अगली सूचना श्री विजय पाल सिंह तोमर जी की जनपद मेरठ के अलावा विद्युत गृह की विगत दो माह की बन्दी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं । तीसरी सूचना श्री समी ऊल्ला खां व श्री मिर्जा सुल्तान रजा जी की जनपद बहराइच में ग्राम अरनवा मौजा नवाब बांगला में नौ व्यक्तियों की हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं । चौथी सूचना श्री ऊदल जी की जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सुखपुरा की बंजर भूमि पर अवस्थित मकानों एवं झोपड़ियों को उजाडे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं । पांचवीं सूचना श्री किशोरी लाल यादव जी की जनपद जौनपुर के गिरजा एण्ड संस पेट्रोल पम्प के मालिक के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं । छठी सूचना श्री गामाराम शास्त्री जी की जनपद गाजीपुर के थाना सैदपुर में एक ड्राइवर तथा खलासी की निर्मम हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है । सातवीं सूचना श्री राम लखन वर्मा जी की नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में एम० एस सी० (कृषि) प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु जारी सूची को एकेडमिक कौंसिल द्वारा रद्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं । आठवीं सूचना श्री भारत सिंह रावत जी की जनपद गढ़वाल में धल नदी नामक स्थान पर पूर्व स्वीकृत ग्रामीण पालिटेक्निक में कक्षायें चालू किये जाने के संबंध में है । माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं ।

सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया जाता है ।

अब मैं मद संख्या–8 पर बजट पर सामान्य चर्चा को लेता हूं ।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने इस पूरे बजट को जो माननीय वित्त मंत्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी नें पढ़ा मैंने भी इसको पढ़ा और कुछ निचोड़ भी निकाले । इसमें पहले ही पृष्ठ पर माननीय वित्त मंत्री ने कहा

है–"गांव-गरीब–किसान, झुग्गी–झोपड़ी के इन्सान, बेरोजगार नौजवान, नारी का सम्मान, दलितों पिछड़ों, श्रमिकों और शोषितों का उत्थान"

श्रीमन् हम लोग जो इस सदन में आये हैं वह जनता के चुने हुये प्रतिनिधि हैं जो गरीब किसान, जो गरीब मजदूर, जो गांव में झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनके मतों के प्रयोग से हम यहां आते हैं। पिछली बार भी मैं इस सदन में आया था, मुझे दूसरी बार इस सदन में आने का मौका मिला, पिछले बार भी हम लोगों को विरोध पक्ष में बैठने का अवसर मिला जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मेरी मान्यता है अगर पूरे प्रदेश और देश के किसानों के प्रति सरकार समर्पित हो जाय तो मैं समझता हूं कि पूरे देश का निर्माण हो जाय। प्रदेश की सरकार किसानों की बात करती है वह समझ ले कि किसान का किस चीज से सीधा संबंध है, किसान किस चीज से प्रभावित होता है, क्या उसकी समस्यायें हैं अगर उस तरफ शासन का ध्यान हो जाय तो सभी समस्याओं का हल हो जाय। आज पूरे देश और प्रदेश का वह वर्ग सबसे ज्यादा पीड़ित है। क्योंकि आज किसान की दुर्दशा हो रही है, कितनी उसके लिये मंहगाई है। अगर किसान की बात की जाती है तो पहली बात जो होनी चाहिए उसमें किसान को मुफ्त रूप से बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए दूसरा मुफ्त रूप में सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिये तीसरी बात यदि मुफ्त नहीं तो खाद में 50 प्रतिशत सबसिडी देने की बात करनी चाहिए। अगर बजट में यह करते तो किसानों की समस्या का हल हो सकता है। श्रीमन् खाद, बीज, पानी, और बिजली की व्यवस्था कर दी जाय तो मेरी समझदारी बनती है कि किसान की समस्या हल हो जाय। लेकिन हमने बजट पढ़ा यह केवल एक पुस्तक है जिसको माननीय वित्त मंत्री जी ने पढ़ दिया। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि आज यहां विपक्ष नहीं है मैं ही यहां पर बैठा हूं। इस बात को सत्ता पक्ष के लोग भी मानेंगे क्योंकि वह भी जनता के प्रतिनिधि हैं कि किसान की बहुत दुर्दशा हो रही है। अगर किसान की समस्या हल कर दी जाय तो इस प्रदेश की बहुत कुछ समस्यायें हल हो जायेंगी। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम 60 प्रतिशत बजट को ग्रामीण अंचलों में किसानों पर खर्च करेंगे। मेरा कहना है कि बाकी चीजें छोड़ दीजिए किसानों की जो आवश्यकतायें हैं, खेती की जो आवश्यकता है उसे पूरा कर दीजिये तो मेरी समझ से बहुत कुछ समस्या हल हो जायेगी। मैं मांग करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी जब इस बजट पर अपना उत्तर भाषण देंगे तब इस बात को जरूर रखेंगे। किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं का सीधा संबंध प्रदेश और देश से है क्योंकि किसान जो अनाज पैदा करता है वह पूरे देश के लोगों को खिलाता है। अपना खून पसीना बहाकर अनाज पैदा करता है जिसे देश की जनता खाती है। तो अगर इसकी व्यवस्था हो जाय देश की समस्या हल हो जायेगी। इस बजट में कुछ वस्तुओं में कर मुक्त किया गया है जैसे चूड़ी, बिन्दी, झाड़ू, सिन्दूर तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बल देता हूं कि जिन चीजों का सीधे किसान से संबंध है उस पर कुछ किया होता मैं मानता कि आपने बजट में किसानों के विकास की तरफ ध्यान दिया है उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। मैं कहता हूं कि यह किसान विरोधी बजट है।

इन्होंने कहा कि बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देंगे। पिछली सरकार में जब मुलायम सिंह यादव बैठते थे और कल्याण सिंह जी भी उधर बैठते थे तो बजट के भाषण में मुझे याद है जब सदन में कार्यवाही हो रही थी। कल्याण सिंह जी का भाषण तो मेरे पास नहीं है लेकिन उन्होंने कहा था कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे अगर रोजगार न दे पाये तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज तो यह सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं। आज भी इन्होंने भाषण दिया है। मान्यवर, बेरोजगारों की एक फौज पूरे उत्तर प्रदेश में खड़ी है। हाईस्कूल, इण्टर, बी० ए० कर-कर के लड़के सड़कों पर घूम रहे हैं। सरकार इस पर चिन्ता नहीं कर रही है। हमने बजट भाषण में कहीं पढ़ा कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जायेगा। मान्यवर, इसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक पुस्तक पढ़ लेने से लाभ नहीं होता। हम भी पूरा दिन खड़े होकर पढ़ सकते हैं। बस हो गया बजट। पूरे प्रदेश में छप गया कर मुक्त बजट। कल शुक्ला जी कह रहे थे कि हमने कर मुक्त बजट दिया है। कर मुक्त बजट क्या है। सिंदूर, चूड़ी पर क्या कर मुक्त किया है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय पांडेय जी, यह तो अपनी-अपनी पसन्द है।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

यह हम मान सकते हैं। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि यह पसन्द इस सरकार की है।

लोक निर्माण मंत्री (डा० सरजीत सिंह डंग)–

माननीय पाण्डेय जी के उपयोग की हर चीज चूड़ी, बिन्दी, आलता, सिंदूर सब कर मुक्त कर दिया गया है ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

श्रीमन् बड़ी अच्छी पसन्द है । लेकिन ये क्यों कहते हैं कि हम किसानों के पक्षधर हैं । यह नहीं कहना चाहिए कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

इन चीजों को कर मुक्त कर दिया है ताकि जब आप लें तो ज्यादा पैसा न खर्च हो ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि दंगा रहित प्रदेश, भयमुक्त समाज की परिकल्पना हमने की है । अपने घोषणा पत्र में भी इन्होंने कहा था । जहां तक मुझे याद है उन्होंने अपने बजट भाषण में भी कहा । आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं क्या बनारस में दंगा नहीं हुआ । प्रदेश में कौन नहीं जानता कि दंगे हुए और दंगे किसने कराये । श्रीमन् गाजीपुर में लड़के की पुलिस ने हत्या कर दी, बलिया में पुलिस ने छात्रों पर लाठी चार्ज किया । आज क्या आप नहीं जानते, क्या सरकार नहीं जानती । पूरे प्रदेश की जनता जानती है । भयमुक्त समाज की परिकल्पना बजट में अपनी वाणी से रख देने से ही प्रदेश भयमुक्त नहीं हो गया । इसे साक्ष्य रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए । मान्यवर, मैं एक नहीं कई बातें आपके माध्यम से कहना चाहूंगा । कम लोग बैठे हैं । भाई मुन्ना बैठे हैं । हमको समय भी मिल जायेगा । श्रीमन् मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु अंकित किये हैं । जिसमें मैं अपनी बात जरूर कहना चाहूंगा ।

दूसरी बात इन्होंने कही पूरे प्रदेश के अन्दर 41 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे निवास कर रही है यह स्वीकार किया है अपने बजट में । 40 प्रतिशत लोग जो गांव में रहते हैं वह गरीबी की रेखा से नीचे हैं तो उनके लिए इस बजट में हमने कहीं कुछ नहीं देखा, कि जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनके लिए आपने कोई कार्यक्रम रखा हो ? एक बात कहना चाहता हूं इन्होंने अपने बजट में कहा है कि सरकारी नलकूप हम लगायेंगे, मैं अपने जिले की बात कहना चाहता हूं, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई सरकारी नलकूप ठीक नहीं है मेरे ही यहां नहीं, इनके भी क्षेत्रों में यही स्थिति होगी । कोई सरकारी नलकूप ठीक नहीं है कोई भी सरकारी नलकूप ऐसा नही मिलेगा जिसका मोटर और नाली ठीक हो । हमने अपने क्षेत्र की बात प्रकरण के रूप में कही । लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जितने सरकारी नलकूप लगे हैं वह खेत में पानी पहुंचाने की स्थिति में नहीं है । आपके जो पुराने सरकारी नलकूप हैं उनको ठीक कराके चालू कराने का भी प्राविधान करना चाहिए था जो क्षेत्रफल आपने दिया है वहां पानी पहुंचे ऐसी नीति आपकी होनी चाहिए थी । सड़क के बारे में आपने बजट में लिया है, मैं लोक निर्माण मंत्री जी से सुबह जब इधर से निकले थे, तो मैं मिला था । मेरे पास लिखित रूप में है । पिछली सरकार द्वारा श्रीमन् एक राजाज्ञा निकाली गई थी शासनादेश के तहत यह लिया था कि आजमगढ़, देवरिया, मऊ गोरखपुर आदि कई जिले हैं, इन्होंने कई जिलों की सड़कों के बारे में शासनादेश संख्या–87/ई०/23 लो० नि० 11/1/135/91, दि० 1-4-91, हरिश्चन्द्र संयुक्त सचिव, शासन की तरफ से यह शासनादेश निकला था ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

तारीख आपने पहली अप्रैल बताई है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

यह तो फूल्स डे होता है । लोग बेवकूफ बनाते हैं ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

लोक निर्माण विभाग ने जी० ओ० निकाला है उसके तहत चार जनपदों में मुख्य-मुख्य सड़कों के लिए यह है । उन सड़कों में हमारे निर्वाचन क्षेत्र की तीन सड़कें थी और सरकार ने उस जी० ओ० को समाप्त कर दिया । लोक निर्माण मंत्री से मैंने कहा इतना बड़ा पक्षपात सरकार कर रही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

पहली अप्रैल का शासनादेश था आपने कहा, अब फिर पहली अप्रैल आ रही है आप अपने सुझाव दे दें, यह फिर जारी कर देंगे ।

(हंसी)

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी० ओ० का महत्व होता है । जी० ओ० कहां समाप्त होता है जी० ओ० तो जिओ होता है ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, पांच-छः जिले हैं सबका भला हो जाएगा ।

मैं निश्चित रूप से बल देता हूं कि आने वाले दिनों में जो निलंबित सड़कें हैं उनको इस बजट में ले लिया जाये । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपने बजट में कहा है कि जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का बाहुल्य है वहां के 26 लाख 56 हजार रुपये की घोषणा आपने की है । आपने इसमें मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, गोंडा, देवरिया का नाम लिखा है । मान्यवर, पूरा प्रदेश जानता है कि मऊ में 80 प्रतिशत लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं लेकिन इसमें कहीं भी मऊ का नाम नहीं लिखा गया है जहां पर 80 प्रतिशत मुसलमान हैं । आपने देवरिया का नाम लिखा क्योंकि वह गृह मंत्री जी का जनपद है, हमारे मल्ल जी का जनपद है । तो मैं कहना चाहूंगा कि मऊ को भी इसमें शामिल किया जाय जहां पर सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कहीं भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिक्र नहीं किया गया है । पिछली बार सदन में एक संकल्प लाया गया था स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारक बनाने के संबंध में, अभी उस पर विचार होना बाकी है । हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया जिनकी मां, बेटियों का सिंदूर मिट गया और जिनके कारण हिन्दुस्तान आजाद हुआ उनका जिक्र नहीं है । देश को जो आजादी मिली उसी का नतीजा है कि मान्यवर, आप इस कुर्सी पर बैठे हैं और हम उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज उठाने के लिये इस कुर्सी पर बैठे हैं । उन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर इस देश को आजाद कराया था इसलिये आपको इस कुर्सी पर बैठने का अवसर मिला हमको सदन में आने का और विकल साहब को मंत्री बनने का, शाही जी को गृह मंत्री बनने का और डंग साहब को लोक निर्माण मंत्री बनने का अवसर मिला । स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सहवर्ती के साथ उत्तर प्रदेश से बाहर जाने की घोषणा की गयी है तो यह तो पहले भी था कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपने सहवर्ती के साथ प्रदेश से बाहर जाते थे । अगर आप यह कहते कि उनके पेंशन में 200 रुपये की बढ़ोत्तरी कर दी गयी है तो कोई बात होती । मेरा खुला आरोप है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक का सारा इतिहास पढ़ लीजिये भा० ज० पा० की सरकार में कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग नहीं होंगे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

जो असली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वह सब भा० ज० पा० में हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कोई दल ही नहीं हैं, उनकी कोई पार्टी नहीं है । वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं इसलिये सबके पूज्य हैं ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भा० ज० पा० में होते तो निश्चित रूप से सरकार ने उनको याद किया होता ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

हम असली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं ।

लघु उद्योग राज्य मंत्री(श्री मयंकर सिंह)–

मान्यवर, हम और माननीय सदस्य दोनों ही घोर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं यह हमारा दूसरा जन्म है ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मैंने मुख्य बिन्दुओं को श्रीमन् उठाया है । मुख्य बिन्दुओं को लिया है । मैं तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के खून से पैदा हूं । मेरे पिता स्वर्गीय रामसुन्दर पांडेय जी ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी और उनको इस सदन की 20 वर्षों तक सेवा करने का मौका मिला । मैंने हिन्दुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ा है और उस इतिहास को जानता हूं । और कोई किताब पढ़ेगा, मैं स्वयं जानता हूं, इसलिये कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी खून भाजपा में कहीं होता तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने में कोई पहल की गयी होती । कहीं बजट में दिया है माननीय वित्त मंत्री ने कि 20 लाख रुपया स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मारक बनाने के लिये अनुदान दे रहे हैं और मैं अभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजनीतिक पेंशन मंत्री से मिला था, जब यहां हल्ला गुल्ला हो रहा था, हमारे मधुबन में 36 लोग हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में एक साथ मरे थे और विकल साहब इतिहास पढ़िये, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास देखिये । मधुबन का इतिहास ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पढ़ा गया । उन 36 लोगों के सीने में गोली लगी थी, इसलिये उनका इतिहास बना और उनका इतिहास ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पढ़ा गया । जिलाधिकारी ने भेजा था । पिछली सरकार ने 3.42 लाख रुपया मधुबन के लिये दिया । मैंने राजनीतिक पेंशन मंत्री से कहा कि 3.42 लाख रुपया उस सरकार ने दिया आप 10 लाख रुपया खर्च करके उसको बनवा दीजिये और वहां भव्य इमारत बननी चाहिए, इसलिये कि आने वाली जो पीढ़ी होगी, वह हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को याद करेगी । अगर याद नहीं रखेगी तो यदि आगे आने वाले दिनों में कोई खतरा होगा तो कोई बच्चा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद नहीं कर पायेगा और देश की सुरक्षा नहीं कर पायेगा । हम चाहेंगे कि इस पर कुछ हो ।

एक शिक्षा की बात आयी । एक महत्वपूर्ण सवाल है । गांधी जी की फोटो आपके पीछे लगी है । उन्होंने कहा है कि किसी देश के विकास की आधार शिला उस देश की शिक्षा और संस्कृति होती है और शिक्षा का बड़ा महत्व होता है । व्यावसायिक शिक्षा पर बड़ा बल दिया गया, तकनीकी शिक्षा पर बल दिया गया और श्रीमन्, आप देखें कि बजट में वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि 25 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और 100 प्राथमिक विद्यालय को वित्तीय मान्यता में लेंगे । तो 256 विद्यालयों के मामले पूरे उत्तर प्रदेश में लम्बित हैं और केवल 25 लेंगे । इसका क्या औचित्य होगा और क्या शिक्षा का विकास होगा । कम से कम एक जिले में एक तो लेते । मैं चाहता हूं कि कम से कम 100 लिये जायें, नहीं तो कम से कम एक जनपद में एक तो हो ही जाय । इसके अलावा नारी शिक्षा का बड़ा महत्व देश में है । हमने एक पुस्तक में पढ़ा साक्षरता के बारे में कि 1981 की जनगणना में 38.8 प्रतिशत पुरुष और महिला 14 प्रतिशत, कुल मिलाकर 27.2 प्रतिशत शिक्षित हमारे प्रदेश में हैं । मेरा कहना यह है कि नारी शिक्षा में जब 14 परसेंट नारी प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करेंगी, शिक्षित होंगी तो इससे समाज का क्या विकास होगा । मेरा कहना है कि नारी शिक्षा पर बल देने से ही समाज का भला हो सकेगा । इसलिये चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी इस बजट में संशोधन करके एक-एक ब्लाक में एक-एक कन्या विद्यालय खोलने की व्यवस्था करें ।

मैं श्रीमन् नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूं,....

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय पाण्डेय जी, आप संक्षेप करें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, 10 मिनट का समय और दे दीजिए ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय पाण्डेय जी ने 10 मिनट का और आग्रह किया है, इस समय 4 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं और इसमें 10 और मिला दिया जाय, तो 4.20 हो जाता है ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि मैं नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूं, वहां पर कोई भी महाविद्यालय पूरे गांव में नहीं है, इस तरह से शिक्षा का कैसे विकास होगा । तो मैं चाहता हूं कि वहां पर महाविद्यालय खोल जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय पाण्डेय जी, आपने 10 मिनट मांगे हैं, इस समय जरा घड़ी देख लीजिए 4.10 हो रहा है, 10 मिनट बाद क्या समय हो जायगा । आप घड़ी देख लें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, कम से कम नारियों की शिक्षा के लिए, व्यवसायिक शिक्षा के लिये, तकनीकी शिक्षा के लिये व्यवस्था हमारे क्षेत्र में करने की कृपा करें । मान्यवर व्यवसायिक शिक्षा के लिए दो लाख रुपये दिये गये थे, लेकिन वहां पर अध्यापक अब तक नहीं उपलब्ध हो सके हैं । आपके बजट में कोई व्यवस्था नहीं है । मान्यवर, जहां पर व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था हो गयी है, वहां पर उपकरण की व्यवस्था की जाय, सामग्री की व्यवस्था की जाय, अध्यापकों की व्यवस्था की जाय, ताकि आने वाले समय में विकास हो सके । मान्यवर, पानी के संबंध में कहा गया कि एक हजार हैंड पम्प प्राइमरी स्कूलों में लगायेंगे । हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए थे, पता नहीं गायब हो गये । यह कहीं नहीं लिखा है, इस पूरे बजट में कि जहां पर प्राथमिक विद्यालय का भवन है ही नहीं, वहां पर ये भवन बनायेंगे ।

मान्यवर, जहां पर विद्यार्थी लोग पेड़ के नीचे बैठकर विद्या अध्ययन करते हैं, वहां पर भवन बनाने की बात इन्होंने नहीं की है । मान्यवर, जो विद्यालय भवन विहीन हैं, प्राथमिकता के आधार पर वहां पर भवन बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए । मान्यवर, गन्ने के संबंध में इन्होंने कहा कि 4 रु० हमने गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया है । मान्यवर, इन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान भी कर दिया है । मान्यवर, हमने पिछली बार सदन में नियम 56 के अन्तर्गत यह प्रश्न चीनी मिल, घोसी के बारे में उठाया था, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ है । गन्ने के संबंध में यह एक बड़ी समस्या किसानों के सामने है, इसलिये मान्यवर कम से कम गन्ने की पेराई इस सीजन में हो जाय । श्रीमन् ग्राम्य विकास की बात इन्होंने किया । श्रीमन् आप भी जानते होंगे कि वर्ष 1992-93 में ग्राम्य विकास के अन्तर्गत एक लाख निर्बल वर्ग आवास का निर्माण करायेंगे । श्रीमन् मेरा कहना है और आपने भी देखा होगा और हमारे उधर के माननीय सदस्य भी देखे होंगे कि जो भी निर्बल वर्ग आवास गांव में बनता है, एक भी रहने लायक नहीं है ।

हमने देखा है कि लिन्टर डाला गया और जब उसकी बांस बल्ली हटाई गयी, तो वह भी नीचे आ गया । इतना कम पैसा दिया जाता है, जिससे सही सामग्री नहीं लग पाती है । इसी प्रकार से इन्दिरा

आवासों की है । मेरा निवेदन है कि आप जितना भी बनवायें वह ठीक बनवायें, अच्छा बनवायें । जो नीति या मानक शासन ने बना रखे हैं, उसमें परिवर्तन किया जाये ।

मान्यवर, शौचालयों की बात कही गयी है । इसमें कहा गया है कि इतने शौचालय बनवाने जा रहे हैं । शौचालयों की क्या दुर्दशा है, यह किसी से छिपा नहीं है । 14 सौ रुपया सरकार देती है और 375 रुपया पात्र व्यक्ति लगाता है । इतने रुपयों में शौचालय बन नहीं पाता है । इसका आप सर्वे करा लें । आप इतना रुपया दें जिससे शौचालय ठीक से बन जाये ।

मान्यवर, निःशुल्क बोरिंग की बात आयी है । मान्यवर आप भी जानते हैं कि इसमें कितना भ्रष्टाचार है । एक भी किसान की बोरिंग सफल नहीं होती है । इनकी बोरिंग के आधार पर कहीं पर सिंचाई नहीं हो पाती है । सारी की सारी बोरिंग असफल हो जाती है । इसका कारण यह है कि इसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार है, जितनी गहराई तक पाइप को ले जाना चाहिए, उस गहराई तक पाइप को नहीं ले जाया जाता है । और परिणाम यह होता है कि कुंआ पानी देना बन्द कर देता है । इस ओर भी आप ध्यान दें, जिससे किसानों को लाभ मिल सके । इसी संबंध की दूसरी बात कहना चाहता हूं । किसानों को पम्पिंग सेट खरीदने के लिये लोन दिया जाता है । अगर 4 हजार में इंजन नकद मिल जाता है, तो लोन लेने पर वही इंजन 6 हजार का मिलता है । इसको प्रदेश की सारी जनता जानती है और आप हम सभी लोग जानते हैं । इसलिये इसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको समाप्त किया जाये, जिससे किसानों की सिंचाई की व्यवस्था ठीक से हो सके और उत्पादन में वृद्धि हो ।

मान्यवर, ऊर्जा की बात आयी है । श्रीमन् हम सभी जानते हैं कि देश और प्रदेश में बिजली का संकट है । सरकार द्वारा घोषणा कर दी जाती है कि हम 12 घंटे बिजली किसानों को दे रहे हैं, लेकिन असलियत में इतनी बिजली दी नहीं जाती है । आप खुद जानते हैं कि किसानों को कितनी बिजली मिलती है । हम जानते हैं कि जल द्वारा उत्पन्न की गयी बिजली सस्ती पड़ती है, इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं और मांग करता हूं कि मऊ जनपद में दोहरीघाट में पावर स्टेशन बनाने हेतु थर्मल पावर की स्थापना करें, जिससे किसानों को सस्ती दर पर बिजली मिल सके । मान्यवर, एक एल० टी० लाइन होती है । इस समय ऊर्जा मंत्री जी नहीं हैं । आज सरकार ने उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, इस कारण नये कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं । इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप इस प्रतिबन्ध को समाप्त करें । इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर लोड नहीं लेते हैं, उनकी क्षमता समाप्त हो गयी है, इसलिये आप उनको बदलें, जिससे किसानों को बिजली मिल सके । आपने जो दूसरा लगाने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है इसको हटाया जाये, जिसे किसानों को बिजली मिल सके ।

मान्यवर, मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं सिंचाई की बात आई । हमने देखा है कि राजकीय नलकूप 1988-89 में 26,289 थे, नहरों की लम्बाई पूरे प्रदेश में 86-87 में 67,108 किलोमीटर थी, क्षेत्रफल पूरे उत्तर प्रदेश का है 2 लाख 94 हजार 411 वर्ग किलोमीटर, प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व 377 प्रति व्यक्ति है । मेरा अनुरोध है कि सिंचाई से ही पैदावार बढ़ेगी और उससे ही अच्छा उत्पादन होगा । जब हम सिंचाई को किसानों की पैदावार से जोड़ देंगे तभी देश और प्रदेश का विकास हो सकता है । अभी हमने नियम 56 में कहा था, मैं बोल रहा था कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र का आधा हिस्सा घाघरा नदी से हर वर्ष प्रभावित रहता है । कितने घर, कितनी जमीन, कितने गांव उसमें विलीन हो गये इसका पता नहीं है । तो मैं चाहता हूं कि सिंचाई के साथ-साथ हमारे नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद मऊ में ही घाघरा नदी का ज्यादा हिस्सा आता है इसलिये वहां ठोकर बनाने की कृपा करें । मैं सिंचाई मंत्री से मिल चुका हूं इस बारे में ।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं चिकित्सा और परिवार कल्याण के बारे में, आपने पूरे उत्तर प्रदेश को देखा होगा और मैंने भी देखा है, अपने निर्वाचन क्षेत्र नत्थूपुर जनपद मऊ में देखा है कि कई अस्पताल ऐसे हैं जहां कोई जाता हीं नहीं है, कोई रहता ही नहीं है वहां कम से कम डा० की तो व्यवस्था करनी चाहिए । श्रीमन् यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है । वहां दवा किसी को नहीं मिलती जो डाक्टर वहां हैं, जो दवा उनको सरकार देती है उसको वह बेच देते हैं । इसलिये यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल परिवार कल्याण का है । मैंने एक सवाल इसी सत्र में पूछा था कि क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे तो इन्होंने वहीं अधिकारियों का दिया हुआ जवाब यहां दे दिया । एक गांव है आजमगढ, वहां एक आदमी ने यह सवाल दिया था, उसी पर मैंने सवाल पूछा था । वहां पूरे गांव की नशबन्दी हो गयी फर्जी तरीके से, कागज पर हुई है, अगर उसकी जांच कराई जाय तो सत्यता सामने आ जायेगी । यह एक महत्वपूर्ण सवाल था क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से देश की समस्या बढ़ती जा रही है ।

मान्यवर, समाज कल्याण विभाग के बारे में एक बात कहना चाहता हूं हमारे समाज कल्याण मंत्री जी बैठे हुए हैं, विधवाओं को जो पेंशन मिलती है वह जिले में 100 रुपया मिलती है और वृद्धा को भी 100 रुपया मिलती है, उसमें भी कोटा बना हुआ है और वह मऊ जनपद में बहुत कम है ।

एक सदस्य–

मान्यवर, इन्होंने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया है इसको वापस लें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मैं उसे वापस ले रहा हूं, समाज कल्याण मंत्री से कह रहा हूं । इनको तो दलित और गरीब लोगों के विकास के लिये 100 रुपये की जगह डेढ़ सौ रुपये देने की घोषणा करनी चाहिए कि डेढ़ सौ रुपया देने जा रहे हैं तो उन गरीबों का आशीर्वाद आपको मिल जाता । इन शब्दों के साथ जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें मेरा कटौती का प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि इस पर जो बजट भाषण हुआ है और जो तथ्य पेश किये गये हैं उसको इसमें जोड़ा जाय जिससे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से लेकर गरीब किसान मजदूर सबका उद्धार हो सके, इसके साथ ही मैं अपनी बात को विराम देता हूं ।

श्री बच्ची सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे बजट की चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया । हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रत्येक पहलू को दृष्टिगत रखते हुए और विशेष रूप से 60 प्रतिशत इस बजट का परिव्यय ग्रामों की ओर रखते हुए जो प्राविधान इसमें किया है, मैं समझता हूं कि यह अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट है । इस पर समाज में जो प्रतिक्रिया हुई है, समाज के सभी वर्गों ने इस बजट को सराहा है । मैं इसके लिये वित्तमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं वह उत्तरांचल का क्षेत्र है । वहां के लिये भी इस बजट में 405 करोड़ रु० की व्यवस्था करके हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सराहनीय कार्य किया है । मैं बधाई देना चाहता हूं पूरे उत्तरांचलवासियों की ओर से किस तरह से बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा के लिये 50 लाख रु० की व्यवस्था उन तीर्थस्थलों के सौंदर्यीकरण के लिये की गयी है तथा तीन-तीन करोड़ रु० की अतिरिक्त व्यवस्था हमारे यहां के धार्मिक श्रद्धास्थलों के लिये की गयी है, उनसे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का विकास हो सकेगा । उत्तरांचल का 405 करोड़ रु० का जो उप बजट प्रस्तुत किया है, उसमें वित्तमंत्री जी ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है कि कुमायुं और गढ़वाल के मण्डलों को मिलाकर एक राज्य बनाना चाहते हैं । जहां बजट भाषण में उत्तरांचल राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है, वहीं दुख का विषय है कि

उत्तरांचल क्षेत्र के निवासी और भूतपूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी का आज के समाचार पत्र में बयान जारी हुआ है कि यह संकुचित विचारधारा का द्योतक है । रसा, कोरिया और वियतनाम तथा जर्मनी की दीवार का उल्लेख करके उन्होंने अपनी बात कही है । इसको मैं उत्तरांचल का विरोध मानता हूं । भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तरांचल के विकास के लिये इसको प्रस्तावित किया है । जिन्हें हम् पर्वतपुत्र कहते थे, उन्होंने वहां की जनता के साथ विश्वासघात किया है । उत्तरांचल की जनता उनको माफ़ करने वाली नहीं है । उत्तरांचल का यह प्रस्ताव 12 अगस्त, 1991 को यहां से पारित होकर केन्द्र सरकार के विचाराधीन है । इस समय कांग्रेस की ओर से इस प्रकार का बयान दिया गया, निश्चित रूप से इससे एक प्रस्ताव जो विचाराधीन है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । हमारे उत्तरांचल क्षेत्र की अपनी भौगोलिक परिस्थितियां हैं जो पृथक पर्वतीय राज्य की ्त की गयी है काफी गहन विचार-विमर्श के बाद की गयी है । उत्तरांचल में यातायात की समस्या है, उसके लिये प्राविधान किया गया है, प्रतिबद्धता दोहरायी गयी है । वहां पर आने जाने की तकलीफ है न तो रेलवे है और न वायुमार्ग है ।

किसी प्रकार से कोई जलमार्ग से भी, स्टीमर या नाव से, आने जाने के साधन नहीं है । 30-30, 40-40 कि० मी० की दूरी से किस प्रकार से लोग पैदल पहुंचते हैं इसको समझा जा सकता है । इसके लिये जो बजट में पर्याप्त प्राविधान किया गया है तो मैं केवल विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि प्राथमिकताओं को तय करते समय प्रशासनिक प्रबन्ध की बड़ी आवश्यकता पड़ेगी । जो बजट में प्राविधान किया गया है उसको सही ढंग से इस्तेमाल करते हुए रोडवेज की नयी बसें वहां पर लगे नये डिपो पर खुलें ताकि किसी प्रकार से वर्तमान सड़कों पर यातायात की सुविधा लोगों को उपलब्ध हो सके ।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ प्राविधान इस बजट में किया गया है, यह स्वागत योग्य कदम है । किस प्रकार से वहां विद्यालयों की स्थापना हो । नदी-नाले गंधेरे बीच में पड़ते हैं, बच्चे जा नहीं पाते है, भीषण जंगल हैं, जो प्राविधान किया गया है संख्या बढ़ाने के लिये, विद्यालय में जो आज तक व्यवस्था थी, प्राइमरी स्कूल में शाखायें पाठशालायें खोली जायं, कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थी शाखा विद्यालय में पढ़कर, दूरदराज़ के विद्यालयों में जा सकें । इसके लिये विशेष ध्यान की आवश्यकता है । बजट का प्राविधान पर्याप्त है । जितना सुन्दर, जितना ठोस, जितना यथार्थवादी बजट हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रस्तुत किया है, पूरे देश में प्रदेश में उसकी सराहना हो रही है, प्रत्येक अर्थशास्त्री बजट के प्रत्येक जानकार लोग उसकी सराहना कर रहे हैं । मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहता हूं कि पहले कुछ मानक थे, काफी विचार विमर्श के उपरान्त 1989-90 में तैयार किये गये थे । उसमें पर्वतीय क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय के निर्माण के लिये 93,300 रु० का प्राविधान था, मिर्जापुर जिले में उसी नक्शे पर जो विद्यालय बनता था उसके लिये 80,000 रु० का प्राविधान था और अन्य मैदानी क्षेत्रों के लिये 60,000 रु० का प्राविधान था । उत्तरांचल रेल का हेड टनकपुर, काठगोदाम, रामनगर, देहरादून है, वहां से जो भी सीमेन्ट, लोहा, ईंट जायेगी बजरी रेता जायेगी निश्चित रूप से 2 गुना, 3 गुना लागत उससे अधिक हो जाती है उसमें चाहे पिथौरागढ़ का क्षेत्र हो या मेरे रानीखेत विधान सभा का क्षेत्र हो । हजार रु० की हजार ईंट रेल हेड पर मिलती है, तराई और मैदानी क्षेत्रों में मिलती है और वही ईंट अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रानीखेत में 2 रु० सवा दो रु० प्रति ईंट के हिसाब से मिलती है । दुर्भाग्य से 1990-91 में यह निर्णय लिया गया कि पर्वतीय क्षेत्र के लिये जो 93,300 रु० का प्राविधान था, उस धनराशि को सबके समान करके 90,000 रु० कर दिया गया अब चाहे लखनऊ में ईंट के भट्टे के पास स्कूल बने तो भी 90,000 रु० और चाहे पर्वतीय क्षेत्र के दुर्गम स्थान पर बने तब भी 90,000 रु० तो मैं कहना चाहता हूं कि 90-91 में जो प्राविधान बदल दिये गये, उसको देखने

की आवश्यकता है । बजट में प्राविधान काफी अच्छा है, केवल प्रतिदिन की व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है । निश्चित रूप से उत्तरांचल की जनता को विश्वास है कि हमारी सरकार इस मानक पर विचार करेगी और यह मानक पर्वतीय क्षेत्र की लागत के अनुसार निर्धारित होंगे । इसी तरह से सिंचाई का प्रश्न है, सिंचाई बंधु की पहली बार स्थापना हुई हैं यह किसान समर्थक बजट है 60 फीसदी प्राविधान गावों के लिये है । लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, एक हेक्टेयर के पीछे 20 हजार रुपयों का प्राविधान है । अगर एक कि० मी० या आधी कि० मी० नहर मैदान में बननी है तो एक हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा के लिये 20 हजार रु० का प्राविधान है और वही चम्पावत लोहाघाट में है तो भी 20 हजार का है मान्यवर वहां पर पहले से ही सड़कों का अभाव है केन्द्र सरकार के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के कारण वहां तमाम सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं । तो सड़कों का अभाव है और रेल हैड से 80-80, 100-100 किलोमीटर दूर तक सामान पहुंचाना पड़ता है उसके बाद फिर हैड लोड से ले जाना पड़ता है, अब मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं क्योंकि वित्त का मसला है और इतना सुन्दर बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा है, मैं उसके लिये उन्हें बधाई भी देता हूं । उत्तरांचल का जो सपना था, वह भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था और वह सपना निश्चित रूप से साकार होने वाला है । लेकिन जब तक उत्तरांचल राज्य की इसकी स्थापना नहीं हो जाती तब तक व्यवहारिक कठिनाइयां, हमारे सामने आ रही हैं । वह यह है कि उत्तरांचल विकास विभाग अलग बना हुआ है, तो कम से कम एक वित्तीय विभाग का एक संयुक्त सचिव या विशेष सचिव उत्तरांचल विकास विभाग के साथ जुड़ जाता तो ये आये दिन जो कठिनाईयां होती हैं उसमें निश्चित रूप से सहूलियत हो जाती ।

जो 405 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, उसका कोई पैसा पी० एल० ए० में जमा नहीं होगा और क्षेत्र में उपयोगिता के आधार पर खर्च होगा उससे पिछड़े हुए जो लोग हैं, उसको लाभ मिलेगा । मान्यवर, मैं केवल एक दो और सुझाव देना चाहता हूं कि हमारी जो भौतिक संरचना है इसके अनुसार गढ़वाल मण्डल का जो क्षेत्र है तो उसके लिये हमारे उत्तरांचल के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने लघु जल विद्युत परियोजना को वरीयता देने की बात कहीं है । गढ़वाल के अन्दर अनेक ऐसी-ऐसी नदियां हैं जिनसे जल विद्युत पैदा करके न केवल उत्तरांचल बल्कि पूरे प्रदेश को बिजली दी जा सकती है । दूसरा जो हमारी कुमाऊं की पहाड़ियां हैं वह पहाड़ियां खड़ी नहीं है बल्कि समतल हैं और उसमें हम फल उपयोगी कार्य कर सकते हैं इन सबका प्राविधान हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में किया है, और यह नहीं जब केन्द्र सरकार ने हमारे बजट में कटौती कर दी थी तो किसी तरह से जनसंख्या और आर्थिक पिछड़ेपन की बात रखकर जिस तरह से उन्हें मनवाया उसके लिए निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, चूंकि अभी अन्य सदस्यों को भी बोलना है इसलिये मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं ।

श्री बिन्दु लाल–

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा है वह सही मायने में हमारे मुंशी दीन दयाल उपाध्याय जी की जो कल्पना थी कि गांव के जो सबसे नीचे के व्यक्ति हैं जब तक उनका विकास नहीं करेंगे जब तक उसकी उन्नति नहीं होगी, जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है उसी आधार पर हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने 60 प्रतिशत अपने बजट का गांव की तरफ रखकर जो कल्पना थी उसको पूरा करने का प्रयास किया है । इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । उन्होंने इस बजट में चहुमुखी विकास के बारे में सोचा है कोई नया कर लगाने का प्राविधान नहीं किया गया है, सेल्स टैक्स में छूट दी है, मंहगाई को कम करने का प्रयास किया

है, गांवों की तरफ सड़कें ज्यादा से ज्यादा हों और गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जाये इसके लिए बजट में प्राविधान किया है । हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि अगर आप देश का विकास चाहते हैं तो गांव का विकास होना चाहिए और इसके लिए सबसे पहले सड़कें बननी चाहिए, गांव को सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए, अगर यह सब हुआ तो मेरा मानना है कि देश का विकास आधे से ज्यादा हो जायेगा उसके बाद सिंचाई की बात आती है । हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में उसकी भी व्यवस्था की है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ ध्यान दिलाना चाहता हूं । हमारा क्षेत्र तराई का क्षेत्र है और हमारे ब्लाक पचपेड़वा में कुल दो राजकीय नलकूप हैं, इसके अतिरिक्त सिंचाई का अन्य कोई साधन नहीं है । इस क्षेत्र में 40-45 गांव अनुसूचित जाति के हैं । यह सभी गांव आज भी सिंचाई से वंचित हैं, जब बोरिंग होती है तो 150-200 फीट से ज्यादा बोरिंग नहीं हो पाती है । मान्यवर, मेरा क्षेत्र सबसे पिछड़ा क्षेत्र है । और पूरे पूर्वांचल में गोंडा सबसे ज्यादा पिछड़ा है । मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान देकर सिंचाई की समुचित व्यवस्था करेंगे । इसी प्रकार मान्यवर, बजट में बिक्रीकर में कुछ छूट दी गयी है, मैं इसके संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । बजट में परिवहन गाड़ियों पर जैसे जीप, कार आदि पर 10 परसेन्ट से घटाकर 8 परसेन्ट बिक्रीकर किया गया है । मान्यवर, हम सब लोग जानते हैं कि जितनी भी जीप प्रदेश में आ रही हैं, वह सब दूसरे प्रदेशों से खरीदकर लाई जाती है क्योंकि प्रदेश के डीलरों ने अपने डिपो दूसरे प्रदेशों में खोल रखे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में, चंडीगढ़ में, वहां पर सेल टैक्स कम लगता है, जिससे एक जीप की खरीद पर 15-16 हजार की बचत हो जाती है और हर आदमी यही चाहता है कि जितने कम पर मिले, उतना अच्छा है, इस वजह से मान्यवर, हमारी प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपये बिक्रीकर की हानि होती है । मेरा सुझाव यह था कि अन्य प्रदेशों की भांति यहां पर भी टैक्स कम करके उनके बराबर कर दिया जाय, इससे प्रदेश को करोड़ों रुपये की प्राप्ति होगी ।

इसी प्रकार मान्यवर, बहुत से अन्य सामान हैं जैसे जूता । मध्य प्रदेश, बिहार में इस पर टैक्स कम लगता है और अपने यहां टैक्स ज्यादा लगता है । दिल्ली, जालंधर में कम लगता है । अपने यहां जो जूता बनता है, पहले वह मध्य प्रदेश और बिहार में चला जाता है, इसकी वजह से भी सरकार को लाखों रुपये का नुकसान होता है, आज यदि इन्हीं सामानों पर टैक्स कम कर दिया जाय तो उससे प्रदेश को काफी लाभ मिल सकता है इसी प्रकार मान्यवर मुजफ्फरनगर में एक देशी घी की फैक्टरी है और इसका डिपो दिल्ली में है । पहले सारा माल दिल्ली जाता है वहां से लौटकर अलीगढ़, मुजफ्फर नगर, मेरठ आदि जगहों पर आता है इस प्रकार सरकार को न तो सेल टेक्स प्राप्त होता है और न मण्डी समिति मिलती है । अगर आप वहां के बराबर इसके टैक्स को कर दें तो उससे काफी पैसा इस सरकार को मिल सकता है और इसी तरह अन्य बहुत से सामान है, जिन पर लगने वाले टैक्स को अन्य प्रान्तों के बराबर यदि कर दिया जाय तो जो बिक्रीकर की चोरी होती है इस पर अंकुश लगेगा तथा सरकार को करोड़ों रुपयों की प्राप्ति होगी मैंने माननीय वित्त मंत्री जी को लिखकर भी दिया था । मान्यवर, यह जो उत्पादक के लिये माल लेते हैं, उसे सामान खरीदने के लिये आप टैक्स की छूट देते हैं, कहीं पर यह 15 परसेंट हैं और कही पर 5 परसेंट । जैसे लकड़ी की बात को ले लें । इसमें बहुत से व्यापारी 5 परसेंट टैक्स देकर 10 परसेंट पर वही व्यापारी को बेच देते हैं, इससे भी सरकार को करोडों रुपये की हानि होती है हम चाहेंगे कि माननीय वित्त मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें और जो छूट दी जाती है, उसकी व्यवस्था को खत्म कर दिया जाय, तो इससे करोड़ों रूपये की आमदनी हो सकती है । मान्यवर, सिंचाई के बारे में हमारे माननीय पांडे जी ने एक बात कही । निःशुल्क बोरिंग की बात कही । यह बात सही है कि निःशुल्क बोरिंग में बड़ी हेरा फेरी हो रही है । निःशुल्क बोरिंग में लोगों को जो पाइप दिये जाते हैं और जो सामान

दिये जाते हैं उसके स्थान पर उन्हें नकद पैसा दे दिया जाय तो इससे चोरी कम होगी । होता क्या है कि किसी को 50 फिट पाइप दिया जाता है, किसी को 60 फिट पाइप दिया जाता है और किसी को 80 फिट पाइप दिया जाता है और 100 फिट पाइप पर दस्तखत कराये जाते हैं । और वह पाइप भी घटिया किस्म का होता है इसलिये मैं पुनः कहना चाहूंगा कि किसानों को चैक द्वारा पैसा दे दिया जाय । इससे रद्दी किस्म का सामान भी नहीं मिलेगा और बोरिंग भी अच्छी होगी । इसलिये आप इस सुझाव पर विचार करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य, संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री बिन्दुलाल–

गांवों में जो हैण्ड पम्प लगे हैं, वे 50 से 60 परसेन्ट खराब पड़े हैं । उनको ठीक करने की कोई व्यवस्था नहीं है । उनको ठीक करने के लिये हम ब्लाक में जांय । वहां पर रजिस्टर में शिकायत दर्ज करें कि फलां हैण्ड पम्प खराब पड़ा हुआ है । जल निगम के लोग उसे ठीक करेंगे । परन्तु 6-6 व साल-साल भर हो गये हैं नाम लिखे हुए, परन्तु आज तक हैण्ड पम्प ठीक नहीं हो पाये हैं । यदि आप चाहते हैं कि हैण्ड पम्प ठीक हों, उससे गांव के लोगों को उचित लाभ मिले तो ब्लाक स्तर पर उनको ठीक करने हेतु कारीगरों की आप व्यवस्था करें । साथ ही उनका सामान भी ब्लाक स्तर पर उपलब्ध हो । यदि ऐसा नहीं किया गया तो इसी तरह से हैण्डपम्प खराब पड़े रहेंगे । मेरे क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं, जहां पर आज तक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है । देश को आजाद हुए 45 साल हो गये हैं । पहाड़ी नाले का जो गन्दा पानी है, उसे वह पीते हैं । इसलिये पीते हैं, क्योंकि वहां पर कुवें कामयाब नहीं हुए, हैण्ड पम्प कामयाब नहीं हुए । इसलिये जहां पर अनुसूचित जाति व जन जाति के लोग हैं, उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाय । पानी की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर कराई जाय । श्रीमन् फारेस्ट विभाग के अंतर्गत कुछ ऐसे गांव हैं, जहां आज भी लोग बंधुवा मजदूरी की जिन्दगी जी रहे हैं । मेरे क्षेत्र में 5-6 ऐसे गांव हैं जहां पर आज तक अनुसूचित जाति व जन जाति के लिये जो सुविधायें हैं, वे सुविधायें उन्हें नहीं प्राप्त हैं । वन संरक्षण अधिनियम के कारण वहां पर न सड़कें बनाई जा सकती हैं न वहां पर अन्य कोई निर्माण कार्य हो सकता है । इसलिये मैं चाहूंगा कि वहां पर विशेष राजस्व सुविधायें दी जांय । इसी के साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार –

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है चूंकि मैं कम-पढ़ा-लिखा हूं, इसलिये मैं इस बजट को कम पढ़ पाया हूं । लेकिन जितना पढ़ पाया हूं उसके तहत इतना जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा यह निश्चित है कि बजट प्रस्तुत करते समय तमाम चीजें चाहे भूल हुई हों जानबूझकर हुई हों कुछ ऐसी व्यवस्था करने से छूट गयी है जिसका फल आने वाले समय में इस बी० जे० पी० सरकार को भुगतना पड़ेगा, निश्चित रूप से भविष्य में जनता उसकी सजा देगी ।

मैं आपका ध्यान इस बजट में जो कापी मेरे पास है दिलाना चाहता हूं कि आपने दर्शाया है गन्ना चीनी मिलों के भुगतान के लिये आपने 66 करोड़ रुपया गतवर्ष के गन्ने के लिये दिया । अगर आपने सहकारी चीनी मिलों को दिया है तो आप यह सोचने के लिये विवश होंगे कि आने वाले समय के लिये

166 करोड़ रुपये का प्राविधान सहाकारी चीनी मिलों के लिये करना होगा तो आप उसके लिये व्यवस्था कर लीजिए कि यह धनराशि आपको देती रहनी पड़ेगी । इससे निश्चित है कि आप सरकार को आर्थिक रूप से जर्जर करेंगे । आपको इस संबंध में बारीकी से सोचना चाहिए कि सहकारी चीनी मिलों को 66 करोड़ रुपया दे रहे हैं तो आने वाले समय में प्राइवेट चीनी मिलें भी जो करोड़ों का भुगतान उन पर बकाया है उसके लिये वह भी क्लेम करेंगे । वह आपसे कहेंगे कि चूंकि सहकारी चीनी मिलों को 66 करोड़ रुपया दिया है इसलिये आने वाले समय में भी देंगे इसलिये हमें भी कुछ न कुछ दो । इस प्रकार आपकी सारी योजनायें ठप हो जायेगी आर्थिक रूप से आप जरजर हो जायेंगे गन्ना मिलों का भुगतान करते करते । इस पर आपको बारीकी से सोचना चाहिए था कि जो चीनी मिलें आर्थिक रुप से कमजोर थी गन्ने का भुगतान नहीं कर पा रही थी और उस पर केन्द्र सरकार चीनी का दाम नहीं बढ़ा रही है आपने लोगों को खुश करने के लिये 4 रु० क्विंटल गन्ने की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए । आप जानते हैं कि केन्द्र सरकार बदनाम करने के लिये चीनी के रेट नहीं बढ़ा रही है तो यह मिलें कहां से दे देंगी । आपने गन्ना किसानों को खुश करने के लिये 4 रुपया क्विंटल दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी । प्राइवेट चीनी मिल वाले गन्ने का दाम 4 रुपया बढ़ा हुआ नहीं देंगे । यह सोचना चाहिए था उसका परिणाम क्या हुआ कि जो पिछले साल किसानों को 41 रुपये मिल रहा था वह भी नहीं मिला उससे भी कम करके उन्होंने 36 रुपया कर दिया । तो तब आप विचलित हुये आपने पूंजीपतियों के समक्ष घुटने टेक दिये और प्राइवेट चीनी मिल वालों की बैठक बुलाई और उनके सामने गिड़गिड़ाये और उनकी बात आपको माननी पड़ी जो वह पहले बाह्य क्रय केन्द्रों पर 2 रुपया काटते थे उसको 3 रुपया प्रति क्विंटल काटने के लिये आपने कह दिया जबकि तमाम ऐसे क्रय केन्द्र हैं जिनको एक रुपये सत्ताइस पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से ट्रांसपोर्टर ढुलाई लेते हैं लेकिन चीनी मिल मालिक किसानों से तीन रूपये काटते हैं । यही नहीं आपने परचेज टैक्स में प्राइवेट चीनी मिल वालों को मजबूरी में उनको सहूलियत दी और नतीजा यह निकला कि हम लोगों के लिये भी शर्म की बात है आज तक किसी भी प्राइवेट मिल मालिकों के सामने पिछले इतिहास में कोई गवर्नमेंट गिड़गिड़ाई नहीं थी । लेकिन इस बार शासन की थोड़ी सी नादानी की वजह से हुआ । मैं जानता हूं कि बेईमानी किसी की नीयत में नहीं थी लेकिन हमें यह दिन देखना पड़ा और मुझे कई चीनी मिल मालिकों से कहना पड़ा कि हमारे जन प्रतिनिधियों की थोड़ी सी भूल की वजह से ऐसा हुआ । वहीं आप आने वाले समय में देखें कि राजस्व विभाग के बजट में कि सीलिंग ऐक्ट की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । आज मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में तमाम जनपद ऐसे हैं जो सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत आते हैं । लिखा पढ़ी में हैं । इस बारे में रिकार्ड है । पांच-पांच सौ एकड़ एक ही नाम पर खेत हैं । सीलिंग ऐक्ट बनने के बावजूद भी उनको सीलिंग घोषित करके जो खेतिहर मजदूर हैं उनकी रोजी-रोटी की व्यवस्था कर दें । इसमें अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है । मान्यवर, राजस्व के नाम पर ही आप देखें । तेज गर्मी में, तेज धूप में तेज हवाओं के समय आग से हजारों झोपड़ियां जलती हैं । आग लगने से झोपड़ियां नष्ट हो जाती हैं । उनको फिर से अपनी झोपड़ी बनाने के लिये कोरी, थान थूनी, बल्ली नहीं मिल पाता । वह अपने खेत का पेड़ काट नहीं सकते । जंगल के पेड़ की शाखाएं काट नहीं सकते । ऐसे में उन्हें फिर से अपनी झोपड़ी बनाने को लिये यह सामान उपलब्ध हो सके इसकी कोई व्यवस्था की गई है ? शायद वर्तमान सरकार उन लोगों को चोर बनाना चाहती है कि वह दोबारा घर बनाने के लिये जंगल में घुसे और कौरी, थान, थूनी बल्ली आदि की व्यवस्था करें । मान्यवर, मजबूर होकर उन्हें ऐसा ही करना पड़ता है क्योंकि चिड़िया भी अपना घोसला बनाती है । या तो मान्यवर, इनकी ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि इनके घर ध्वस्त ही न हों अगर ध्वस्त हो जाता है तो पुनः बनाने के लिये 40 कोरी, 4 थान, 8 थूनी एक

बल्ली लगती है । मान्यवर, इसकी व्यवस्था करना उत्तर प्रदेश सरकार ने उचित नहीं समझा । इसी तरह राजस्व से संबंधित विषय पर में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा । अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, उनके हृदय के उद्गार आ रहे थे कि प्रदेश में तमाम लोग ऐसे हैं सीलिंग की जमीन निकलने के बाद उन्होंने वन विभाग वालों से मिलकर सेक्शन–4 और सेक्शन–20 के अन्तर्गत उस जमीन पर कब्जा किया हुआ है । इसी तरह की प्रदेश में बीस हजार हेक्टेअर भूमि है इस हेरा फेरी के कारण वह भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में नहीं बंट पा रही है न वन विभाग के ही कब्जे में है । वह जमीन उन्हीं जमीन चोरों के कब्जे में है लेकिन कागज में वन विभाग के कब्जे में होने के कारण खेतिहर मजदूरों को नहीं मिल सकती है । श्रीमन् इसी तरीके से आपने इस ढंग की व्यवस्था की, कि कहीं कोई भूमि अगर झाड़ी, जंगल, कागज के अभिलेखों में दर्ज हो जाती है, तो चाहे उसमें फसल हो, चाहे गन्ना खड़ा हो, लेकिन अगर लेखपाल ने झाड़ी, जंगल लिखकर दे दिया है तो वन विभाग को यह अधिकार दिया गया है कि सेक्शन (4) का प्रस्ताव भेजकर राज्यपाल से गजट करा लें और उस भूमि पर अगर फसल भी खड़ी होती है तो वन विभाग चुपके से प्रस्ताव भेजकर गजट करा लेता है । मान्यवर, खेतिहर मजदूर को जमीन दे सकते थे, लेकिन नहीं दी गई । श्रीमन् पिछली बार सूखा पड़ा तो किसान त्राहि-त्राहि कर रहा था । सूखे से उत्पादन पर व्यापक असर पड़ा है । काफी कुछ माननीय सदस्यों ने प्रयास किया माननीय सदस्य काफी कुछ चिल्लाए, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं के बराबर नलकूप सही हैं, जो किसानों की फसलों की सिंचाई के लिये बीसियों वर्षो से लगे हुए हैं । बिना वजह खर्च किए उनकी नालियां हीं हो सकती हैं ? प्रत्येक जनपद में 80-80 प्रतिशत नलकूप काम नहीं कर रहे हैं । गर्मी आ गई किसान पानी के लिये परेशान है । जनप्रतिनिधि पर दबाव डाला जाता है, लेकिन जनप्रतिनिधि चिल्लाते हैं पानी की व्यवस्था वह नहीं कर पाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

संक्षिप्त कर दें ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

श्रीमन् मैं आपके माध्यम से यह माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि आपने कहा था कि बजट में परिवहन की व्यवस्था ठीक की जायेगी, परन्तु ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है । जिन क्षेत्रों में परिवहन की बसें नहीं चलती हैं वहां हम केवल प्राइवेट बस वालों पर निर्भर हो गये हैं । प्राइवेट बस वाले मोनोपोली करते हैं । उनका एक छत्र राज्य हो जाता है । श्रीमन् अगर कहीं जनप्रतिनिधि मांग करते हैं कि राजकीय परिवहन की बसें, रोडवेज की बसें बन्द कर दी जाएं, तो श्रीमन् मैं तो उल्टा बोलता हूं कि प्राइवेट बसें बन्द कर दी जायें और परिवहन की बसें चला दी जाएं, इस तरह की व्यवस्था बजट में कहीं नही की गई है । नयी सड़कों पर रोडवेज की बसें नहीं चलती हैं मेरी गुजारिश है कि जिन तहसीलों में रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं वहां रोडवेज की बसें चलवाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें । श्रीमन् समाज कल्याण विभाग के संबंध में आपसे गुजारिश है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री की माध्यम से आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जो आप आवास की व्यवस्था गांव में कर रहे हैं या आपके आने वाले समय में योजना है उसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रखी गई कि जिससे यह स्पष्ट हो कि वह लोग जो आवासहीन हैं उनको आवास देना चाहते हैं जिससे उनके परिवार सर्दी गर्मी बरसात से बच सके । विद्युत के मैटर को देख लें बिजली के मामले में बजट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रखी गई जिससे यह स्पष्ट होता है जिससे इनकी मंशा जाहिर होती ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मुन्ना जी समाप्त करें ।

अब आप समाप्त करें ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आप कहें तो मैं जहन्नुम में चला जाऊं, आप कह रहे हैं तो मैं बैठ जाता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

थोड़ा बोलना चाहें तो बोल लें ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

आपकी भावनाओं का आदर करते हुये मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसमें कुछ कमियां रह गयीं हैं, मैं नहीं कहता कि उसमें कोई गल्ती रह गयी है, लेकिन ऐसे संशोधन जिनसे इस प्रदेश की जनता लाभान्वित हो सकती है उसके अनुसार इसमें संशोधन अवश्य करें, मैं केवल इतना हीं कहना चाहता हूं ।

* श्री राम किशन ददाजू–

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा जो बजट रखा गया है उससे मैं अपने को संबद्ध करता हूं । मान्यवर, हमने चुनाव के दौरान यह वायदा किया था कि गांव का गरीब किसान, झोपड़ियों का इंसान, बेरोजगार नौजवान, महिलाओं का उत्थान और सम्मान, यह नारा हमने चुनाव में दिया था और उसी के तहत हमारी सरकार आयी । हमारी सरकार ने गांव के गरीब किसान को आगे बढ़ाने के लिये 60 परसेंट बजट गांवों पर खर्च करने का वायदा किया है । (मेजों की थपथपाहट) । हमारी सरकार ने 3853 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा हमारी सरकार ने एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अंतर्गत 536 करोड़ 60 लाख रुपये का प्राविधान रखा है । हमारी सरकार ने गांव के गरीब किसान को उठाने के लिये 29 हजार इंडिया मार्क-11 हैंड पंप लगाने की योजना रखी है इसमें से 12 हजार हैंड पंप अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये रखे गये हैं । मेरा इसमें एक सुझाव है कि हैंड पंप लगाने के लिये 250 आदमियों का मानक रखा गया है तो यदि इस मानक में पशुओं को शामिल किया जाय तो बहुत अच्छा होगा । हमारी सरकार ने बहुत ही बढ़िया बजट रखा है । झोपड़ियों के इंसान की तरफ ध्यान देकर सरकार ने 80 हजार आवासों की व्यवस्था की है । नारी के सम्मान के लिये, पहले 40 सालों से चले आ रहे शासनकाल में चूड़ी पर टैक्स था, अब चूड़ी पर केवल 4 प्रतिशत टैक्स रखा गया है । ऐसा करके हमारी सरकार ने नारी को सम्मान दिया है । हमारी सरकार ने भा० ज० पा० की सरकार ने केवल 4 प्रतिशत, चूड़ी पर टैक्स रखा है बाकी समाप्त किया है । मैं अपने वित्त मंत्री जी को एक सुझाव और देना चाहता हूं कि हमारा जिला फिरोजाबाद, नव सृजित जिला है । मेरा सुझाव है कि इस जिले को पर्यटन तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाय । उत्तर भारत में जितने भी जैन मंदिर हैं, सबसे बड़ा मंदिर फिरोजाबाद में हैं । वहां पर जैन संग्रहालय की व्यवस्था और पर्यटकों के लिये होटल की व्यवस्था की जाय । उत्तर भारत में बाहुबली का और कोई मंदिर नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिस तरह से 5 स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है उसी तरह से फिरोजाबाद को तीर्थ स्थल घोषित किया जाय । फिरोजाबाद एक नवसृजित जिला है । राजस्थान और मध्य प्रदेश यहां से केवल 20-30 किलोमीटर दूरी पर है । यदि वहां पर यमुना नदी पर एक पुल की व्यवस्था करा दी जाय तो मध्य प्रदेश और राजस्थान सीधे फिरोजाबाद से जुड़ जायगा और काफी राजस्व की आमदनी होगी ।

श्री राम किशन ददाजू–

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मलिहाबाद में नये प्रकार के वृक्ष तैयार किये गये हैं, उसी प्रकार से फिरोजाबाद में, शिकोहाबाद में, टूण्डला में यमुना के किनारे नीबू प्रजाति के और करौंदा प्रजाति के पौधे लगाए जांय तो काफी आमदनी बढ़ सकती है । यही नहीं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय परिवहन मंत्री मौजूद हैं, फिरोजाबाद में, नया जिला है, कोई डिपो नहीं है । वहां डिपो की व्यवस्था करने की मांग करता हूं । यही नहीं, 2983 हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र है, वहां पर एक माइनर निकालने की मांग करता हूं । इस सरकार का बजट बहुत अच्छा है और पिछले 40 साल में ऐसा बजट कभी प्रस्तुत नहीं किया गया । मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

बजट पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी ।

राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड हेतु चार सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिये मा० अध्यक्ष को प्राधिकृत किया जाना

* वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री–(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिये विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन सम्पन्न किये जाने हेतु, जिसके कार्यक्रम की सूचना इस सदन में दिनांक 9 मार्च, 1992 को दी गयी है, संबंधित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे उक्त बोर्ड में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित हैं, यह सदन श्री अध्यक्ष को, उक्त बोर्ड में सदस्यता के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त बोर्ड में नाम निर्देशन कर दें और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य उक्त बोर्ड में संबंधित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगें ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के चार सदस्यों को नाम–निर्देशित करने के संबंध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृति हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 25 मार्च, 1992 को नियम 51 के अन्तर्गत 5 सूचनाएं प्राप्त हुईं । माननीय रमेश पोखरियाल की सूचना जनपद गढ़वाल के राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याताओं की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है और दूसरी सूचना श्री गामाराम शास्त्री की जनपद गाजीपुर के थाना बरेसर के अन्तर्गत हुई श्री चन्द्र बहादुर गुप्ता की हत्या तथा पुलिस की निष्क्रियता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । पहली सूचना वक्तव्य के लिये स्वीकृत की गयी और दूसरी सूचना जो माननीय गामाराम शास्त्री की है, केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत की गयी । तीसरी सूचना श्री विक्रमाजीत मौर्य की जनपद इलाहाबाद में फूलपुर स्थित इफ्को कारखाने में व्याप्त प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, चौथी सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की जनपद टिहरी गढ़वाल में गया-तमियर-शिवपुरी मोटर मार्ग को पूरा कराए जाने के संबंध में है ओर पांचवीं सूचना श्री लाखी राम जोशी की टिहरी बांध परियोजना पर पुनर्विचार किये जाने के संबंध में है । ये तीनों सूचनाएं निरस्त की गयी ।

आटो ट्रेक्टर लि०, प्रतापगढ़ की अवैधानिक बिक्री तथा कर्मचारियों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 10 माननीय सदस्य के अनुरोध पर स्थगित की गयी ।

उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में बिकने वाली शराब से अधिक राजस्थान से लायी जाने वाली शराब की तस्करी से करोड़ों रुपये की होने वाली क्षति को रोकने के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री किशन गोपाल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, दिनांक 24 फरवरी, 1992 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–193 (नत्थी ग) के संबंध में माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर के संदर्भ में नियम 49 की यह चर्चा है । माननीय मंत्री जी भी आगरा के हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि माननीय मंत्री जी ..

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सबको आगरा की ओर क्यों मुखातिब करना चाहते हैं ।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, मैं भी आगरा का हूं और माननीय मंत्री जी भी आगरा के हैं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से प्रसन्न नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा उद्देश्य सरकार को लाभ पहुंचाना है और माननीय मंत्री जी का भी उद्देश्य सरकार को लाभान्वित करना है । मान्यवर, शराब से करोड़ों रुपये का लाभ अगर होता है, तो प्रदेश की जनता को उससे कुछ न कुछ लाभ अवश्य होना चाहिए । मान्यवर, मैंने प्रश्न किया, तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि उत्तर प्रदेश में लाई जाने वाली शराब उत्तर प्रदेश में थोक विक्रेताओं द्वारा खरीदी जाती है । मान्यवर, मैंने प्रश्न उठाया कि जितनी हमसे खरीद की जाती है, उससे ज्यादा बाहर से खरीदी जाती है । अगर केवल उत्तर प्रदेश से ही खरीदी जाय, तो लाखों रुपया सरकार को लाभ होता है ।

मैंने एक प्रश्न में भी अनुरोध किया था कि पिछले पांच सालों को देख लें, जितने में ठेकेदारों ने ठेका लिया, जब कि उससे बीस गुना लाभ में क्रय कर लेना चाहिए, लेकिन उतने से भी कम मात्रा में शराब खरीदी और उत्तर प्रदेश सरकार को हानि पहुंचाई । मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने कहा कि राजस्थान सीमा से नहीं आती । माननीय वित्त मंत्री और आबकारी मंत्री में आपस में विवाद हुआ । राजस्थान सीमा से भरा हुआ शराब का ट्रक आया, चेक पोस्ट पर रोक लिया गया, जिसमें आबकारी और वित्त विभाग में दोनों में द्वन्दता हो गयी, लेकिन न जाने किन कारणों से वह छूट गया, अगर छोड़ना होता, अगर यह जो ट्रक पकड़ी गयी, वह ट्रक छूट भी गयी, जिसमें मत भिन्नता भी हुई, इसके साथ-साथ मैं यह भी बोलना चाहता हूं कि राजस्थान में जिस जगह से यह शराब आती है, वह राजस्थान का महुआ है, जहां पर शराब 60 रु० की बोतल बिकती है, उत्तर प्रदेश में 120 रु० में बिकती है । केवल 4 किलो मीटर में इतना फर्क होता है । जो बरेटा बार्डर से शराब के ट्रक आते हैं, न जाने मंत्री जी ने, न जाने कौन सा मनहूस समय था, जब माननीय मंत्री जी अपने अधिकारियों की बात को मान लिये । लेकिन मैंने जो निवेदन किया कि यह जो चोरी हो रही है, जिसमें हमारी सरकार की वित्तीय हानि हो रही है, सेल्स टैक्स की, इक्साइज ड्युटी की हानि हो रही है, माननीय मंत्री जी ने मेरा अनुरोध बिल्कुल नहीं स्वीकार किया . मान्यवर, बरेटा बार्डर चेक पोस्ट से शराब आती है, उत्तर प्रदेश में जो आगरा में खासतौर से जनता जितना पानी नहीं पीती, पाइप लाइन का, उससे ज्यादा शराब पी रही है । सैंया चेक पोस्ट से भी शराब आ रही है । मान्यवर, खुशी तो इस बात की होती है कि जितनी शराब बिक रही है, उसी हिसाब से शराब बिकती और आबकारी विभाग को लाभ होता, तो में कुछ न कहता । अगर शराब से लाभ होता , तो सरकार अच्छे कामों में लगाती, सरकार की इनकम बढ़ती । इस कल्याणकारी सरकार के हम सब लोग सहयोगी हैं, जो सरकार चाहती है, वही हम चाहते हैं ।

केवल दिखावा मात्र के लिये शराब पकड़ी जाती है । आगरा में जो शराब पकड़ी जाती है, वह केवल खाना पूरी के लिये पकड़ी जाती है । लाखों रुपये की शराब राजस्थान से आ रही है । ठेकेदारों से रजामंदी कर ली जाती है और कहा जाता है कि ऊपर से दबाव आ रहा है, प्रश्न किये जा रहे हैं, इसलिये 100-200 पाउच पकड़वा दो और वह पकड़वा दी जाती है और यह कहा जाता है कि काफी सख्ती की जा रही है, लेकिन यह सब दिखावा मात्र है । आगरा में शराब का ठेका केवल इसी कारण नहीं दिया जाता है और इस कारण करोड़ों रुपये की हानि हो रही है । इस वर्ष भी ठेका नहीं उठाया गया है । चोरी छिपे शराब बिक रही है और उस पर सरकार का काई नियंत्रण नहीं है । जितने लोग इस व्यवसाय में लगे हैं वह बहुत लाभान्वित हो रहे हैं । ठेकेदारों ने भी मन बना लिया है कि जब सरकार ही कुछ नहीं करती है, तो उन्हें क्या करना है । मैं इस संबंध में बार-बार प्रश्न कर रहा हूं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है और उत्तर दिया जाता है कि यह बात बिल्कुल सत्य से परे हैं । मान्यवर, सरकार का एक अंग होने के कारण मैं भी सरकार के हित की बात सोचता हूं । मान्यवर, करोड़ों रुपये का लाभ हो सकता है, लेकिन हमारी सरकार ध्यान नहीं देती है । अगर इसकी गहराई से जांच पड़ताल की जाये तो करोड़ों रुपये का लाभ हो सकता है और अगर लाभ होगा तो आगरा पश्चिम को भी लाभ होगा, जहां से मैं चुनकर आता हूं । वहां की जनता को लाभ होगा । वहां पर पानी की समस्या है, कुछ हैंड पम्प लग जायेंगे, तो वहां के लोगों को पानी मिल जायेगा, उनका कुछ कष्ट दूर हो जायेगा, लेकिन सरकार इस पर गहराई से विचार नहीं करती है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आप समाप्त करें ।

श्री किशन गोपाल–

अगर मंत्री जी कह दें कि समझ लिया, तो मैं बैठ जाऊं । कम से कम आप सुन तो लें । शराब के ठेकेदार ठेका नहीं ले रहे हैं । डी० एम० ने समाचार पत्रों में निकलवा दिया सरकारी कर्मचारियों को शराब के लाइसेंस दिये जायेंगे । इससे बहुत नुकसान होगा ।

एक सदस्य–

आप तो स्वयं अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे हैं ।

श्री किशन गोपाल–

मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, जो कमियां हैं उनको जरूर बताऊंगा । अगर सरकार का हित होगा, तो मैं कोई भी कुरबानी करने के लिये तैयार हूं । मान्यवर, करोड़ों रुपये का लाभ हो सकता है और जब लाइसेंस सरकारी कर्मचारियों को दिये जायेंगे तो यह लाभ नुकसान में बदल जायेगा । हमारी कल्याणकारी सरकार जब लाभ करेगी तभी जनता का हित हो पायेगा ।

एक सदस्य–

अब आप समाप्त करें, हमें जाना है ।

श्री किशन गोपाल–

माननीय सदस्य जा सकते हैं । हम और माननीय मंत्री जी बोलते रहें और सुनते रहें यही काफी है, क्योंकि जनता का हित तो करना ही है । मुझे परवाह नहीं माननीय सुने या न सुने लेकिन हमारी सरकार हमारी बात को सुन रही है इस में मैं संतुष्ट हूं । हमारे वित्त मंत्री जी, आबकारी मंत्री जी सुन रहे हैं, इसी में मैं संतुष्ट हूं, अब समय बरबाद न होने दें और मुझे कहने दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी ।

मान्यवर, इस समय प्रशासन भी चिन्तित है और शासन भी चिन्तित है कि ठेकेदारों द्वारा क्यों नहीं उठाया जा रहा है इसका क्या कारण है । इसका कारण यह है कि हमारे राजस्थान की सीमा और मध्य प्रदेश की सीमाओं से शराब लाई जा रही है क्योंकि यहां पर इक्साइज ड्यूटी ज्यादा है ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

माननीय उपाध्यक्ष जी, विपक्ष में अब हम अकेले नहीं है ।

श्री किशन गोपाल–

यहां पर सैल्सटैक्स ज्यादा है यही कारण है कि वहां से शराब लाई जाती है और उत्तर प्रदेश के आगरा में बेची जाती है और यही कारण है कि आगरा में ठेके नहीं उठ रहे हैं ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, यह क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं ।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं। यह कल्याणकारी सरकार हमारी बात को गम्भीरता से सुन रही है, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी और माननीय विकल जी से मैं निवेदन करूंगा कि यह जो सीमाओं से आने वाली शराब है जिससे कारोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है इसको रोक दिया जाय तो राजस्व की वृद्धि हो सकती है। वहां बराबर सड़कों से माल आता है, पकड़ा जाता है और छूट जाता है। या तो यह कर दे कि सेल्सटैक्स बराबर कर दें।

श्री उपाध्यक्ष–

आपके सारे बिन्दु आ गये हैं अब माननीय मंत्री जी को तो सुन लें।

श्री किशन गोपाल–

माननीय मंत्री जी को तो आगरा में रोज ही सुनते हैं हमारी बात सदन में सुन ली जाय तो बड़ी कृपा होगी।

मान्यवर, यह शराब जो बाहर की सीमाओं से आ रही है इसको बन्द कर दें। दूसरी यह जो टैक्स की बात की जा रही है तो जब उत्तर प्रदेश में टैक्स ज्यादा है और राजस्थान में कम है तो वहां से शराब आयेगी हीं क्योंकि राजस्थान की सीमा में रेट कम होगा, डबुल का अन्तर है, इस ओर ध्यान देने की कृपा करें। इसके अलावा में एक विशेष अनुरोध माननीय मंत्री जी से करूंगा कि इस ओर ध्यान देने के साथ-साथ आगरा की जनता की ओर ध्यान दें। आगरा की जनता पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रही है। वह शराब तो ज्यादा पी रही है, पानी नहीं पा रही है। मान्यवर, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की शराब आ रही है उसी प्रकार से अगर राजस्थान की सीमा चम्बल से पानी आ जाय तो कल्याण हो जाय। माननीय मंत्री जी या तो चम्बल का पानी पिला दें या हरिद्वार का पानी पिला दे तो बड़ी कृपा होगी। मैं यह कहूंगा कि इस आबकारी विभाग मे घोर अनियमितता हो रही है, माननीय मंत्री जी तो मेहनत से काम कर रहे हैं लेकिन अधिकारी लोग पता नहीं कौन सा चक्कर चला देते हैं, मंत्री जी उससे दूर हटकर सरकार के हित का काम करें और मैं भी सरकार की राजस्व वृद्धि की बात कह रहा हूं। मेरी बात सुनें और उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

आबकारी, परिवहन एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री सत्य प्रकाश विकल)-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य श्री किशन गोपाल जी का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे ज्ञान में वृद्धि की।

(हंसी)

यह बताना चाहता हूं कि मैं भी आगरे में रहता हूं उनका कहना है कि आगरे के लोग पानी नहीं शराब पीते हैं हो सकता है कि उनका यह ख्याल हो लेकिन में समझता हूं कि यह बात नहीं है। वहां पानी न हो तो लोग शराब नही दूध पीते हैं।

(व्यवधान)

यह चर्चा, एक प्रश्न था अतारांकित 193 और एक प्रश्न था 35 माननीय सदस्य ने दोनों का जिक्र किया है, 193 में उत्तर प्रदेश का जिक्र है, 35 में केवल आगरा का जिक्र है और चर्चा राजस्थान से तस्करी से शराब आने की है। माननीय सदस्य ने इस बात पर जोर दिया है कि करोड़ों अरबों रुपये की शराब राजस्थान से आ रही है और इससे राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। यह भी कहा कि 18 करोड़ रु० से 80 करोड़ रु० के ठेके आगरा में उठा रहे हैं, जो कि इतना राजस्व दे रहे हैं कि लोग

ठेका नहीं लेना चाहते हैं लगता है कि उन्हें इन चीजों की कोई जानकारी नहीं है । अगर राजस्व की चोरी हो रही होती या उन्होंने जानकारी करने का प्रयास किया होता तो उन्हें मालूम होता कि राजस्व प्राप्त करने और आबकारी के ठेके उठाने के जो नियम हैं, उसके हिसाब से व्यवस्था कैसे होती है । मैं माननीय सदस्य की जिज्ञासा को शान्त करने के लिये उनकी जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कि पांच वर्ष के आगरा के आंकड़े क्या हैं ।

वर्ष 1986-87 में देशी शराब के ठेके की नीलामी से 3,36,85,000 रु० राजस्व का मिला, वर्ष 87-88 में वह 5,45,12,000 रु० हो गया, वर्ष 1988-89 में 5,90,12 353 रु०, वर्ष 1989-90 में 6,22,40,000 रु० तथा वर्ष 1990-91 में 9,35,22,000 रु० राजस्व का हो गया जबकि बेसिक लाइसेंस फीस का रुपया इससे अलग है । इस प्रकार राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है । यही स्थिति विदेशी शराब की है उसमें भी वर्ष 1986-87 में जहां राजस्व प्राप्ति कुल 2,52,54,000 रु० थी, वर्ष 1987-88 में 4,13,54,000 रु०, वर्ष 1988-89 में 5,55,93,000 रु०, वर्ष 1989-90 में 5,76,72,500 रु० तथा वर्ष 1990-91 में बढ़कर 8,81,33,000 रु० हो गयी । माननीय सदस्य ने यह जिज्ञासा प्रकट की कि ठेकेदार उत्तर प्रदेश से शराब न खरीदकर राजस्थान से लाते हैं । मैं बताना चाहूंगा कि एक "मिनिमम गारण्टी कोटा" होता है, उतनी शराब ठेकेदार को गोदाम से खरीदना ही पड़ता है । नीलामी की राशि का 1/4 पैसा शुरू में ही ठेकेदार को जमा करना होता है, उसमें दो महीने का नकद और एक महीने की बैंक गारण्टी होती है । अगर कोई दुकानदार अवैध माल बेचता है तस्करी से माल लाता है तो हम उस पर कार्यवाही करते हैं और उस पैसे को जब्त कर लेते हैं । देशी शराब 86-87 में 25,73,550 बल्क लीटर देशी शराब के लाइसेंसदारों ने, दूसरी ओर राजस्व प्राप्ति 3,36,85.000 रु० है, हो सकता है कि माननीय सदस्य को जिज्ञासा हो कि करोड़ों का मामला है, लाखों में कैसे हो गया । उनकी ज्ञान वृद्धि के लिये बताना चाहूंगा कि एक बोतल 750 मि० ली० की होती है । इस प्रकार 3 बल्क लीटर में 4 बोतल शराब बनती है । उसे जोड़ेंगे तो 34 लाख बोतल बनेगी ।

3 करोड़ 36 लाख का राजस्व हुआ उसमें बेसिक लाइसेंस फीस अलग राजस्व में मिली । अब 34 लाख बोतल 15 रुपया से भी बिकी तो 5 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद कर बेचा गया । 1986-87 में, यह मैं अनुमानित आंकड़े बता रहा हूं :-

इसी तरह से आंकड़े 87-88, 88-89 और 90-91 तक हैं । 1990-91 में बयालिस लाख तीन हजार एक बल्क लीटर शराब खरीदी गयी जिसमें शराब की करीब 56 लाख बोतलें होती हैं इसकी 90-91 में कीमत लगभग 35 रु० प्रति बोतल होती है 18 करोड़ रु० की शराब दी गयी, बेची गई लाइसेंस दिया गया 9 करोड़ 35 लाख 22 हजार का 5 करोड़ 25 लाख जिसकी बेसिक लाइसेंस फीस जुड़ी 15 करोड़ के करीब इस तरह से ठेकेदार की लागत में पैसा दिया, 18 करोड़ की शराब बेची इस प्रदेश से खरीद करके तब समझ में नहीं आता कि इसमें तस्करी कहीं से आ गयी थोक विक्रेताओं से आखिर मतलब क्या है मा० सदस्यों को यह तक पता नहीं है उसे भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं देशी शराब की जो भी ठेकेदारी करते हैं उनके शराब खरीदने के लिये आसवानियां हैं उनको जिले आबंटित होते हैं उनके वेयरहाउस होते हैं वहीं से वह शराब लेते हैं वहीं से उनको शराब मिलती है । यह सारी खरीद लाइसेंस फीस उसी की है ।

श्री किशन गोपाल–

आदरणीय मंत्री जी एक मिनट एक बात कहना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जायं बाद में स्पष्टीकरण पूछ लीजियेगा ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

इसी तरह से मैं इनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि यह जो खरीद होती है, प्रश्नोत्तर देखें शायद इनकी समझ में कुछ आया ही नहीं थोक विक्रेता क्या है थोक विक्रेता माने जो देशी शराब की दुकानें हैं वे जो आसवानी के गोदाम होते हैं जो जिलों को आवंटित किये जाते हैं उनसे देशी शराब ली जाती है । विदेशी शराब की दुकानों में एफ० एल०–5 जिसे आइ० एम० एफ० एल० कहते हैं जिन दुकानों से बिकती हैं, उनके लिये भी जो थोक व्यापारी होते हैं वे एफ० एल०-2 के लाइसेंस धारी होते हैं एफ० एल०-2 थोक विक्रेता से उन्हें शराब मिलेगी और वह वहां से खरीदेगें । एफ० एल०–5 की दुकान से फुटकर में मिलेगी थोक विक्रेता केवल एफ० एल०-2 के यहां से उन्हें मिलेगी जिसको थोक विक्रेता कहा जाता है । यह जो कहा गया कि तस्करी होती है । मान्यवर, तस्करी, चोरबाजारी, ब्लेक मार्केटिंग, गलत धंधा यह दुर्भाग्य है इस देश का । इस प्रदेश में उन गलत कामों को जितना भी रोक सकें उसको रोकने का भारी प्रयास किया जा रहा है । मान्यवर, राजस्थान की सीमा से आगरा जुड़ा है कुछ और भी जिले जुड़े हुए होंगे मैं यह मान सकता हूं कि यह तो चूहे-बिल्ली की दौड़ जैसा मामला है बिल्ली सर्तक है तो चूहे घुसे रहते हैं बिलों में घुसे रहते हैं और जब बिल्ली निकल जाती है तो चूहे फिर निकलने की कोशिश करते हैं । जिनको तस्करी करनी है अवैध धन्धे करते हैं वह करने की कोशिश करेंगे । लेकिन हमारा जो काम है उनको पकड़ना उन पर नियंत्रण करना सजा देना उसे हम पूरी ताकत से कर रहे हैं मैं आंकड़ों के तहत बताना चाहता हूं आगरा का ही ले लें । 86-87 में केवल 16 मामले पकड़े गये मद्य निष्कर्षण में, 87-88 में 19, 88-89 में 24, 89-90 में 53, 90-91 में 91, 90-91 में अप्रैल से दिसम्बर तक 70 मामले पकड़े गये इस सरकार के आने के बाद 91-92 में, अप्रैल से दिसम्बर तक का देखें मान्यवर, 80 मामले उस अवधि में पकड़े गये हैं । मदिरा के जो अभियोग हैं 86-87 में 483, 87-88 में 607, 88-[illegible] में 523, 89-90 में 567, 90-91 में 692, 90-91 में अप्रैल से दिसम्बर तक 510 इस वर्ष इसी अवधि में 549 मामले पकड़े गये हैं । मान्यवर, इसी प्रकार भाग के मामले में देखें । पिछली बार पूरे वर्ष में 299 मामले पकड़े गये जबकि अभी केवल नौ महीने हमारी सरकार को आये हुए हैं हमने 215 मामले पकड़े हैं । इन्हें यह जानकर खुशी होगी और ज्ञान में वृद्धि होगी कि जितनी अवैध शराब पिछली साल अप्रैल से दिसम्बर तक पकड़ी गयी उसकी संख्या नौ लाख चौरासी हजार चार सौ पैंसठ लीटर थी जबकि इस वर्ष इन नौ महीनों के अन्दर हमने तेरह लाख सत्तर हजार छः सौ नियानबे हजार लीटर शराब पकड़ी है । हमने चार लाख से ज्यादा अवैंध शराब पकड़ी है इन नौ महीनों के अन्दर । मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है वह स्वाभाविक है वह यह चाहते हैं कि तस्करी न होने पाये । मान्यवर, उन्होंने यह भी कहा था कि न जाने मंत्री जी अधिकारियों के चक्कर में क्यों आ जाते हैं तो मैं उन्हे आश्वस्त करना चाहता हूं हम अधिकारी के चक्कर में नहीं आते हैं वो हमें क्या चक्कर में लायेगे असल में तो अधिकारी हमारे चक्कर में आ गये हैं । मा० सदस्य को इस बात का भरोसा होना चाहिए कि उनके मंत्री जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उनकी योग्यता व कर्मठता से यह अधिकारी ही चक्कर में आ गये हैं । उन्होंने कहा कि ठेके नहीं उठ रहे हैं जिसकि कारण हमारे राजस्व को हानि हो रही है, उनकी वसूली नहीं हो पा रही है । मान्यवर, 57 जिलों में से पौन जिलों में ठेके उठ चुके हैं जो लक्ष्य

चुके हैं जो लक्ष्य हमने रखा उससे ऊपर उठे हैं और जो बाकी बचे हैं तो अभी पांच दिन और बाकी हैं । यह सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि ठेकेदार अगर यह समझेंगे कि ठेके नहीं लेंगे तो नुकसान होगा तो यह उनका भ्रम है । सरकार के राजस्व की चिन्ता जितनी माननीय सदस्य को है उतनी ही चिन्ता हम सबको है यह मैं उन्हें बता देना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस संबंध में हमको निर्देश भी दिये हैं राजस्व को बढ़ाया जाये लेकिन हर चीज की सीमा होती है यह भी कहा है । हमने राजस्व को बढ़ाया है । मगर कहीं ऐसा न हो कि राजस्व बढ़ाने के चक्कर में अवैध शराब की बिक्री बढ़ जाये उसकी तस्करी बढ़ जाये इसलिये हम लोग एक संतुलित ढंग अपनाकर उसी रूप से कार्य कर रहे हैं । एक बात और कहना चाहता हूं जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया कि राजस्थान में तो कर कम है और यहां पर ज्यादा है तो इसका मतलब यह है, उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है कि हम ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त कर रहे हैं । वहां पर कम है तो राजस्व कम ले रहे हैं यहां पर ज्यादा है तो इसका मतलब यही है कि अधिक से अधिक राजस्व वसूलने की कोशिश हम कर रहे हैं और उसका कोई नुकसान न होकर वृद्धि ही हो रही हैं हमें इस बात की चिन्ता नहीं है कि राजस्व बढ़ाया जाये और हम इस बात की भी चिन्ता है कि कैसे इसकी तस्करी को रोका जाये, कैसे अवैध शराब को बनने से रोका जाये । मान्यवर, अभी हमारे माननीय सदस्य ने यह कहा कि एक ट्रक पकड़ा गया हमें मालूम है और इसकी जानकारी भी हमें मिली है । हमें दुःख है कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है और उसमें बिना तथ्यों से हटकर बात कह रहे हैं । राजस्थान से वह ट्रक आ रहा था उसे फतेहपुर सीकरी चैक पोस्ट पर पकड़ा गया । सेल्स टैक्स वालों ने पकड़ा उसमें अवैध ढंग से ले जायी जा रही शराब थी हमारे आबकारी विभाग वालों ने कहा कि वह हमें दे दीजिये हम कार्यवाही करेंगे और शायद मा० सदस्य को नहीं मालूम कि वह ट्रक हमारे विभाग वालों को सौंप दिया गया । तो अच्छा होता वह सदन में कहने से पूर्व जानकारी कर लेते । मैं समझता हूं कि चर्चा में जो बिन्दु उठाये गये हैं उनका उत्तर देने का प्रयास किया है । मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इससे आश्वस्त और संतुष्ट भी हुए होगे ।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, मेरी केवल एक शंका है । माननीय मंत्री जी ने बताया कि पन्द्रह करोड़ में खरीदा और अट्ठारह करोड़ में बेचा गया । लेकिन अगर गहराई में इसकी जांय जो 15 करोड़ लाइसेंस फीस जमा की व 18 करोड़ की शराब बिक्री की । 15 करोड़ लाइसेंस फीस जमा करने के लिये एक अरब की शराब बिक्री करनी पड़ेगी जब 15 करोड़ लाइसेंस फीस व अन्य खर्चे निकल सकते हैं । मान्यवर, कौन सा ऐसा व्यापार है, जिसमें 18 करोड़ की बिक्री हो और उसमें 15 करोड़ रुपये कमा लिया जाय । यदि ऐसा बता दें तो मैं गुलाम हो जाऊंगा । माननीय मंत्री जी ने बताया कि 18 करोड़ की शराब बेची, उसमें 15 करोड़ कमा लिया, बाकी खर्चे अलग । मान्यवर, इससे आपको पता लगा गया होगा, कि मेरी पीड़ा क्या है, माननीय मंत्री जी शायद वहां तक नहीं पहुंच पाये, लेकिन अध्यक्ष जी जरूर पहुंच गये होंगे ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, चूंकि समय समाप्त हो रहा है, इसलिये मैं निवेदन कर दूं कि माननीय सदस्य मेरे उत्तर की गहाराई तक नहीं पहुंच सके । मैं समझता था कि वे व्यापारी हैं और व्यापार की बात को आसानी से समझ सकते होंगे परन्तु दुख है कि खरीद बिक्री के आंकड़े बताने पर भी कुछ समझ नहीं पाये । मैंने बताया था कि 15 करोड़ लाइसेंस फीस का ठेकेदार ने जमा किया, यह उसका मुनाफा नहीं है । यह उसकी लागत लगी और 18 करोड़ की शराब उसने खरीदकर बेची । मान्यवर, अगर कोई भी व्यापार करेगा, तो इस बात के लिये करेगा कि 15 करोड़ के धन्धे में उसके अलावा दुकानों, स्टाक व्यय आदि

के खर्चे भी कराने के लिये हीं करेगा मैं फिंर स्पष्ट कर दूं कि 15 करोड़ उसका मुनाफा नहीं है । मेरी बात को माननीय सदस्य थोड़ा दिमाग लगाकर समझने की कोशिश करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब यह चर्चा समाप्त होती है ।

अब हम उठते हैं, दिनांक 30 मार्च, 1992 को 11 बजे पूर्वाह्न पुनः मिलेगें ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 46 मिनट पर सोमवार 30 मार्च, 1992 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
25 मार्च, 1992

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30-31 पर)

अनुलग्नक

परिषदीय मुख्यालय कर्मचारियों एवं अन्य लिपिकीय कर्मचारियों को अनुमन्य भत्तों की सूची

क्रम सं०	परिषद् मुख्यालय कर्मचारियों को अनुमन्य भत्ते	अन्य लिपिकीय कर्मचारियों को अनुमन्य भत्ते	विशेष
1	2	3	4
1	मंहगाई भत्ता	1–मंहगाई भत्ते	मूल वेतन पर प्रतिशत के आधार पर सभी कर्मचारियों को समान रूप से देय ।
2	नगर प्रतिकर भत्ता	2–नगर प्रतिकर भत्ता	मात्र लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ तथा गाजियाबाद रिक्त "नोयेदा" में कार्यरत कर्मचारियों को अनुमन्य ।
3	चिकित्सा भत्ता	3–चिकित्सा भत्ता	परियोजनाओं तथा विद्युत उपक्रमों में, जहां परिषदीय चिकित्सालय स्थिति है, तैनात कर्मचारियों को अनुमन्य नहीं ।
4	मकान किराया भत्ता	4–मकान किराया भत्ता	परियोजनाओं एवं विद्युत गृहों में, जहां निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध है, तैनात कर्मचारियों को अनुमन्य नहीं ।
5	द्विभाषी भत्ता	5–द्विभाषी भत्ता	मात्र आशुलिपिक एवं टंककों को जिन्हें हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्य करना पड़ता है ।
6	विकलांग एवं नेत्रहीनों को वाहन भत्ता	6-विकलांग एवं नेत्रहीनों को वाहन भत्ता 7–स्थल प्रतिकर भत्ता	मात्र विकलांग एवं नेत्रहीन कर्मचारियों को अनुमन्य । मात्र परियोजनाओं में नियुक्त कर्मचारियों को ।

1	2	3	4
		8–पर्वतीय विकास भत्ता	मात्र पांच पर्वतीय जिलों नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, एवं पौड़ी गढ़वाल, में नियुक्त कर्मचारियों को अनुमन्य ।
	7	सचिवालय विशेष भत्ता	मात्र परिषद मुख्यालय पर कार्य-रत सचिवालय संवर्ग कर्म–चारियों को अनुमन्य (1-3-87 से)
	8	वाहन भत्ता	मात्र परिषद् मुख्यालय एवं केन्द्रीय लेखा कार्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य । (1-12-88 से)

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ- 35 पर)

उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि०

इकाई घुघली (महराजगंज)

विगत पांच वर्षो से खरीदे गये आक्सीजन सिलिन्डर का विवरण

आपूर्तिकर्ता का नाम	1987-88			1988-89		
	प्रति माह सिलेन्डर	अदद	प्रति सि० 7 क्यूबिक मीटर	प्रतिमाह सिलेण्डर	अदद	प्रति 7 सी० एम०
1987 से	अक्टूबर, 87	81		अक्टूबर, 88	117	
1991-92	नवम्बर, 87	159		नवम्बर, 88	108	
तक मेसर्स	दिसम्बर, 87	133		दिसम्बर, 88	82	
शक्ति मेस०	जनवरी, 88	12		जनवरी, 89	56	
एजेन्सीज	फरवरी, 88	37		फरवरी, 89	39	
रामकोला,	मार्च, 88	20		मार्च, 89	54	
देवरिया से	अप्रैल, 88	45		अप्रैल, 89	22	
ही खरीदे गये	मई, 88	23		मई, 89	10	
	जून, 88	10		जून, 89	8	
	जुलाई, 88	12		जुलाई, 89	15	
	अगस्त, 88	32		अगस्त, 89	90	
	सितम्बर, 88	106		सितम्बर, 89	125	
योग :	670	4670 सी० एम०		726	5082 सी० एम०	

1989-90		1990-91		1991-92	
प्रति माह सिलिण्डर	अदद प्रति सिलि० 7 सी० एम०	प्रतिमाह सिलिण्डर	अदद	प्रति सिलि० ७सी० एम०	प्रतिमाह अदद सिलिण्डर
अक्टूबर, 89	86	नवम्बर, 90	163	अक्टूबर, 91	177
नवम्बर, 89	95	दिसम्बर, 90	56	नवम्बर, 91	173
दिसम्बर, 89	39	जनवरी, 91	71	दिसम्बर, 91	102
जनवरी, 90	42	फरवरी, 91	36	जनवरी, 92	61
फरवरी, 90	27	मार्च, 91	57	फरवरी, 92	28
				22-2-92 तक	
मार्च, 90	10	अप्रैल, 91	63		
अप्रैल, 90	16	मई, 91	23		
मई, 90	9	जून, 91	–		
जून, 90	–	जुलाई, 91	–		
जुलाई, 90	17	अगस्त, 91	51		
अगस्त, 90	36	सितम्बर, 91	130	प्रति सिलिण्डर 145 से 150 पौड के बीच के प्रेसर सहित अन्यथा स्वीकार्य नहीं ।	
सितम्बर, 90	50				
427	2989 सी० एम०	827	4879 सी०एम०		541

कुल 3191 सिलिण्डर खरीदे गये ।

नत्थी 'ख (1)'

(देखिये अता० प्र० सं० 56 का उत्तर पीछे पृष्ठ- 48-49 पर)

[illegible] नगरीय वितरण उप-खण्ड-द्वितीय, गोरखपुर

मासिक उपभोग का विवरण

माह	यूनिट 11 केवी० पर	डिमान्ड	
1	2	3	
27-8-87 से 10-11-87	3275	100 के०वी०ए०	
नवम्बर, 87	13058	1350 ,,	
दिसम्बर, 87	162175	1400 ,,	
जनवरी, 88	283380	1250 ,,	
फरवरी, 88	884150	1262.5 ,,	अवधि 31-1-88 से 8-3-88
मार्च, 88	190325	1325 ,,	अवधि 8-3-88 से 31-3-88
अप्रैल, 88	229475	1125 ,,	
मई, 88	297475	1325 ,,	अवधि 30-4-88 से 3-6-88
जून, 88	145375	1350 ,,	अवधि 3-6-88 से 30-6-88
जुलाई, 88	262600	1375 ,,	
अगस्त, 88	266175	1350 ,,	
सितम्बर, 88	256275	1375 ,,	
अक्टूबर, 88	240275	1400 ,,	
नवम्बर, 88	289600	1300 ,,	
दिसम्बर, 88	277600	1425 ,,	
जनवरी, 89	242575	1325 ,,	अवधि 31-12-88 से 2-2-89
फरवरी, 89	248925	1400 ,,	अवधि 2-2-89 से 1-3-89
मार्च, 89	195250	1375 ,,	
अप्रैल, 89	232100	1400 ,,	
मई, 89	219975	1375 ,,	
जून, 89	248450	1175 ,,	
जुलाई, 89	234550	1400 ,,	
अगस्त, 89	186025	1375 ,,	
सितम्बर, 89	236550	1400 ,,	

1	2	3	
अक्टूबर, 89	224375	1400	के०वी०ए०
नवम्बर, 89	245025	1400	,,
दिसम्बर, 89	240350	1375	,,
जनवरी, 90	236875	1400	,,
फरवरी, 90	261400	1400	,, अवधि 31-1-90 से 3-3-90
मार्च, 90	249225	1400	,, अवधि 3-3-90 से 1-4-90
अप्रैल, 90	228625	1400	,, अवधि 1-4-90 से 2-5-90
मई, 90	226875	1350	,, अवधि 2-5-90 से 31-5-90
जून, 90	224500	1375	,,
जुलाई, 90	239500	1375	,,
अगस्त, 90	216975	1400	,,
सितम्बर, 90	233150	1337.5	,,
अक्टूबर, 90	243125	1400	,, अवधि 30-9-90 से 2-11-90
नवम्बर, 90	212600	1400	,, अवधि 2-11-90 से 30-11-90
दिसम्बर, 90	233625	1400	,,
जनवरी, 91	223675	1375	,,
फरवरी, 91	232600	1400	,,
मार्च, 91	242425	1375	,,
अप्रैल, 91	226650	1400	,,
मई, 91	223625	1400	,,
जून, 91	214525	1400	,,
जुलाई, 91	229250	1375	,,
अगस्त, 91	222900	1375	,,
सितम्बर, 91	215725	1400	,,
अक्टूबर, 91	223350	1400	,,
नवम्बर, 91	223350	1400	,,
दिसम्बर, 91	219375	1412.5	,,

सूर्य नारायण,
अधीक्षण अभियन्ता ।

अशोक कुमार मिश्रा,
अधिशासी अभियन्ता ।

मेसर्स जालान कास्टिंग प्राइवेट लि० मोडरीपुर, गोरखपुर की विभिन्न एजेन्सी द्वारा की गयी जांच में पाए गए भार का विवरण

क्र० सं०	एजेन्सी का नाम	जांच की तिथि	एम० डी० आई० में पाया गया भार के० वी० ए० में
1 (i)	मुख्य अभियन्ता (वितरण), गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर ।	30-8-88	54×25 =1350
(ii)	अधिशासी अभियन्ता, वि० न० वि० खण्ड–द्वितीय, गोरखपुर ।		
2 (i)	अधीक्षण अभियन्ता, वि० नं० वि० नं० गोरखपुर ।		
(ii)	अधिशासी अभियन्ता, वि० न० वि० खण्ड–द्वितीय, गोरखपुर ।	7-2-90	55×25 =1375
(iii)	अधिशासी अभियन्ता, वि० नं० परीक्षण खण्ड, गोरखपुर ।		
3 (i)	अधिशासी अभियन्ता, वि० नं० वि० खण्ड-द्वितीय, गोरखपुर ।		
(ii)	अधिशासी अभियन्ता, वि० नं० परीक्षण खण्ड, गोरखपुर ।	3-3-90	56×25=1400
4 (i)	मुख्य अभियन्ता (वितरण), गोरखपुर, क्षेत्र गोरखपुर ।		
(ii)	मुख्य अभियन्ता (वितरण) पूर्वी क्षेत्र, दाराणसी ।		
(iii)	अधीक्षण अभियन्ता, वि० न० वितरण मण्डल, गोरखपुर ।	11-6-91	56×25=1400

अशोक कुमार मिश्रा,
अधिशासी अभियन्ता ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 71 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)

संलग्नक 'क'–I

डाला यूनिट के विगत तीन वर्षों का माहवार यूनिट तथा के० वी० ए० डिमाण्ड का विवरण

माह	वास्तविक के० वी० ए० डिमाण्ड	के० वी० ए० डिमाण्ड जिसका बीजक बनाया गया	यूनिट जिस का बीजक बनाया गया
1	2	3	4
1/89	8700	9000	24,42,600
2/89	8300	9000	24,28,500
3/89	7200	9000	22,06,400
4/89	7000	9000	23,22,000
5/89	6900	9000	22,82,200
6/89	6000	9000	19,06,200
7/89	5100	9000	19,79,900
8/89	6100	9000	21,89,600
9/89	6000	9000	24,21,100
10/89	7650	9000	22,20,800
11/89	7200	9000	31,22,400
12/89	7500	9000	24,41,410
1/90	7500	9000	24,54,300
2/90	7500	7500	26,07,500
3/90	7000	7800	28,21,800
4/90	6100	6750	24,78,400
5/90	7200	7200	29,08,200
6/90	7500	7500	23,20,600
7/90	6600	6750	20,32,200
8/90	7200	7200	21,42,400
9/90	7700	7700	33,13,100
10/90	7700	7700	25,40,300
11/90	7700	7700	24,88,000
12/90	7700	7700	25,91,700
1/91	7800	7800	33,49,400
2/91	7400	7400	28,14,000
3/91	7200	7200	31,37,900

1	2	3	4
4/91	7200	7200	23,72,900
5/91	7400	7400	13,66,300
6/91	7200	7200	1,76,700
7/91	शून्य	6750	-
8/91	,,	6750	-
9/91	,,	6750	-
10/91	900	6700	66,000
11/91	3900	6750	10,42,600
12/91	5400	6750	16,62,100

आम अधार राम,
अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड,
रार्बट्सगंज (सोनभद्र) ।

संलग्नक 'क'–II

के० सी० सी० पी० डाला यूनिट डाला के विगत तीन वर्षों का माहवार यूनिट तथा के० वी० ए० डिमाण्ड का विवरण

माह	वास्तविक के० वी० ए० डिमाण्ड	के० वी० ए० डिमाण्ड जिसका बीजक बनाया गया	यूनिट जिसका बीजक बनाया गया
1	2	3	4
1/89	12200	12375	32,76,050
2/89	12300	12375	17,98,200
3/89	12300	12375	31,24,400
4/89	12400	12400	27,87,450
5/89	12300	12375	18,79,300
6/89	12600	12375	24,17,600
7/89	12200	12375	24,16,150
8/89	12300	12375	31,82,650
9/89	12300	12375	20,86,900
10/89	12300	12375	79,80,50
11/89	12300	12375	29,25,600
12/89	12600	12600	30,00,050
1/90	12000	12375	26,02,000
2/90	12300	12300	16,04,050
3/90	12450	12450	25,55,050
4/90	9200	9375	15,69,683
5/90	11000	11000	25,97,150
6/90	11000	11000	20,72,150
7/90	11000	11000	23,17,600
8/90	6900	9375	24,78,750
9/90	6900	9375	21,78,050
10/90	6700	9375	18,62,050
11/90	6900	9375	20,60,050
12/90	6600	9375	11,62,400
1/91	62000	9375	17,45,650
2/91	5800	9375	14,83,700
3/91	6600	9375	14,63,300

1	2	3	4
/91	6500	9375	15,28,550
5/91	6550	9375	10,97,383
6/91	6450	9375	34
7/91	-	9375	-
8/91	-	9375	-
9/91	-	9375	-
10/91	3800	9375	40,300
11/91	5700	9375	10,54,800
12/91	9600	9600	26,62,300

आम अधार राम,
अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड,
रार्बट्सगंज (सोनभद्र) ।

संलग्नक 'ख'

लाग बुक के अनुसार डाला यूनिट एवं के० सी० सी० पी० डाला यूनिट डाला का विगत तीन वर्षों का प्रतिमाह उच्चतम व न्यूनतम लोड

माह	डाला यूनिट		के० सी० सी० पी० यूनिट डाला			
	12.5 एम० वी० ए० 132/11 के० वी० ट्रांसफार्मर		20 एम० वी० ए० 132/6.6 के० बी० ट्रांसफार्मर सं०-1		20 एम० वी० ए० 132/6.6 के० वी० ट्रांसफार्मर सं०2	
	अधिकतम लोड एम्पीयर	न्यूनतम लोड एम्पीयर	अधिकतम लोड एम्पीयर	न्यूनतम लोड एम्पीयर	अधिकतम लोड एम्पीयर	न्यूनतम लोड एम्पीयर
1	2	3	4	5	6	7
1/89	50	20	20	10	35	15
2/89	47	20	5	5	30	15
3/89	40	15	शून्य	शून्य	40	15
4/89	45	15	,,	,,	30	10
5/89	40	15	,,	,,	30	10
6/89	30	10	20	10	30	10
7/89	30	10	30	15	30	10
8/89	35	10	शून्य	शून्य	30	10
9/89	35	15	,,	,,	45	15
10/89	40	15	,,	,,	30	10
11/89	40	20	,,	,,	40	10
12/89	40	20	,,	,,	35	5
1/90	35	20	,,	,,	30	5
2/90	35	15	45	10	30	10
3/90	40	15	30	10	45	15
4/90	35	20	25	10	30	10
5/90	40	20	10	5	30	10
6/90	35	15	35	10	30	10
7/90	30	10	30	10	30	15
8/90	35	10	25	10	30	15
9/90	40	15	40	15	30	10
10/90	40	20	40	15	30	10
11/90	30	10	25	10	25	5
12/90	35	10	45	20	25	5

1	2	3	4	5	6	7
1/91	40	15	25	10	25	5
2/91	40	15	35	10	25	5
3/91	35	10	30	15	25	10
4/91	30	10	25	10	30	10
5/91	25	10	25	5	30	10
6/91	15	5	25	5	5	5
7/91	–	–	–	–	–	–
8/91	–	–	–	–	–	–
9/91	–	–	–	–	–	–
10/91	–	–	–	–	–	–
11/91	20	5	25	10	20	15
12/91	25	10	30	15	45	20

आम अधार राम,
अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड,
रार्बट्सगंज (सोनभद्र)।

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 83 का उत्तर पीछे पृष्ठ 57-58 पर)

संलग्नक–1

बांदा जनपद के विकास खण्ड जसपुरा में स्थित राजकीय नलकूपों की सूची (82 नलकूप)

क्रमांक	नलकूप संख्या एवं समूह	ग्राम का नाम	स्थिति
1	2	3	4
1	1 जसपुरा	जसपुरा	चालू है ।
2	3-जसपुरा	,,	,,
3	4 जसपुरा	गौरीकला	,,
4	5 जसपुरा	गड़रिया	,,
5	6 जसपुरा	सिकहुला	,,
6	7 जसपुरा	गडरिया	,,
7	8 जसपुरा	नावादेव	,,
8	9 जसपुरा	पैलानी डेरा	,,
9	10 जसपुरा	गोरीकला	,,
10	11 जसपुरा	शेखूपुर	,,
11	12 जसपुरा	भुइया रानी	,,
12	16 जसपुरा	नरौली	,,
13	17 जसपुरा	सोनामऊ	,,
14	18 जसपुरा	जसपुरा	,,
15	19 जसपुरा	नरजिता	,,
16	21 जसपुरा	रामपुरा	,,
17	27 जसपुरा	सिकवा	,,
18	28 जसपुरा	गडरिया	,,
19	29 जसपुरा	गडरिया	,,
20	32 जसपुरा	अमारा	,,
21	36 जसपुरा	पडोरा	,,
22	37 जसपुरा	गडरिया	,,
23	40 जसपुरा	गोरीकला	,,

1	2	3	4
24	41 जसपुरा	रामपुर	चालू है ।
25	43 जसपुरा	रामपुर	,,
26	44 जसपुरा	जसपुरा	,,
27	46 जसपुरा	गोरीकला	,,
28	52 जसपुरा	मडोलीकला	,,
29	53 जसपुरा	पडेरी	,,
30	54 जसपुरा	चौकीपुरा	,,
31	55 जसपुरा	गलौली	,,
32	56 जसपुरा	सिघनकला	,,
33	57 जसपुरा	सिघनकला	,,
34	58 जसपुरा	बहुडरी	,,
35	59 जसपुरा	पचकोरी	,,
36	61 जसपुरा	सिघनकला	,,
37	62 जसपुरा	गुरगुवा	,,
38	64 जसपुरा	बसधरी	,,
39	65 जसपुरा	तरौडा	,,
40	66 जसपूरा	जसपुरा	,,
41	67 जसपुरा	गुरनक	,,
42	68 जसपुरा	महावरा	,,
43	71 जसपुरा	सिधनखुर्द	,,
44	72 जसपुरा	जिवलाडेरा	,,
45	73 जसपुरा	गुरगंवा	,,
46	74 जसपुरा	बड़ागांव	,,
47	76 जसपुरा	हरवंशपुर	,,
48	77 जसपुरा	अदरी	,,
49	78 जसपुरा	गजपुरवा	,,
50	79 जसपुरा	रामपुर	,,
51	80 जसपुरा	रामपुर	,,

1	2	3	4
52	81 जसपुरा	गोरीकला	चालू है ।
53	82 जसपुरा	नरायण	,,
54	83 जसपुरा	मरझा	,,
55	84 जसपुरा	कानाखेड़ा	,,
56	85 जसपुरा	डाडामऊ	,,
57	86 जसपुरा	नरौली	,,
58	87 जसपुरा	सिधनकला	,,
59	88 जसपुरा	सिधनखुर्द	,,
60	89 जसपुरा	भाथा	,,
61	91 जसपुरा	झझरी	,,
62	92 जसपुरा	सवादा	,,
63	95 जसपुरा	गौरीकला	,,
64	96 जसपुरा	सिकहुला	,,
65	97 जसपुरा	सिकहुला	,,
66	98 जसपुरा	कानाखेड़ा	,,
67	99 जसपुरा	झझरी	,,
68	100 जसपुरा	गाजीपुर	,,
69	101 जसपुरा	सिकहुला	,,
70	102 जसपुरा	नरजिता	,,
71	103 जसपुरा	सिकवा	,,
72	104 जसपुरा	गौरीकला	,,
73	105 जसपुरा	मवई घाट	,,
74	106 जसपुरा	गडरिया	,,
75	2 जसपुरा	भाथा	,,
76	20 जसपुरा	डाडमऊ	,,
77	26 जसपुरा	झझरी	,,
78	31 जसपुरा	,,	,,
79	39 जसपुरा	मडियाडेरा	,,
80	42 जसपुरा	चन्दवारा	,,
81	45 जसपुरा	चन्दवारा	,,
82	47 जसपुरा	चन्दवारा	,,

संलग्नक–2

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा के उन नलकूपों का विवरण जो विफल अथवा सुधारात्मक कार्यवाही में होने के कारण कार्यशील दशा में नहीं हैं

क्रमांक	नलकूप संख्या	ग्राम का नाम	कार्यशील न होने का कारण
1	15 जसपुरा	गलौली	बी० एण्ड एल फार्म प्रेषित ऊर्जीकरण शेष है ।
2	22 जसपुरा	मरझा	तदैव
3	13 जसपुरा	कानाखेड़ा	छिद्रण होकर पम्प हाउस निर्मित
4	50 जसपुरा	बुधेड़ा	तदैव
5	30 जसपुरा	गोरीखुर्द	छिद्रण पूर्ण पम्प हाउस का कार्य प्रगति पर
6	34 जसपरा	मवई घाट	तदैव
7	35 जसपुरा	खपटिया खुर्द	तदैव
8	48 जसपुरा	नरायन	तदैव
9	38 जसपुरा	करौदाडेरा	पुनः निर्माण स्वीकृत
10	51 जसपुरा	सवादा	तदैव
11	60 जसपुरा	हरवंशपुरवा	पुनः निर्माण प्रस्तायित
12	63 जसपुरा	लसड़ा	तदैव
13	14 जसपुरा	गाजीपुर	सुधारात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत
14	23 जसपुरा	पियरेदर	तदैव
15	24 जसपुरा	बड़ागांव	तदैव
16	33 जसपुरा	नरौली	तदैव
17	49 जसपुरा	इछावर	तदैव
18	69 जसपुरा	धारीखेड़ा	तदैव
19	70 जसपुरा	गडीला	तदैव
20	25 जसपुरा	तनगामऊ	1/92 से सुधारात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत ।
21	75 जसपुरा	गलौली	तदैव
22	93 जसपुरा	रामपुर	तदैव
23	94 जसपुरा	रामपुर	तदैव

संलग्नक–3

जनपद बांदा के जसपुरा ब्लाक के पुनः ड्रिल्ड नलकूपों की स्थिति

क्रमांक	नलकूप संख्या	छिद्रण का माह	पम्पगृह निर्माण का भार	बी० एण्ड एल० फार्म प्रेषण का माह	ऊर्जीकरण माह	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	1 जसपुर	12/88	12/88	12/88	12/88	चलित है
2	9 जसपुरा	6/88	12/88	12/88	12/89	,,
3	12 जसपुरा	3/88	11/88	11/88	1/91	,,
4	20 जसपुरा	10/90	11/90	1/90	12/90	,,
5	42 जसपुरा	11/90	2/91	3/91	12/91	,,
6	45 जसपुरा	12/90	3/91	3/91	11/91	,,
7	47 जसपुरा	11/90	2/91	3/91	12/91	,,
8	39 जसपुरा	6/90	10/90	11/90	1/91	,,
9	26 जसपुरा	4/91	6/91	7/91	1/92	,,
10	31 जसपुरा	1/91	5/91	5/91	1/92	,,
11	2 जसपुरा	4/91	9/91	10/91	12/91	,,
12	15 जसपुरा	10/90	11/90	2/91	----	बी० एण्ड एल० फार्म प्रेषित ऊर्जाकरण शेष ।
13	22 जसपुरा	11/90	2/91	3/91	–	तदैव
14	13 जसपुरा	6/91	1/92	—		छिद्रण होकर पम्प हाउस निर्मित ।
15	50 जसपुरा	6/91	1/92	–	–	तदैव
16	30 जसपुरा	10/91	–	—		छिद्रण होकर पम्प हाउस निर्माण का कार्य प्रगति पर ।
17	34 जसपुरा	5/91	–	–	–	तदैव
18	35 जसपुरा	3/91	–	—	-	तदैव
19	48 जसपुरा	6/91	–	–	–	तदैव

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 96 का उत्तर पीछे पृष्ठ- 60 पर)

विधान सभा के ग्रीष्म सत्र 1992 के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०-96 का संलग्नक

संलग्नक-1

इस समय जनपद बांदा में भूमि संरक्षण अधिकारी (दस्यु योजना) अतर्रा-स्थान-बांदा द्वारा जहां-जहां कार्य कराया जा रहा है, उसकी योजनावार सूची

दस लाख कुओं की योजना जहां कार्य चल रहा है		जवाहर रोजगार योजना जहां कार्य चल रहा है	
क्र० सं०	परियोजनाओं का नाम	क्र० सं०	परियोजना का नाम
1-	पदारथपुर	1	पदारथपुर
2	बम्बिया	2	बम्बिया
3	पलरा	3	पलरा
4	भवानीपुर	4	भवानीपुर
5	गुगौली	5	गुगौली
6	लौमर	6	लौमर
7	नरी-तृतीय	7	जौहरपुर-द्वितीय
8	नरी-चतुर्थ	8	जौहर-तृतीय
9	सहूरपुर	9	जौहरपुर-प्रथम
10	पैलानी	10	जौहरपुर-पंचम
11	नरी-द्वितीय	11	नरी-प्रथम
12	कुकुआ-प्रथम	12	कुकुआ-प्रथम
13	कुकुआ-द्वितीय	13	पिपरहरी
14	पिपरहरी	14	पैलानी
15	नरी-प्रथम	15	नरी-चतुर्थ
16	जौहरपुर-प्रथम		
17	जौहरपुर-पंचम		
18	जौहरपुर-द्वितीय		
19	जौहरपुर-तृतीय		

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०-96 का संलग्नक

संलग्नक–2

अनुसूचित जाति के खेतों में बनाये गये बन्धों का विवरण संख्या सहित वर्ष 1990-91

क्र० सं०	परियोजना का नाम	बांधों की संख्या	खसरा संख्या
1	2	3	4
1	पलरा	4	819, 820, 819/1, 639, 642, 643, 644, 594, 645, 1092, 1094, 1096, 669, 1091, 640, 641
2	गुगौली	3	43, 276, 237, 283, 284, 285, 271, 278, 264, 257, 260, 258, 361, 281, 282, 303, 313, 261, 262, 265, 266, 268, 166
3	पदारथपुर	18	590, 591, 594, 595, 578, 605, 606, 581, 583, 584, 585, 597, 598, 521, 522, 523, 516, 579, 594, 573, 508, 509, 600, 624, 444, 625, 331, 526, 527, 528, 563, 610, 613, 614, 618, 572, 573, 596, 601, 602, 603, 633, 634, 668, 656, 655, 664, 667, 671, 1481, 1482; 1483, 1484, 867, 868, 869, 743, 745
4	बम्बिया	5	6, 7, 395, 393, 342, 344, 401, 402, 408, 980, 281, 919, 363, 441, 442, 404, 410, 411, 434, 443, 347
5	भवानीपुर	7 37	1221, 1218, 1119, 177, 173, 174, 175, 166, 167, 169, 175/2, 165, 166, 172, 193, 197, 192

पी० एस० यू० पी०–एल० 144 विधान सभा (235)–572–1993। (डी० डी० पी०)